द्वितीय माला, खण्ड १३—अंक ३०

२४ मार्च, १९५८ (सोमवार)

लोक-सभा वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Fourth Session)

(खण्ड १३ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

414 LSD

विषय-सूची

पृष्ठ

द्वितीय माला, खण्ड १३—अंक २१ से ३०— ११ मार्च से २४ मार्च, १६५८

अंक २१—मंगलावार, ११ मार्च, १६५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३७, ८३८, ८४१, ८४२, ८४४, ८४५, ८४८, ८५० से ८५३, ८५५, ८५७, ८५६ और ८६१ से ८६७ . २०२५–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३६, ८४०, ८४३, ८४६, ८४७, ८४६, ८५४, ८५६, ८५८, ८६०, ८६८, ८६६ और ८७१ से ८८२ . २०५१–६०

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२७ से ११८४ . . . २०६०–८३

सभा पटल पर रखे गये पत्र २०८३–८४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सोलहवां प्रतिवेदन २०८४

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक—पुरस्थापित किया गया . २०८४

कार्य मंत्रणा समिति

बारहवां प्रतिवेदन २०८४–८५

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक

विचार का प्रस्ताव २०८५–८७

पारित करने का प्रस्ताव २०८७

सामान्य आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . . २०८८–२११२

दैनिक संक्षेपिका २११३–१७

अंक २२—बुधवार, १२ मार्च, १६५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८८३ से ८८६, ८६२ से ६०० और ६०२ से ६०५ २११६–४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६०, ८६१, ६०१ और ६०६ से ६१५ . २१४३–४७

अतारांकित प्रश्न संख्या ११८५ से १२२० . . २१४७–६२

स्थगन प्रस्ताव

हवालात में एक व्यक्ति की मृत्यु २१६२

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१६२–६३

सभा का कार्य २१६४

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९५८–

विचार का प्रस्ताव २१६५–६७

खण्ड १ से ५ तथा अनुसूची २१६७

पारित करने का प्रस्ताव २१६७

सामान्य आय-व्ययक, १९५८-५९—सामान्य चर्चा . . २१६७—९७

दैनिक संक्षेपिका २१९८–२२०१

अंक २३—गुरुवार, १३ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१६ से ९२३, ९२६, ९२७, ९२९, ९४९, ९३०, ९३२ से ९३५, ९३८, ९४० और ९४२ से ९४५ . . २२०३–२८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ और ६ . . . . २२२८–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९२४, ९२५, ९२८, ९३१, ९३६, ९३७, ९३९, ९४१, ९४६ से ९४८ और ९५० से ९५२ . . . २२३२–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या १२२१ से १२६३ . . . २२३८–५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र २२५७–५९

प्राक्कलन समिति

चौथा प्रतिवेदन २२५९

भारतीय रेलवे अधिनियम के बारे में याचिका . . २२५९

भारत सरकार की वैज्ञानिक नीति के बारे में . . . २२६०

सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . . २२६०–८३

१९५६-५७ के लिए संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . २२८३–२३०५

दैनिक संक्षेपिका २३०६–०९

अंक २४—शुक्रवार, १४ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५४, ९५६, ९५८, ९६०, ९६३ से ९८५, ९६८ से ९७० और ९७२ से ९७८ . . . . . २३११–३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५३, ९५५, ९५७, ९५९, ९६१, ९६२, ९६६, ९६७ ९७१ और ९७९ से ९८५ . . . . २३३४–३९

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६४ से १३०१ और १३०३ से १३२४ . २३३९–६३

स्थगन प्रस्ताव—

रेलवे डाक सेवा के तीन कर्मचारियों की हत्या . . . २३६४–६५

सभा पटल पर रखे गये पत्र २३६५–६६

राज्य-सभा से संदेश २३६६–६७

सभा का कार्य २३६७

सामान्य आय–व्ययक, १९५८–५९ सामान्य चर्चा . . २३६७–८६

गैर-सराकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति सोलहवां प्रतिवेदन २३८६

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये विधान मण्डलों में स्थान रक्षण की अवधि बढ़ाने के बारे में संकल्प . २३८६–२४१२

संकल्प वापस लिया गया . . . २४१२

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में संकल्प २४१२

दैनिक संक्षेपिका २४१३–१७

अंक २५—सोमवार, १७ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८६, ९८८ से ९९४, ९९६ से ९९८ और १००१ से १००६ . . . . . २४१९–४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८७, ९९५, ९९९, १००० और १००७ से १०१६ . . . . . २४४३–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३२५ से १३४६ और १३४८ से १३७९ . २४४८–७१

सभा पटल पर रखे गये पत्र २४७१–७२

राज्य-सभा से संदेश २४७२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २४७२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .

लंका में भारतीय उद्भव के राज्यहीन व्यक्ति २४७२–७३

सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . . २४७३–२५११

कार्य मंत्रणा समिति—

इक्कीसवां प्रतिवेदन २५११

दैनिक संक्षेपिका २५१२–१६

पृष्ठ

अंक २६—मंगलवार, १८ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

तारांकित प्रश्न संख्या १०१७, १०१९ से १०२५, १०२९, १०३१, १०३२, १०३४ से १०४०, १०४२ और १०४३ . . २५१७–४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १०१८, १०२६ से १०२८, १०३०, १०३३, १०४१ और १०४४ से १०५१ . . . . . २५४२–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३८० से १४२३ . . . २५४८–६९

सभा पटल पर रखे गये पत्र २५६९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .

रोडेशिया के एक यूरोपीय होटल से एक भारतीय राजनयाधिकारी का निकाला जाना २५६९–७०

कार्य मंत्रणा समिति .

इक्कीसवां प्रतिवेदन २५७०

सामान्य आय व्ययक, १९५८–५९—सामान्य चर्चा . . २५७१–८८

सरकारी भू गृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक संयुक्त समिति को सौंपने के लिए सहमति का प्रस्ताव २५८८–२६१९

दैनिक संक्षेपिका २६२०–२३

अंक २७—बुधवार, १९ मार्च १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५२ से १०५८, १०६० से १०६२, १०६४ १०६६ से १०६८ और १०७२ से १०७४ . . २६२५–४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६५, १०६९ से १०७१ और १०७५ से १०८८ २६४९–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या १४२४ से १४७०, १४७२ और १४७३ . २६५६–७५

स्थगन प्रस्ताव —

२० मार्च को छुट्टी घोषित न करना . . . २६७५–७७

सभा–पटल पर रखे गये पत्र . . . २६७७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आकाशवाणी में कलाकारों की कथित छंटनी . . २६७७–७९

रेलवे डाक सेवा के तीन कर्मचारियों की हत्या के बारे म वक्तव्य . २६७९–८०

पृष्ठ

सरकारी भू गृहादी (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक—
सहमति के लिये प्रस्ताव २६८०–८६

अनुदानों के लिये मांगें

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय २६८६–२७३०

दैनिक संक्षेपिका २७३१–३४

अंक २८—गुरुवार, २० मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९० से १०९५, १०९७, से ११०१, ११०४, ११०५, ११०७ से १११९, १११३ और १११५ से १११८ . २७३५–६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८९, १०९६, ११०२, ११०३, ११०६, १११२ और १११४ . . . . . २७६१–६३

अतारांकित प्रश्न संख्या १४७४ से १५२७ . . . २७६४–८७

सभा–पटल पर रखे गये पत्र २७८८

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति सत्रहवां प्रतिवेदन २७८८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

डीमापुर क्षेत्र में नागा विद्रोहियों का धावा . . २७८८–८९

अनुदानों की मांगें २७८९–२८३८

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . . . २७८९–२८०२

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय . . . २८०३–३८

दैनिक संक्षेपिका २८३९–४२

अंक २९—शुक्रवार, २१ मार्च, १९५८—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११९ से ११२३, ११२६, ११२७, ११२९ से ११३१, ११३४, ११३६, ११३८ से ११४१ और ११४३ . २८४३–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२५, ११२८, ११३२, ११३३, ११३५, ११३७ ११४२ और ११४४ से ११४९, ११५१ से ११५३, ११५५ और ११५६. . . . . २८६८–७४

अतारांकित प्रश्न संख्या १५२८ से १५७४ . २८७४–९५

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव —

सदर बाजार में अग्निकांड . . . २८९५

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . . २८९६

प्राक्कलन समिति

दूसरा प्रतिवेदन २८९६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

हिन्दुस्तान एयर–क्राफ्ट लिमिटेड में उत्पन्न स्थिति . २८९६–९७

सभा का कार्य २८९७

अनुदानों की मांगें—

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय . . . २८९७–२९२८

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति .

सत्रहवां प्रतिवेदन २९२८

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ५५क, ८२ और ११६ का संशोधन)—पुरःस्थापित २९२८

राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक (धारा ५१ का संशोधन)—पुरः–स्थापित २९२९

सामाजिक प्रथाएं (व्यय में कटौती) विधेयक) (धारा २० का संशो–धन और नई धारा २१ निविष्ट करना)—पुरःस्थापित २९२९–३०

खाद्य अपमिश्रण रोक (संशोधन) विधेयक (धारा २० का संशोधन और नई धारा २१ क का रखा जाना)—पुरःस्थापित . २९३०

मिरजापुर पाषाण महल (संशोधन) विधेयक (धारा ३ का संशोधन)—पुरःस्थापित २९३०

संघ राज्य–क्षेत्र (विधियां) संशोधन विधेयक—(धारा ३ का संशोधन) पुरःस्थापित . . . २९३१

दहेज रोक विधेयक—पुरःस्थापित २९३१

दहेज पर रोक विधेयक–; पुरःस्थापित . . . २९३१

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधक) विधेयक (नई धारा १२४ ख का रखा जाना)—वापस लिया गया २९३२

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का लोप) — विचार करने के लिए प्रस्ताव २९३२–४४

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

विचार करने के लिए प्रस्ताव . . २९४४–५६

दैनिक संक्षेपिका २९५७–६१

पृष्ठ

अंक ३०—सोमवार, २४ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५७ से ११६१, ११६३, ११७०, ११७१, ११७४, ११७५, ११७७ से ११८३, १०६३, ११६७, ११६८, ११६६ और ११७३ . २९६३–८७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . . २९८८–९१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११६४, ११६५, ११६९, ११७२ और ११७६ . . . . २९९२–९३

अतारांकित प्रश्न संख्या १५७५ से १६२३ . २९९३–३०१५

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . ३०१६

प्राक्कलन समिति

तीसरा प्रतिवेदन ३०१६

लोक-लेखा समिति

तीसरा प्रतिवेदन ३०१६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

अणुशक्ति आयोग ३०१६–१७

भारतीय शपथ (संशोधन) विधेयक

पुरस्थापित ३०१७

अनुदानों की मांगें—

स्वास्थ्य मंत्रालय ३०१८–७१

भाखड़ा नंगल की विद्युत् परियोजनाओं के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . ३०७१–७६

दैनिक संक्षेपिका ३०७७–७९

नोट: मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

सोमवार, २४ मार्च, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली में चिड़ियाघर

+

*११५७. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में चिड़िया घर दर्शकों के लिये अब तैयार हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें कितने जानवर रखे गये हैं ;

(ग) इस चिड़िया घर पर कितना मासिक व्यय किया जाता है ; और

(घ) क्या यह जनता के लिये औपचारिक रूप से खोल दिया गया है ?

सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) और (घ). जी नहीं। दर्शकों को पार्क में, जहां जानवर और पक्षी कच्चे घेरों में रखे जाते हैं, जाने की इजाजत है।

(ख) १२५ जानवर और २७७ पक्षी।

(ग) चिड़िया घर पर मासिक व्यय लगभग १७,०००.०० रुपये है।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री भक्त दर्शन : यह चिड़ियाघर अथवा जन्तुशाला कई वर्षों से बनती चली जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि और कितना समय इसके पूरे निर्माण में लगेगा और इसमें देरी होने के विशेष कारण क्या हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

डा० पं० शा० देशमुख : शुरू में तो यह काम दिल्ली स्टेट के सुपुर्द किया गया था। सन् १९५५ से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें इंटरेस्ट लिया, और सन् १९५८ तक यह पूरा हो जायेगा।

श्री भक्त दर्शन : इस जन्तुशाला पर कुल कितना खर्च होने का अनुमान है और अब तक इस पर कितना खर्च हो चुका है ?

डा० पं० शा० देशमुख : अब तक इस पर ९,३६,६८८.९८ रुपया खर्च हो चुका है। सैकिंड फाइव इअर प्लान में इसके लिए ३० से ५० लाख रुपये का प्रावीजन रखा गया है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या किसी विदेशी विशेषज्ञ को भी इस कार्य से सम्बद्ध किया गया है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** जी हां। शुरू से ही हमने विदेशी विशेषज्ञों को भी इस कार्य से सम्बद्ध किया है। सर्वप्रथम हमारे पास लंका के चिड़िया घर के निदेशक मेजर वेनमैन थे, लेकिन कुछ समय के बाद वह हमारी सहायता नहीं कर सके थे। फिर हमने कार्ल हेगनबैक की सेवायें प्राप्त कीं जो चिड़िया घर के संबंध में एक जर्मन विशेषज्ञ हैं और हैम्बर्ग चिड़िया घर के मालिक हैं। उन्होंने कार्यस्थल पर विस्तृत अध्ययन किया है।

†**श्री बर्मन :** क्या विदेशी नस्ल के कुछ जानवर भी मंगवायें गए है और यदि हां, तो अब तक प्राप्त जानवरों में से अधिक महत्वपूर्ण जानवर कौन से हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** जापान तथा इथोपिया से जानवर मंगवाये गए हैं।

सेठ गोविन्द दास : इस तरह के इस देश में जो दूसरे जू हैं उनके खर्चे और यहां पर जो खर्च हो रहा है उसका मिलान करके देखा गया है ? और अगर देखा गया है तो यहां जो खर्च हो रहा है क्या वह इस तरह के दूसरे बगीचों से ज्यादा नहीं है ?

डा० पं० शा० देशमुख : यह कुछ नया और अप टू डेट जू है। अब तक हमने इसके खर्चे की तुलना तो नहीं की है मगर हमारा खयाल है कि जो हम काम कर रहे हैं वह ठीक ठीक तरह से हो रहा है।

दिल्ली में क्षय रोगी

+

*११५८. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या स्वास्थ्य मंत्री ११ सितम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १६६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दिल्ली में क्षय रोगियों की चिकित्सा के लिए और अधिक चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं देने के मामले में इस बीच क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) बाकी काम कब तक समाप्त हो जायेग ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) इस बीच शाहदरा में एक तपेदिक क्लिनिक और तपेदिक अस्पताल, महरौली में ५२ विस्तरों का एक तपेदिक पृथक्करण वार्ड स्थापित किये

†मूल अंग्रेजी में

जा चुके हैं। अर्विन अस्पताल के अहाते में स्थापित किये जाने वाले क्षय रोगियों के पश्चावधान और पुनर्वास केन्द्र के लिए भूमि प्राप्त की चुकी है। यह केन्द्र १९५८-५९ में स्थापित किया जायेगा।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक पहाड़गंज, रूपनगर, पूसा रोड, निजामुद्दीन और मोती नगर में ५ तपेदिक क्लीनिक स्थापित किये जायेंगे तथा २५० तपेदिक पृथक्करण बिस्तरों की व्यवस्था की जायेगी।

श्री भक्त दर्शन : क्या शासन के ध्यान में यह बात आयी है कि दिल्ली में केवल दिल्ली के ही राज्यक्षमा के रोगी इलाज नहीं कराते बल्कि दूर-दूर से राज्य क्षमा के रोगी भी दिल्ली में इलाज कराने के लिए आते हैं और उनको बड़ी परेशानी होती है अतः क्या इस दिशा में जो नये लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उनको पूरा करने के लिए ज्यादा तेजी लायी जायेगी ?

श्री करमरकर : जितना पैसा है उतना ही टारगैट बनाया है। जरूरत तो ज्यादा है यह हम लोग जानते हैं, पर पैसा काफी नहीं है और इसलिए हमारे प्रयत्न की मर्यादा हो जाती है।

श्री भक्त दर्शन : यह बतलाया गया था कि जो बड़े अस्पताल हैं उनके सिवा पहाड़गज आदि ६ स्थानों पर टी० बी० क्लिनिक्स स्थापित किये जायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि वह कब तक पूरे तौर पर स्थापित हो जायेंगे और क्या इस दिशा में कोई कार्रवाई हो रही है ?

श्री करमरकर : मैंने असली जवाब में कहा है 'द्वितीय योजना अवधि के अन्त तक स्थापित किये जायेंगे'।

पंजाब में सहकारिता आन्दोलन

†*११५९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इक़बाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने पंजाब में सहकारिता आन्दोलन के विस्तार के लिये हाल ही में संघ सरकार से ऋण देने के लिये कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या वह ऋण दे दिया गया है ; और

(ग) उस ऋण की राशि कितनी है ?

†**सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) जी, हां।

(ख) जी, हाँ।

(ग) १०.१६ लाख रुपये।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** जहां तक सहकारी समितियों का संबंध है क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई लक्ष्य नियत किया गया है, और यदि हां, तो लक्ष्य क्या है ?

†**डा० ० शा० देशमुख :** हमने कुछ लक्ष्य नियत किये हैं परन्तु इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। हमने वर्षों के अनुसार भी लक्ष्य नियत किये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि :** इस समय पंजाब में कितने सहकारी फार्मों में काम हो रहा है।

†**डा० पं० शा० देशमुख :** इस प्रश्न का संबंध सहकारी फार्म आदि से नहीं है यह प्रश्न उन प्राथमिक विपणि समितियों को दी गई सहायता के संबंध में पूछा गया था जो विपणि गति-विधियों आदि का कार्य करती हैं। इसका सहकारी फार्म से कोई संबंध नहीं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** ऋण के निबन्धन क्या हैं? ब्याज कितना है और ऋण की राशि कब लौटाई जायेगी ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** ये उन योजनाओं के अनुसार हैं जो सदन को सामान्य रूप से भली भांति ज्ञात हैं। प्रतिरूप पहिले ही बताया जा चुका है।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या योजना से संबंधित कोई अधिसूचना अथवा कोई पत्र पुस्तकालय में प्राप्य हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** जी, हां।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य इस संबंध में मंत्री महोदय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** विस्तार कार्य के लिए और किन राज्य सरकारों ने ऋण मांगें हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** प्रत्येक राज्य सरकार ने ऋण मांगे हैं और सभी राज्य सरकारों को ऋण देने की एक योजना है।

जीपें

†*११६०. **श्री रा० च० माझी :** क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खण्ड क्षेत्रों से जीपें हटा लेने के संबंध में कोई प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे):** (क) यह निर्णय किया गया है कि प्रयेक खण्ड में सभी विस्तार कर्मचारीवृन्द के उपयोग के लिये एक जीप होनी चाहिये। सामुदायिक विकास खण्डों की पहले की श्रृंखलाओं में जहां एक से अधिक जीपें दी गई थीं उनमें एक गाड़ी रखी जायेगी और शेष गाड़ियां नए खंडों में उपयोग के लिये वापिस ले ली जायेंगी।

(ख) आयोजन संबंधी परियोजनाओं की समिति की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद आंशिक रूप से जीपें हटाने के संबंध में निर्णय किया गया है।

†**श्री रा० च० माझी :** क्या मंत्रालय को खण्डों के भीतर तथा बाहिर जीप गाड़ियों का प्रयोग करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है।

†**श्री सु० कु० डे :** जी, हां। हमें प्राप्त हुई हैं।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** सामुदायिक विकास खण्डों से जीप गाड़ियां हटाने का निर्णय किस कारण किया गया है ?

†**श्री सु० कु० डे :** बलवन्तराय मेहता अध्ययन दल के प्रतिवेदन के कारण ।

†**श्री त्यागी :** अब कितनी जीप गाड़ियों की इजाजत दी गई है और प्रत्येक जीप पर प्रतिमास औसत से कितनी रकम खर्च होती है ?

†**श्री सु० कु० डे :** अब के बाद एक खण्ड में केवल एक जीप गाड़ी रखने की अनुमति दी जायेगी और एक जीप पर प्रति मास लगभग २०० रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** क्या राज्य सरकारों को निर्णय से सूचित किया गया है और इसे लागू करने का काम उन पर छोड़ दिया गया है ?

†**श्री सु० कु० डे :** इसे एक दृढ़ निर्णय के रूप में राज्य सरकारों को बताया जा चुका है ।

†**श्री पु० र० पटेल :** मंत्री महोदय ने कहा है कि जीप गाड़ियों का कुप्रयोग किया गया है । इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री सु० कु० डे :** यद्यपि हम जानते हैं कि कुप्रयोग किया गया है और हमें उनसे सूचित भी किया गया है तथापि इसे सिद्ध करना बहुत कठिन है । सभी अच्छी चीजों का कुप्रयोग किया जाता है । वास्तव में समस्त विश्व के समक्ष यही समस्या है ।

चावल की खेती

***११६१. डा० राम सुभग सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का २ फुट से ५ फुट तक गहरे तालाबों और झीलों में चावल की खेती के लिये किसानों को सुविधायें देने का विचार हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी नहीं । यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों की ही है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं होता ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार को पता है कि किसी राज्य सरकार ने इस तरफ कोई कदम उठाया है या नहीं ?

डा० पं० शा० देशमुख : कहीं-कहीं तो ऐसा काम हो रहा है । हमने इस सम्बन्ध में एक दो रिसर्च स्कीम्स बनाई हैं और आशा भी है कि और भी स्टेट गवर्नमेंट्स इसको हाथ में लेंगी ।

---

† मूल अंग्रेजी में

डा० राम सुभग सिंह : जिन-जिन जगहों में वाटर-लागिंग के कारण लाखों एकड़ जमीन में पानी भरा रहता है, उनमें इस खेती को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार क्या उपाय काम में ला रही है ?

डा ० पं० शा० देशमुख : इसका एक्सटेंशन और एक्सपेंशन स्टेट गवर्नमेंट के सुपुर्द है, मगर इस सम्बन्ध में जो अनुसन्धान किया जाता है, उसके नतीजे हम उन्हें बतलाते हैं।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : इस वक्त सबसे ज्यादा वाटर-लागिंग पंजाब में है, जहां पर तीस या चालीस लाख एकड़ जमीन वाटर-लागिंग में आ गई है। मैंने कई बार वहां के मुख्य मंत्री और कृषि मंत्री से इस सवाल को उठाया और वे इस बारे में कोशिश कर रहे हैं और कुछ सफलता भी मिली है कि कुछ एरियाज में इस तरह पैडी को लगाया जाय।

सेठ गोविन्द दास : क्या केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों की कोई कमेटी नियुक्त करने का विचार कर रही है कि वह सारे भारतवर्ष में इस स्थिति को देखे और सब राज्यों में समान रूप से कार्य करने की योजना बनाए ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् इस संबंध में विशिष्ट ध्यान दे रही है और वे सहायता करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री रंगा :** क्या यह अनुमान लगाने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है कि जलानुविद्ध भूमि कितनी है और कितनी भूमि इस प्रकार की काश्त के लिये प्राप्त होगी ? क्या यह सच नहीं है कि वे पहिले से ही चावल की एक ऐसी किस्म की खोज कर चुके हैं जिससे इन जलानुविद्ध क्षेत्रों में उगाया जा सकता है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** कुछ किस्में ऐसी हैं जो इन क्षेत्रों में काश्त के लिये उपयुक्त हैं। यह ठीक तौर पर मालूम नहीं है कि इस फसल के लिये कितना क्षेत्र प्राप्य है।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या इस संबंध में कटक की केन्द्रीय चावल गवेषणा संस्था ने कोई गवेषणा कार्य किया है, और यदि हां, तो वह क्या है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** इस सम्बन्ध में गवेषणा करना केन्द्रीय चावल गवेषणा संस्था के कृत्यों में शामिल है। परन्तु उन्होंने वस्तुतः क्या कुछ किया है इस बात का ब्यौरा मेरे पास नहीं है।

†**श्री रंगा :** कटक की गवेषणा संस्था इस मामले में पहिले ही सरकार को मंत्रणा दे चुकी है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री को यह बात मालूम नहीं है।

रेल के फाटक

\+

*११६३. **श्री पद्म देव :**
श्री हेम राज :

क्या **रेलवे** मंत्री २० नवम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलों के फाटकों के सम्बन्ध में रेलवे गवेषणा केन्द्र, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत की गई योजना को कार्यान्वित करने में देरी के क्या कारण हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह योजना कब तक लागू कर दी जायेगी ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) रेलों में लागू करने से पहले अभी यह देखना है कि अमल में यह योजना कैसी रहेगी ।

(ख) जब आटोमैटिक बैरियर के बारे में कुछ और अनुभव हो जायेगा, तब इस योजना को लागू करने के सवाल पर फैसला किया जायेगा । लखनऊ में एक आटोमैटिक बैरियर लगाया गया है और इसके मौजूदा नमूने के काम का सही-सही अन्दाजा लग जाने के बाद एक दूसरा बैरियर गोरखपुर में लगाने का विचार है ।

†**श्री पद्म देव :** इस नई स्कीम के लागू होने पर, जबकि वहां से मजदूर हटा लिये जायेंगे, सरकार को कितनी बचत होगी ?

†**श्री शाहनवाज़ खां :** यह सवाल अभी तो कब्ल-अज-वक्त है ।

†**श्री तंगामणि :** ६ महीने पहले यह योजना प्रस्तुत की गई थी इस स्थिति में क्या प्रत्येक जोन के किसी एक स्थान में इस योजना का परीक्षण किया जायेगा ।

†**श्री शाहनवाज़ खां :** जी हां । उत्तर रेलवे के आलमबाग में आजकल इसका परीक्षण किया जा रहा है । यथार्थ स्थितियों में सका अध्ययन करने के पश्चात् हम इसे अन्य जोन में लागू करेंगे ।

†**श्री तंगामणि :** क्या अन्य जोन के दूसरे स्थानों में भी इसे लागू किया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह तो कार्यवाही के लिये सुझाव है :

कोचीन पत्तन में नैमित्तिक मजदूर रखने की पद्धति का अन्त करना

†*११७०. **श्री कोडियान :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन में नैमित्तिक मजदूर रखने की पद्धति का अन्त करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी हां ।

(ख) विचाराधीन योजना उस योजना से मिलती जुलती है जो मद्रास पत्तन में क्रियान्वित हो रही है ।

†**श्री कोडियान :** खलासियों के अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत सिर पर बोझा ढोने वाले और जहाज ठहरने के स्थान तक उसमें सामान ढोने और उतारने वाले मजदूर भी सम्मिलित हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** उक्त श्रमिक भी समें सम्मिलित हो सकते हैं । किन्तु मैं यह बात बतादूं कि अनेक कारणों से इस योजना की क्रियान्विति में देर हो रही है ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** क्या कोचीन पत्तन में नैमित्तिक मजदूर रखने की पद्धति का अन्त करने के लिये सरकार द्वारा कोई समय-सीमा निर्धारित को गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर :** यह विचाराधीन है ।

†**श्री तंगामणि :** क्या सरकार को मालूम है कि पद्धति का अन्त करने की योजना और १९५० के पञ्चवाट की सिफारिशें क्रियान्वित करने में विलम्ब के कारण कोचीन पत्तन में विगत दो महीने से सत्याग्रह चल रहा है ?

†**श्री राज बहादुर :** जहां तक मुझे स्मरण है कोचीन पत्तन में सत्याग्रह नहीं हो रहा है । एक श्रमिक की ओर से मान्यता प्रदान न करने के कारण कुछ आन्दोलन हो रहा है । सभा की जानकारी के लिये मैं यह बतादूं कि नैमित्तिक मजदूर रखने की प्रथा अन्त करने की सीमा पत्तन में प्रवेश करने वाले जहाजों, माल की किस्म और स्वरूप तथा उपलब्ध सुविधाओं आदि पर निर्भर है । ये सब बातें परिवर्तित होती रहती हैं । अतः मांग की स्वीकृति न सब बातों पर निर्भर है जो एक सदृश नहीं रहती ।

†**श्री तंगामणि :** क्या यह सच नहीं है कि कोचीन पत्तन में नियोजित ६०० श्रमिक अभी अस्थायी सूची में हैं यद्यपि वे दस वर्ष से अधिक सेवा कर चुके हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** इन नैमित्तिक श्रमिकों को रखने के कारण और परिस्थितियां मैंने पहले बता दी है ।

†**श्री कोडियान :** क्या सरकार की सम्मति में यह आवश्यक है कि एक श्रमिक संघ से सम्बन्धित श्रमिक को ही काम दिया जाये और क्या नैमित्तिक मजदूरों की प्रथा के अन्त करने से सम्बन्धित निर्णय तक क्या उसे रोका जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर :** जहां तक नैमित्तिक मजदूर रखने की प्रथा को अन्त करने का प्रश्न है उसमें इस दृष्टि से किसी भेदभाव का विचार नहीं किया जा सकता है कि अमुक श्रमिक किसी संघ विशेष से सम्बन्धित है ।

रेलवे में तांबे के तारों की चोरी

†*११७१. { **श्री बि० दास गुप्त :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि तांबे के ऊपरी तारों की चोटी के परिणामस्वरूप बिजली से चलने वाली चार डाउन गाड़ियां कई घंटों तक और १ अप गाड़ी लगभग आधे घंटे तक शुक्रवार, २१ फरवरी, १९५८ को प्रातःकाल हावड़ा डिवीजन पर लेट हो गई ;

(ख) यदि हां, तो गाड़ियों के रुकने के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) तारों के वजन, लम्बाई और कीमत के रूप में कितनी हानि हुई ;

(घ) भविष्य में इस प्रकार के कृत्य रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में गिरफ्तारियां की गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां। किन्तु ये गाड़ियां बिजली से नहीं परन्तु भाप के इंजन से चल रही थीं ।

(ख) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११६**]

(ग) चोरी जाने वाले तार का वजन २०० पौंड है और कीमत ४५० रुपये हैं ।

(घ) इस मार्ग पर व्यापक रूप में गश्त लगाने का प्रबन्ध किया गया है और निरीक्षण अधिकारी अब बार-बार जांच करने लगे हैं ।

(ङ) अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है ।

†**श्री बि० दास गुप्त** : क्या यह सच नहीं है कि रेल सम्पदा की सुरक्षा के लिये रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना की गई है। क्या उक्त रेलवे लाइन के लिये पहरेदारी के लिये कोई प्रबन्ध किया गया था तथा क्या इसके लिये किसी को उत्तरदायी करार दिया गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : व्यावहारिक दृष्टि से यह असंभव है कि रेलवे सुरक्षा बल रेलवे लाइन का एक-एक इंच अथवा टेलीग्राफ के तार या रेलवे लाइन के बिजली के तारों की रक्षा करे। आवश्यकता होने पर गहन पैट्रोल की व्यवस्था अपनाई गई है। किसी ने तार हटा दिये थे और पुलिस को इस मामले की सूचना दे दी गई है । पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वे जांच-पड़ताल कर रहे हैं ।

†**श्री बि० दास गुप्त** : विवरण से प्रकट है कि कुछ प्रमुख लोकल रेलगाड़ियां ३७ मिनट से लेकर चार घंटे तक रुकी हैं और इस प्रकार जनता को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ा इस को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार यह आवश्यक समझती है कि इस प्रकार की चोरी के लिये कठोर दण्ड दिया जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है ।

भाखड़ा नंगल से राजस्थान को जल संभरण

†***११७४. श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि भाखड़ा नंगल से राजस्थान को जल संभरण अत्यन्त अनियमित है और खाद्यान्न उत्पादन उससे प्रभावित आ है ;

(ख) जल-संभरण नियंत्रण किस एजेंसी पर निर्भर है ; और

(ग) भविष्य में नियमित रूप से जल संभरण सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवा ी करने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) राजस्थान सरकार ने हाल ही में भारत सरकार को यह बात बताई है कि उन्हें भाखड़ा मुख्य नहर के अन्तिम सिरे से जल संभरण किया जाता है और सकी मात्रा में प्रायः परिवर्तन होता रहता है तथा राज्य में खाद्यान्नों का उत्पादन उससे प्रभावित हुआ है ।

मूल अंग्रेजी में

(ख) पजाब और राजस्थान राज्यों में जल संभरण करने के लिये भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड नें नियम बनाये है ।

(ख) इन नियमों के अन्तर्गत पंजाब के इंजीनियर ही राजस्थान के जल संभरण पर नियंत्रण करते हैं ।

(ग) इस वि य पर उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद् की २ मार्च, १९५८ की मीटिंग में चर्चा की गई थी । जिस में पंजाब और राजस्थान सरकारों के प्रतिनिधि उपस्थित थे । इसमें यह तय किया गया कि राजस्थान के जल सभरण को नापने के लि एक स्वचालित रेकार्डर प्रतिष्ठापित कर दिया जाय और पंजाब सरकार यह बात निश्चित कर दे कि राजस्थान सरकार को नियमानुसार जल मिलता रहे ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या राजस्थान सरकार का इस बात पर कोई नियंत्रण है कि समय पर जल संभरण किया जाय ?

†**श्री हाथी :** नियमों के अन्तर्गत जल मुख्य . नहरों से संभरित किया जायेगा । ये नहरें पंजाब राज्य क्षेत्र में हैं और पंजाब के इंजीनियर संभरण का नियंत्रण करते हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** माननीय मंत्री के उत्तर से प्रकट है कि अनियमित जल संभरण के सम्बन्ध में शिकायतें की गई हैं और यह बात स्वीकार कर ली गई है । अब स्वत: जल संभरण का प्रबंध किया गया है जिस के अनुसार पूरी मात्रा में जल मिलेगा । किन्तु उचित समय में जल संभरण करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

†**श्री हाथी :** नियमों के अन्तर्गत निश्चित दिनों पर निर्धारित मात्रा में जल संभरण का प्रबन्ध है । स्वचालित यंत्र से यह मालूम हो जायेगा कि अमुक दिन निर्धारित मात्रा में जल संभरित किया गया था ? यही रोक थाम है ।

†**श्री कासलीवाल :** भाखड़ा नंगल से राजस्थान तिवर्ष कितनी मात्रा में जल प्राप्त करने का अधिकारी है तथा १९५६–५७ में कितना जल प्राप्त हुआ है ?

†**श्री हाथी :** मेरे पास समूची मात्रा के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं हैं क्योंकि इस में समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है । और वे कितनी मात्रा पाने के अधिकारी हैं । मेरे पास यह बताने वाले आंकड़े नहीं हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** भाखड़ा नंगल किसानों को लगभग कितना क्यूसेक्स जल संभरण कर सकता है और कितना जल यथार्थत: सम्भिरत हो रहा है उसकी क्षमता और यथार्थ संभरण कितना-कितना है ?

†**श्री हाथी :** भाखड़ा नहरों से लगभग १३ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई की जायेगी और राजस्थान और पंजाब में कुल मिलाकर इस समय ११ लाख एकड़ जमीन सींची जा रही है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या माननीय सदस्य को मालूम है कि १९५५–५६ में जो ४१,००० एक जमीन की सिंचाई की गई थी १९५६–५७ में उसी जमीन को पानी नहीं दिया गया ? यदि यह सच है तो क्या इस विषय की जांच की गई है और उत्तरदायित्व निश्चित किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी:** १९५५-५६ और १९५४-५५ में कुछ कमी थी । हमने राजस्थान सरकार से जांच की है और उन्होंने कारण बता दिये हैं। पहले तो उन्होंने बताया है कि अमर सिंह ब्रांच, दक्षिण कादर ब्रांच और सतुर ब्रांच तैयार हो चुकी थी और जून, १९५६ में वे जल संभरण की पूरी मात्रा के लिये तैयार नहीं थे। दूसरा कारण यह था कि जाब से नियमित रूप में जल संभरण नहीं किया गया और इसी कारण से वे सम्पूर्ण क्षेत्र की सिंचाई नहीं कर सके ।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी:** क्या इस परियोजना से जल वितरण करने पर पंजाब का प्रशासनिक नियंत्रण है अथवा भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड का है, और यदि हां, तो क्या नियंत्रण बोर्ड में राजस्थान का कोई प्रतिनिधि है ?

†**श्री हाथी :** जल वितरण सम्बन्धी नियम एवं सम्पूर्ण प्रक्रिया भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर:** माननीय मंत्री का कथन है कि जाब से अनियमित जल संभरण तथा नहरों को पक्का करने के कारण ४१,००० एकड़ भूमि में जल संभरण नहीं किया जा सका। क्या इस बात की जांच की गई है कि नहरों का पक्का करने का कार्य मौसम के बाद नहीं किया जा सकता था और क्या ४१,००० एकड़ भूमि के कृषकों को पहले से सूचना नहीं दी जा सकती थी कि उन्हें जल संभरण नहीं किया जा सकेगा ?

†**श्री हाथी:** कदाचित् राजस्थान सरकार इस पर विचार करेगी।

सम्बलपुर, उड़ीसा में मेडिकल कालिज

†***११७५. श्री प्र० के० देव:** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ६ दिसम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा राज्य में सम्बलपुर में द्वितीय मेडिकल कालेज की स्थापना के लिये भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित सहायता की वर्तमान अवस्था क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** इस विषय में और कोई प्रगति नहीं हुई ।

†**श्री प्र० के० देव:** क्या भारत सरकार का ध्यान उड़ीसा के मुख्य मंत्री के उस प्रेस वक्तव्य की ओर आकर्षित हुआ है कि १९६२ तक उड़ीसा में ७०० डाक्टरों की जरूरत होगी ?

†**श्री करमरकर:** इस वक्तव्य की ओर मेरा ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है किन्तु मुझे मालूम है कि उड़ीसा को डाक्टरों की आवश्यकता है । हमारे पास धनाभाव है।

†**श्री प्र० के० देव:** क्या उड़ीसा सरकार ने सम्बलपुर में द्वितीय मेडिकल कालेज की स्थापना के लिये भारत सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है ?

†**श्री करमरकर:** उन्होंने द्वितीय मेडिकल कालेज के लिये कहा है । जैसा मैं ने कहा था केन्द्रीय सरकार के पास धन की कमी है । नये कालेजों की स्थापना, कुछ कालेजों

---

†मूल अंग्रेजी में

का दर्जा ऊंचा करने और शिक्षक वर्ग में वृद्धि करने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ६ ½ करोड़ रुपये की रकम नियत की गई थी। उड़ीसा से दो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । कटक के मेडिकल कालेज में विद्यार्थियों की संख्या ६२ से बढ़ाकर १०० करने की एक योजना स्वीकृत कर ली गई है । अभी उन्होंने इसे कार्यान्वित नहीं किया है ; उन्होंने ७५ विद्यार्थियों के प्रवेश तक ही इसे बढ़ाया है । वे इसे बढ़ा कर १०० विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिये प्रयत्नशील हैं ।

चूंकि रकम आवंटित की जा चुकी है दूसरे कालेज का प्रस्ताव स्वीकार करना कठिन है ।

†**श्री सूपकार** : क्या उत्कल विश्वविद्यालय ने उड़ीसा सरकार के जरिये एक योजना प्रस्तुत की थी कि द्वितीय योजना अवधि में ६१ लाख रुपये से अधिक खर्च आवश्यक नहीं है ?

†**श्री करमरकर** : नये कालेज के लिये हम अधिकतम राशि १६ लाख रुपये दे सकते हैं। सम्पूर्ण उपलब्ध राशि विभिन्न कालेजों के सम्बन्ध में आवंटित की गई है, ; सात नये कालेज आरम्भ किये जायेंगे ; कुछ और कालेज भी हैं जिन में कटक स्थित कालेज का प्रसार भी किया जायेगा ताकि उस में अधिक विद्यार्थी भरती किये जा सकें।

श्री प्र० गं० देव : क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में अधिक राशि आवंटित की जायेगी ?

†**श्री करमरकर** : किसी भी प्रकार का वचन देने की दृष्टि से तृतीय पंचवर्षीय योजना की कल्पना अभी नहीं की जा सकती है ?

†**श्री पाणिग्रही** : क्या प्रधान मंत्री की कटक यात्रा के समय इस आशय का प्रतिनिधान किया गया था कि कटक में दूसरा अस्पताल खुलना चाहिये और क्या सरकार ने उस पर विचार किया है ?

†**श्री करमरकर** : इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : दूसरा प्रश्न।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं एक प्रश्न पूछूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है । मेरा विचार है कि माननीय सदस्य राजस्थान से सम्बन्धित हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है। और सारे देश से इसका संबंध है।

अध्यक्ष महोदय : उनका नाम न पुकारने के लिये मैं केवल बहाना कर रहा था।

---

†मूल अंग्रेजी में

दमदम में विमान दुर्घटना

+

†*११७७. { श्री तंगामणि :
श्री आसर :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर जाने वाला इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का स्काई मास्टर विमान ४ मार्च, १९५८ को दमदम हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस दुर्घटना का क्या कारण है ;

(घ) इस में कितनी हानि हुई है ; और

(ङ) क्या इस दुर्घटना में कुछ यात्री घायल हुए हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर): (क) से (ङ). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११७]

†श्री तंगामणि : विवरण से प्रतीत होता है कि इस दुर्घटना की जांच की जा रही है । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसी स्थान पर छः महीने पहले एक गंभीर दुर्घटना में ६ व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, इस दुर्घटना की जांच के लिये एक जांच समिति की नियुक्ति की जायेगी ?

†श्री हुमायूं कबीर : यह कोई बड़ी दुर्घटना है । दूसरी बड़ी दुर्घटना की जांच की गई है । कुछ दिनों पहले मैं ने बताया था कि इस रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है और इसकी एक प्रति हम ब्रिटिश सरकार को भेजेंगे ।

†श्री आसर : घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने में कितना समय लगा ?

†श्री हुमायूं कबीर : विमान के बाहर आते ही उन्हें तुरन्त आर० जी० कार अस्पताल में ले जाया गया जो बहुत दूर नहीं है ।

†श्री तंगामणि : ३८ व्यक्तियों में से जो घायल नहीं हुए थे उनमें से कितने यात्री सीधे मद्रास जाने वाले थे और वहां जाने के लिये उन्हें नागपुर में विमान उपलब्ध कराने के लिये क्या व्यवस्था की गई ?

†श्री हुमायूं कबीर : उस में ३८ नहीं किन्तु ४३ यात्री थे । केवल दो यात्रियों को कुछ चोटें आईं ।

†श्री जोकीम आल्वा : भारतीय विमान बल के अन्तर्गत हाल ही में एक विमान चिकित्सा सम्मेलन हुआ था । इस सम्मेलन में चिकित्सा परामर्शदाताओं की यह राय थी कि निर्दिष्ट ऊंचाई से ऊपर जाने वाले चालकों को विशिष्ट रोग हो जाते हैं जिनसे कुछ हानि पहुंचती है । क्या हमारे विमान चालकों की इस पद्धति के अन्तर्गत जांच की गई है तथा क्या उक्त प्रकार का प्रभाव दृष्टिगोचर हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री हुमायूं कबीर :** इस बात का पूर्ण प्रयत्न किया जाता है कि विमान चालकों का स्वास्थ्य अच्छा रहे । समय-समय पर उन का मुआयना किया जाता है । किन्तु उपरोक्त दुर्घटना जमीन पर हुई थी ।

†**श्री तंगामणि :** विवरण में बताया गया है कि ४३ में से दो यात्रियों को चोटें आईं । इन ४१ यात्रियों को नागपुर ले जाने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया था और मद्रास के यात्रियों के लिये क्या व्यवस्था की गई थी ?

†**श्री हुमायूं कबीर :** इस के लिये पूर्व सूचना चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय :** दूसरा प्रश्न ।

†**श्री बीरेन राय :** श्रीमान्, एक प्रश्न और !

†**अध्यक्ष महोदय :** जी नहीं । मैं दूसरे प्रश्न पर आ गया हूं ।

बर्मा से चावल का आयात

†*११७८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ और १९५७-५८ में बर्मा से कुल कितना चावल मंगाया गया ;

(ख) इस में से अभी तक कितना चावल बेचा गया है ; और

(ग) अभी तक बेचे गये चावल पर सरकार को कितनी कठिनाई हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) १९५६-५७ में ४१४.१ सहस्र टन ।

१९५७-५८ में फरवरी, १९५८ के अन्त तक ४१३.२ सहस्र टन ।

(ख) लगभग ६८५ सहस्र टन ।

(ग) लगभग ८ करोड़ रुपये ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या इस नुकसान को न होने देने के लिये अथवा उस में कमी के लिये सरकार के पास कोई योजना है ?

†**श्री अ० म० थामस :** हमें बर्मी चावल निम्न कीमत पर मिलता है :

१९५७ में ३३ पौण्ड ; १९५८ में ३२ पौण्ड ; १९५६ में ३४ पौण्ड । हम घाटा उठा कर इसे १६ रुपये मन से बेच रहे हैं । अतः इस में अनिवार्यतः कुछ अन्तर रहेगा ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** इस का उद्देश्य आन्तरिक बाजार में चावल की कीमत कम करना है । हम विश्व-बाजार में चावल की कीमत का नियंत्रण नहीं करते हैं । अतः हमें अधिक कीमत पर आयात करना पड़ता है । और यदि हम घाटा कम करने की कोशिश करें तो हमारा उद्देश्य ही निष्फल हो जायेगा ।

†**श्री त्यागी :** क्या भारत म चावल की मांग पूरी करने के लिये यह चावल मंगाया जा रहा है अथवा बर्मा की ओर हमारा जो ऋण है उस की अदायगी में यह आ रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० प्र० जैन :** पांच वर्ष की अवधि में २० लाख टन चावल आयात करने का समझौता किया गया था । इस का एक मात्र उद्देश्य आन्तरिक संभरण की स्थिति को सम्बल प्रदान करना है ।

†**श्री रंगा :** क्या यह सच नहीं है कि बर्मा को हम जो कीमत दे रहे हैं वह विश्व में आज-कल की कीमतों में सब से ऊंची है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** मेरे विचार में यह सब से कम है ।

†**श्री रंगा :** सब से कम ?

†**श्री कासलीवाल :** यह चावल किन-किन क्षेत्रों में भेजा जाता है ?

†**श्री अ० म० थामस :** मुख्यत: बम्बई और कलकत्ता ।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी :** बर्मा के चावल की कीमत बातचीत के पश्चात् तय की गई थी अथवा यहां बर्मा के बाजार भाव के अनुसार है ?

†**श्री अ० म० थामस :** बातचीत के पश्चात् तय की गई थी ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या यह सच है कि हम इस कार्य के लिये बर्मा को स्टर्लिंग रूप में भुगतान करते हैं ?

†**श्री अ० म० थामस :** जी हां ।

सेठ गोविन्द दास : अभी मंत्री जी ने यह कहा कि जो क़ीमत हम बर्मा के चावल की देते हैं वह संसार की नीची से नीची क़ीमत है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर नीची से नीची क़ीमत है तो हमें नुक़सान क्यों होता है ?

श्री त्यागी : हमारे से ऊंची है ।

श्री अ० प्र० जैन : मैं ने यह ज़रूर कहा कि नीची क़ीमत है लेकिन हम उस से भी कम क़ीमत मे बेच रहे हैं तो उस से नुक्सान तो होगा ही ।

†**श्री रंगा :** हम किन-किन दो या तीन देशों को अधिक मूल्य दे रहे हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** फिलहाल तो हम किसी अन्य देश से नहीं खरीद रहे हैं ।

†**श्री रंगा :** इसलिये यही सब से कम है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह आवश्यक नहीं है : क्योंकि सभी का मूल्य अधिक है इसलिये वह केवल बर्मा से खरीद रहे हैं ।

†**श्री रंगा :** हम बर्मा को छोड़ कर किसी अन्य देश से नहीं खरीद रहे हैं । इसलिये उन का कहना है कि वही सब से कम है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस प्रकार से तर्क करना उचित नहीं प्रतीत होता । मंत्री महोदय ने अभी कहा कि वह जो मूल्य दे रहे हे हैं वही सब से कम है । माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि क्या वह किसी अन्य देश से भी खरीद रहे हैं ताकि वह यह जान सकें कि कहीं वह अधिक कीमत तो नहीं

---

†मूल अंग्रेज़ी में

देते । पता करने का केवल तरीका यह नहीं है कि अधिक कीमत अदा कर के अधिक कीमत जानो । आप यह जान सकते हैं वहां कीमतें अधिक हैं और उन्हें कम मूल्य पर खरीदा जाता है । माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने में जल्द बाजी नहीं करनी चाहिये । उन्हें सोच कर पूछना चाहिये ।

†**श्री रंगा** : हम उस के बारे में सोच चुके हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि इस के बारे में सोचा गया होता तो यह प्रश्न भी नहीं पूछा गया होता ।

†**श्री पु० र० पटेल** : मंत्री महोदय के कथनानुसार यदि चावल सब से कम मूल्य पर बर्मा से खरीदा गया है और यदि विश्व में सब से कम मूल्य यही था, तो किसानों को यही कीमत अदा करने की गारंटी क्यों नहीं दी जाती ताकि देश में ही अधिक चावल मिल सके ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

पहाड़ी स्थानों के लिये भाड़े और किराये की दरें

†*११७९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहाड़ी रेलवे के किरायों और भाड़े की दरों में कमी करने के लिये सरकार से अभ्यावेदन किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन पर विचार कर कोई निश्चय किया है ?

†**रेलवे उपमंत्री** (श्री **शाहनवाज़ खां**) : (क) जी हां ।

(ख) १५-९-५७ से कुछ सैक्शनों पर दरों में की गयी वृद्धि समाप्त कर दी गई है और अन्य सैक्शनों में उस में २५ प्रतिशत कमी कर दी गई है ।

बाद में आय अभ्यावदनों पर विचार किया गया है लेकिन और आगे कमी करने का विचार नहीं है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : रेलवे बोर्ड और आगे विचार करने के पक्ष में क्यों नहीं है क्योंकि भाड़े के सम्बन्ध में अन्य क्षेत्रों में तो रियायत की जा रही है '?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : मैं ने अभी बताया कि इस मामले पर पूरी तरह विचार किया गया —जिसे अधिक देर भी नहीं हुई है क्योंकि १५ सितम्बर को निश्चय हुआ है और जिन बातों पर हम विचार कर सकते थे उन सभी पर पूरी तरह विचार कर लिया गया है ।

†**श्री भक्त दर्शन** : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ लाइनों पर किराये घटा दिये गये हैं फिर भी जो आम रेट है उस से वे बहुत ज्यादा हैं और उस का असर स्केयरसिटी एरियाज़ पर पड़ रहा है क्योंकि उन को ग़ल्ला महंगा मिलता है तो क्या इस पर फिर से विचार किया जायेगा ?

श्री शाहनवाज़ खां : जहां तक हमारे लिये किराये कम करना मुमकिन था उतना किराया हम ने कम कर दिया । फ़िलहाल मौजूदा हालात में इस से ज्यादा और कम नहीं कर सकते ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री त्यागी : क्या यह सच है कि काल्का-शिमला लाइन पर यह दर मैदानी क्षेत्रों की सामान्य दर से तिगुनी या ३०० प्रतिशत अधिक है ? पहले यह ४०० प्रतिशत थी, अब इसे घटा कर ३०० प्रतिशत कर दिया गया है ?

†श्री शाहनवाज खां : जिन क्षेत्रों में ढाल १ में ५० से अधिक ढलुवां थी वहां हम ने दरों में २५ प्रतिशत कमी कर दी है । इसे तो माननीय सदस्य भी काफी मानेंगे ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : भाड़ों और किरायों को अन्य स्थानों के भाड़ों और किरायों के समान स्तर पर लाने के लिये कितनी राशि की जरूरत होगी ?

†अध्यक्ष महोदय : यदि इन्हें कम किया जाये तो कितना घाटा होगा ?

†श्री शाहनवाज खां : इस के लिये मुझे पूर्व-सूचना चाहिये ।

†श्री त्यागी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार की सामान्य नीति भारत भर में दरों को औसत स्तर पर लाने की है, पहाड़ी रास्तों के साथ क्यों विशिष्ट व्यवहार किया जाता है जहां कि आने-जाने के दूसरे साधन नहीं हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : यह तो तर्क है ।

†श्री त्रि० ना० सिंह : क्या सरकार ने इन लाइनों पर बढ़ाई हुई दरें वसूल करने की नीति पर पूरी तरह विचार किया है, और क्या यह सच नहीं है कि सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्त की गई समितियों ने इस नीति को रद्द करने की सिफारिश की है ?

†श्री शाहनवाज खां : यह बात बिल्कुल ऐसी नहीं है । हाल ही में रेलवे भाड़ा-क्रम जांच समिति ने इस मामले की जांच की थी और सदस्यों के बहुमत ने यह सिफारिश की है कि मौजूदा प्रणाली में कोई परिवर्त्तन नहीं होना चाहिये ।

नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़- नियंत्रण कार्यों सम्बन्धी गवेषणा

\+

†*११८०. **श्री राम कृष्ण :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़-नियंत्रण कार्यों सम्बन्धी समस्याओं के बारे में आधार भूत और बुनियादी गवेषणा के लिये १ करोड़ रुपये की योजना मंजूर की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की क्रियान्विति का ब्यौरा क्या है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां । नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ नियंत्रण कार्यों के सम्बन्ध में आधारभूत और बुनियादी गवेषणा के लिये एक योजना, जिस पर १०५ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है, भारत सरकार ने मंजूर की है ।

(ख) कुछ विशिष्ट समस्याओं के बारे में यह गवेषणा द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में देश के विभिन्न गवेषणा केन्द्रों में चलाई जायेगी और इस प्रयोजन के लिये १९५७-५८ में होने वाला व्यय पूरा करने के लिये आवश्यक धन राज्य सरकारों और बंगलौर की भारतीय विज्ञान संस्था

†मूल अंग्रेजी में

के सुपुर्द कर दिया गया है । लोक-सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में यह दिखाया गया है कि (क) किन समस्याओं के बारे में गवेषणा जारी रखी जायेगी और क्या क्या व्यय होगा ; और (ख) यह गवेषणा किन केन्द्रों में की जायेगी । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११८]

†श्री राम कृष्ण : इस के लिये अलग-अलग राज्यों को कितना-कितना धन दिया गया है ?

†श्री हाथी : यह धन किसी राज्य में स्थित विभिन्न संस्थाओं को दिया जाना है । ये राज्य हैं : मैसूर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, मद्रास, आन्ध्र, बिहार, बम्बई और आसाम । इन राज्यों को धन इसलिये दिया गया है कि विभिन्न गवेषणा संस्थायें इन्हीं राज्यों में स्थित हैं ।

†श्री हेम बरुआ : क्या बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी आधारभूत गवेषणा के सम्बन्ध में हमारी सीमा के उस पार स्थित हिमालय-अंचलीय देश—नेपाल, भूटान और चीन—बहुमूल्य जानकारी दे कर हमारी सहायता कर रहे हैं और यदि हां, तो हमें किस सीमा तक यह सहायता मिल रही है ?

†श्री हाथी : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, यह किसी विशेष प्रणाली सम्बन्धी गवेषणा के बारे में है, लेकिन हमें जब भी आवश्यकता होती है हमें इन देशों से, विशेष रूप से बाढ़ के दिनों में, जब चाहे हमें मिल सकती है ।

†श्री तंगामणि : इन १२ गवेषणा केन्द्रों के लिये जो १०५ लाख रुपये अलग किये गये हैं उन में से मद्रास की चेपाक की कांक्रीट एण्ड सायल लैबोरेटरी को कितना रुपया दिया गया है ?

†श्री हाथी : विभिन्न गवेषणा प्रयोगशालाओं ने भिन्न गवेषणा कार्य लिया है । मद्रास को १६५७-५८ के लिये ३५,४०६ रुपये दिये गये थे । जहां तक योजना-अवधि का प्रश्न है, यह राशि १,६५,६१८ रुपये है ।

†श्री हेम बरुआ : त्सांग्पो—अर्थात् ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हमें चीन से कैसी जानकारी मिलती है ?

†श्री हाथी : हमें किसी विशेष नदी या नदी-घाटी के विषय में सूचना नहीं मिलती । बाढ़ की अवधि में हमें बाढ़ के खतरे की सूचना और ऐसी सूचनायें मिल जाती हैं जो हमें सतर्क कर देती हैं ।

†श्री दासप्पा : जहां तक बाढ़ों का सम्बन्ध है क्या बर्फीली चट्टानों के खिसकने के प्रश्न का अध्ययन किया जा रहा है ?

†श्री हाथी : जी नहीं । जहां तक मौजूदा कार्यक्रम का सम्बन्ध है, १२ विषयों के बारे में गवषेणा की जानी है । जो विवरण लोक-सभा-पटल पर रखा गया है उस में वह १२ विषय दिये हुए हैं ।

पंजाब में मीन-क्षेत्रों का विकास

†*११८१. श्री दलजीत सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १६५८-५६ में मीन क्षेत्रों का विकास करने के लिये पंजाब सरकार के लिये कुछ अनुदान मंजूर किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितने ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) और (ख). १९५८-५९ में मीन-क्षेत्र विकास योजनाओं के लिये ०.४१ लाख रुपयों की राशि का उपबन्ध किया गया है। राशि का वास्तविक भुगतान अप्रैल में वित्तीय वर्ष आरम्भ होने के बाद किया जायेगा।

†श्री दलजीत सिंह : पंजाब में मीन-क्षेत्रों के विकास के लिये कौन-कौन सी योजनायें चलाई जा रही हैं ?

†डा० पं० शा० देशमुख : अवरुद्ध जल-स्रोतों का बड़ी मात्रा में संग्रह कर मछलियों के विकास के विस्तार की योजना ; पंजाब के तीन महत्वपूर्ण मीन-संरक्षण केन्द्रों में कोल्ड-स्टोरेज के प्रबन्ध की योजना ; सहकारिता के आधार पर मछलियों की बिक्री के लिये मछुओं की सहकारी समितियों को ब्याज-रहित ऋण देने की योजना ; मीन-क्षेत्र विकास योजना ; और अम्बाला जिले में मछलियां रखने के भंडार-घर का उपबन्ध।

†श्री हेम बरुआ : क्या मत्स्य संवर्द्धन के लिये पुराने तालाबों-पोखरों के इस्तेमाल की कोई योजना है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : मेरे ख्याल से होनी तो चाहिये। हम इन पोखरों का विकास करने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन किन-किन पोखरों को चुना जाय, इस का निर्णय राज्य-सरकारों के हाथ में है।

†श्री वें० प० नायर : मंत्री महोदय ने कहा कि पोखरों में मछलियां स्टाक करने की योजना है। क्या इस योजना में पोखरों में टिलाजिया नामक एक विशेष किस्म की मछली का स्टाक करने की योजना भी शामिल है जो अपनी संख्या-वृद्धि की असीम क्षमता के लिये प्रसिद्ध है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : किस्म का चुनाव करना राज्य सरकारों का काम है। जहां तक किस्मों का सम्बन्ध है हम उन में हस्तक्षेप नहीं करते।

लुधियाना में कृषि विश्वविद्यालय

+

†*११८२. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार लुधियाना में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये पंजाब सरकार की सहायता करने वाली है ?

†सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : जी नहीं। भारत सरकार ने योजना आयोग के परामर्श से द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में केवल एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता देने का निश्चय किया है और विभिन्न राज्यों के दावों पर उचित ढंग से विचार करने के बाद इस प्रयोजन के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को सहायता देने का निश्चय किया गया है।

†श्री अन्सार हरवानी : क्या उत्तर प्रदेश का यह विश्वविद्यालय पंजाब के छात्रों को भी भर्ती होने की अनुमति देगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० पं० शा० देशमुख : अभी से यह बता सकना कुछ कठिन होगा कि किसे भर्ती किया जायेगा। क्यों कि यह भारत में अभी अपने ढंग का पहला विश्वविद्यालय होगा इस लिये संभवत: इस सुझाव को घ्यान में रखा जायेगा।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या कृषि सम्बन्धी शिक्षा को सहायता प्रदान करने के लिये पंजाब को कोई मदद दी जा रही है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : जी हां। पशु-चिकित्सा कालेज और कुछ अन्य योजनाओं के लिये काफी सहायता दी जा रही है।

†श्री बि० दास गुप्त : भारत सरकार को कृषि-विश्वविद्यालय खोलने की योजनायें कितने राज्यों से मिली थीं ?

†डा० पं० शा० देशमुख : हमें पंजाब से एक अस्थायी योजना मिली थी; और आन्ध्र प्रदेश ने भी पूछताछ की थी लेकिन वैसी योजना केवल उत्तर प्रदेश सरकार ने ही भेजी थी जो उस भारत अमरीकी दल की सिफारिशों के अनुरूप थी जिसने ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिस की है।

नंगल-उना रेलवे लाइन

+

†*११८३. श्री दलजीत सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नंगल और उना को मिलाने वाली नयी रेलवे लाइन का यातायात सर्वेक्षण प्रतिवेदन आगया है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : जी हां।

वाइकाउंट विमान

†*१०६३. श्री बोरेन राय : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाइकाउन्ट "७००" किस्म के विमान ब्रिटेन और अन्य देशों में सर्विसों से बिल्कुल हटा लिये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार उन वाइकाउन्ट विमानों का इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को दिया जाना, जिनका आना अभी शेष है, पूरी जांच होने तक के लिये स्थगित कर देने वाली है ;

(ग) क्या अब तक आये वाइकाउन्ट विमानों का पूरा मूल्य चुका दिया गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार कम्पनी से यह बातचीत चलाने वाली है कि वह "वाईकिंग" विमानों को आंशिक विनिमय में ले लें ;

(ङ) "७००" और "७०१" किस्मों के निकलने के बाद यदि "७६८" किस्म में कुछ रूपभेद किये गये हैं तो उनमें कितना समय लगा ; और

(च) यह रूप भेद क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)**: (क) और (ख). जी नहीं। यह बात सच नहीं है कि "७००" किस्म के सभी विमान हटा दिये गये हैं। २४-१-१९५८ को निर्माताओं ने ब्रिटेन के विमान रजिस्ट्रेशन बोर्ड के परामर्श से पहले "७००" कस्म के ३६ वाइकाउन्ट विमानों में लगाये गये स्पार्सों का जीवन ४००० अवतरणों तक सीमित कर दिया। इस के परिणाम-स्वरूप इन में से २२ विमानों को उन स्पार्सों को बदलने के लिये हटा लिया गया जिनकी अवधि पूरी हो चुकी थी। इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को अब तक मिले विमानों पर और आर्डर किये गये शेष विमानों पर उपयुक्त निर्णय का कोई असर नहीं पड़ा है।

(ग) पांच वाइकाउन्ट विमानों की पहली किश्त का पूरा मूल्य और पांच विमानों की दूसरी किश्त का आधा मूल्य चुका दिया गया है।

(घ) वाइकाउन्ट विमानों के लिये आर्डर देने से पहले इस प्रश्न पर विचार कर लिया गया था।

(ङ) बीच में कुछ भी समय नहीं लगा क्यों कि ब्रिटेन के विमान रजिस्ट्रेशन बोर्ड ने जिन रूपभेदों को अनिवार्य माना था और "७००" किस्म के विमानों में उनको क्रियान्वित कराया था, उन सभी को निर्माताओं ने दिये जाने से पहले "७६८" किस्म में पूरी तरह क्रियान्वित कर दिया था।

(च) "७००" किस्म की पहली श्रंखला को उड्डयन क्षमता का प्रमाण पत्र देने के बाद से विमान रजिस्ट्रेशन बोर्ड ने उस के विमान-ढांचे और प्रणालियों में ४४ और विद्युत् संयंत्र और पंखों में १८ रूपभेद अनिवार्य बताये हैं।

†**श्री बीरेन राय**: तीन अनुपूरक प्रश्न हैं। वह बिल्कुल भिन्न हैं।

जिस समय इन वाइकाउन्ट विमानों के लिये ठेका किया गया था उस समय उस पक्ष से इस प्रश्न पर चर्चा क्यों नहीं कर ली गयी कि वह आंशिक विनिमय के रूप में उन वाइकिंग विमानों को स्वीकार कर लें जिनका निपटारे का भार अब सरकार के कंधों पर आ पड़ा है?

†**श्री हुमायं कबीर**: मैं माननीय सदस्य को यह याद दिला दूं कि मैं ने कहा है कि इस प्रश्न पर विचार किया गया था और उनके साथ चर्चा कर ली गयी थी।

†**श्री बीरेन राय**: लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उसका क्या परिणाम हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय**: वह अब बता रहे हैं।

†**श्री हुमायूं कबीर**: परिणाम यह हुआ कि क्यों कि यह कम्पनी पुराने विमानों का व्यापार नहीं करती—इसलिये वह वाइकिंग विमानों को लेने के लिये तैयार नहीं थी लेकिन उन्होंने हमें सलाह के रूप में और संभवतः उन लोगों से सम्पर्क कराने के द्वारा हमें हर सुविधा देने का प्रस्ताव किया है जो इन विमानों को खरीद सकते हैं।

†**श्री बीरेन राय**: यह कहा गया है कि ७०१ और ७६८ किस्म के विमानों में ब्रिटिश विमान बोर्ड द्वारा अनुमोदित रूप भेद कर दिये गये थे लेकिन सच्चाई यह है कि यह रूपभेद किये जाने के बाद भी जनवरी में मैनचेस्टर में धातु-अक्षमता के कारण विमान ध्वस्त हो गया। इस के बाद ये विमान हटा लिये गये थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब ७६८ किस्म के विमानों को किसी भी सर्विस में एक या डेढ़ वर्ष से अधिक समय तक इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो क्या इस बात की कोई गारंटी है—क्यों कि कामेट विमानों के विषय में हमने देखा है कि . . . . .

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** यह क्या है ?

†**श्री बीरेन राय :** मुझे समझाने दीजिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं ।उन्हें सीधा प्रश्न पूछ कर उत्तर मांगना चाहिये ।

†**श्री बीरेन राय :** प्रश्न यह है कि ब्रिटेन में विमानों में रूपभेद किये जाने के बाद भी—एक वर्ष की उड़ान के बाद—बिल्कुल इसी किस्म के विमान लेकिन उसी फर्म के विमान धातु की अक्षमता की वजह से ध्वस्त हो गया ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य तो जानकारी दे रहे हैं—जानकारी मांग नहीं रहे हैं ।

†**सरदार इक़बाल सिंह :** क्या विमानों की खरीद के विषय में जांच करायी जाने वाली है, क्योंकि पहले हमने हेरौन विमान खरीदे थे जिन्हें हटा देना पड़ा और अब हमने वाइकाउन्ट विमान खरीदे हैं जिन्हें हटा देना पड़ा है । इसलिये क्या सरकार इनकी खरीद के विषय में जांच कराने वाली है ?

†**श्री हुमायं कबीर :** इस प्रश्न के दोनों भागों में माननीय सदस्य की धारणा अनुचित है—वाइकाउन्ट विमान हटाये नहीं गये हैं । हेरौन विमान भी हटाये नहीं गये हैं ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** क्या निर्माताओं ने इन्डियन एयर लाइन्स को यह बताया था कि इक-हरी बोल्ट की वजह से इन विमानों में धातु-अक्षमता है और मैन्चेस्टर में विमान ध्वस्त होने की जांच से भी यही निष्कर्ष निकला है ?

†**श्री हुमायूं कबीर :** इस किस्म के केवल पहले ३६ विमानों में ही यह कसर थी । मूलत: उनका जीवन काल १०,००० घंटे रखा गया था और इसे बाद में ४,००० अवतरणों तक सीमित कर दिया गया । ९२ विमानों की दूसरी किस्म का जीवन-काल १५,००० घंटे था । तीसरी किस्म, जिसमें हमारी भी दिलचस्पी है, जीवन-काल ३०,००० घंटे है । हमें बताया गया है कि दस वर्ष तक तो इसका प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता ।

सेठ गोविन्द दास : हम लोगों ने कितने वाइकाउंट एयरोप्लेन्स का आर्डर दिया है और उन में एक एक की कीमत क्या होगी, और वह कितने दिन के अन्दर आ जायेंगे ?

श्री हुमायूं कबीर : इस सवाल का जवाब मैं बहुत दफा आगे भी दे चुका हूं । लेकिन मैं दोबारा कहूंगा कि हम ने १० वाइकाउंट्स का आर्डर किया है । पांच आ गये हैं और पांच आने वाले हैं । पहले पांच की कीमत थी २.२४५१ करोड़ और बाकी पांच की कीमत होगी २.३१ करोड़ ।

†**श्री बीरेन राय :** कामेट विमानों में दो वर्षों की उड़ान के बाद धातु-अक्षमता आई और वाइकाउन्ट विमानों में भी धातु-अक्षमता आ सकती है, जैसा कि जनवरी में मैनचेस्टर में हुई दुर्घटना से स्पष्ट है । इस बात का पता करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि वह इस प्रश्न को सुलझाने के लिये गवेषणा कर रहे हैं ?

†**श्री हुमायं कबीर :** इस का उत्तर यह है कि वाइकाउन्ट विमानों का नमूना लगभग १९५० में उड़ा था । ब्रिटिश एयरवेज़ में पहला वाइकाउन्ट विमान ३ जनवरी, १९५३ से है । इस प्रकार पाँच वर्ष बीत चुके हैं । रजिस्ट्रेशन बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार निर्माण-सम्बन्धी रूपभेद में

---

†मूल अंग्रेजी में

सब से अधिक महत्वपूर्ण बात डैनों को सुदृढ़ बनाने और अन्य रूपभेद धातु-अक्षमता और अन्य खामियों से खतरे से बचने के लिये ही किये गये थे ।

†**श्री च० द० पांडे** : मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि आप प्रश्न ११६६ का उत्तर देने को कहें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं पहले उन माननीय सदस्यों को पुकारूंगा जो अनुपस्थित थे ।

रेल की पटरी पर हथगोले

†***११६७. श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ९ फरवरी, १९५८ को उत्तर रेलवे के नरेन्द्रपुर और मन्सा रेलवे स्टेशनों के बीच रेल की पटरी पर नौ हथगोले पाये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मामले की जांच की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । पुलिस मामले की जांच कर रही है ।

पंजाब के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधायें

†**११६८. श्री दलजीत सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं का प्रबन्ध करने के लिये अब तक पंजाब राज्य सरकार को कितनी राशि दी गई है ; और

(ख) इस राशि की सहायता से किस प्रकार की सुविधायें प्रदान की गई हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) "कमी वाले क्षेत्रों के स्थायी रूप से सुधार का का 'क्रम" के अधीन ३८.५ लाख रुपयों की राशि दी गई है ।

(ख) इस कार्यक्रम के अधीन पंजाब सरकार केवल दादरी सिंचाई योजना चला रही है । इस में पश्चिमी जमुना नहर पर भिवानी की जल वितरण करने वाली नहरों का नवनिर्माण करने की व्यवस्था है और आशा है कि इस से ५०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी ।

†**श्री दलजीत सिंह** : क्या सरकार स कार्य के लिये बन्ध बनाने के लिये किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

†**श्री हाथी** : इस कार्य के लिये छोटे बन्ध बनाने का कोई कार्यक्रम नहीं है । इस योजना में केवल वर्तमान नहरों के नव-निर्माण की ओर निर्देश किया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री पांडे कौन से प्रश्न का उत्तर चाहते थे ?

†**श्री च० द० पांडे** : प्रश्न संख्या ११६६ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस का उत्तर दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे कर्मचारियों की सेवा की अवधि में वृद्धि

†*११६६. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७ में और फरवरी, १९५८ के अन्त तक पूर्व रेलवे के बहुत से द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारियों की ५५ वर्ष की आयु के बाद सेवा की अवधि बढ़ाई गई ; और

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) जी, नहीं। इस कालावधि में किसी भी द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी की सेवा की अवधि नहीं बढ़ाई गई।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री च० द० पांडे :** यह बात देखते हुए कि विभिन्न राज्यों और विभिन्न विभागों में निवृत्ति वयस में बहुत अन्तर है क्या सरकार इस सम्बन्ध में एक सम नीति अपनाने पर विचार करेगी।

†**श्री शाहनवाज़ खां :** यह प्रश्न रेलवे मंत्री से नहीं पूछा जाना चाहिये।

†**श्री च० द० पांडे :** रेलवे में भी तो द्वितीय और तृतीय श्रेणी के पदाधिकारी हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह रेलवे के बारे में जानना चाहते हैं।

†**श्री शाहनवाज़ खां :** रेलवे में कोई असमानता नहीं है। अतिवयस्कता आयु ५५ वर्ष है।

†**श्री च० द० पांडे :** सब श्रेणियों के लिये ?

†**श्री राधा रमण :** क्या आप प्रश्न संख्या ११७३ का उत्तर भी दिये जाने का निर्देश देने की कृपा करेंगे, श्रीमन् ?

†**अध्यक्ष महोदय :** हां।

भारत सेवक समाज

*†११७३. **श्री कुन्हन :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत सेवक समाज की केन्द्रीय निकाय दिल्ली में निर्माण-कार्य के लिये पर्यवेक्षक और लेखपालों के लिये एक प्रशिक्षण केन्द्र चला रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र में कितने विद्यार्थी हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ३१ मार्च, १९५८ से केन्द्र को बन्द कर देने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र के वर्तमान प्रशिक्षणार्थियों को अपना अध्ययन पूरा कर सकने देने के लिये सरकार क्या वैकल्पिक प्रबन्ध करेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी, हां। पाठ्यक्रम ३ अप्रैल, १९५७ से केवल एक वर्ष के लिये है।

(ख) ३८।

(ग) जी, हां। वर्तमान पाठ्यक्रम के पूरा हो जाने पर।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि पाठ्यक्रम केवल एक वर्ष के ही लिये है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री राघा रमण** : क्या सरकार या भारत सेवक समाज द्वारा भविष्य में भी इन प्रशिक्षणार्थियों के लिये कोई प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

†**श्री हाथी** : सरकार किसी रोजगार या अन्य किसी चीज का वायदा नहीं करती । ये प्रशिक्षण केन्द्र भारत सेवक समाज द्वारा चलाये जा रहे हैं । सरकार उन को कुछ वित्तीय सहायता देती है । जब ये व्यक्ति प्रशिक्षित हो जाते हैं तो भारत सेवक समाज उन को विभिन्न कार्यों पर लगाता है जोकि उन्हों ने सीखा है और अन्य अभिकरणों में उन के लिये रोजगार ढूंढता है । उदाहरणतः इन में से कुछ व्यक्तियों को 'राष्ट्रीय निर्माण निगम'[1] में लिया जा रहा है ।

†**श्री राघा रमण** : क्या ऐसा ही प्रशिक्षण देश के किसी और भाग में भी दिया गया था और उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**श्री हाथी** : मेरे विचार में लगभग ४ प्रशिक्षण केन्द्र थे । एक कोसी में था, एक नागार्जुन-सागर में, एक चम्बल में और एक दिल्ली में । कोसी में लगभग २५० प्रशिक्षणार्थी थे और वे सब जनता द्वारा शुरू किये गये बाढ़-नियंत्रण बन्द और नहर निर्माण के सम्बन्ध में कार्य कर रहे हैं ।

†**श्री वाजपेयी** : क्या यह सच है कि प्रशिक्षणार्थी पिछले दस दिनों से हड़ताल पर हैं और उन की शिकायत है कि जो डिप्लोमा उन को मिलेगा उस का कोई महत्व नहीं होगा ? हड़ताल के क्या कारण हैं ?

†**श्री हाथी** : किसी हड़ताल या डिप्लोमा का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि मैं नहीं समझता कि भारत सेवक समाज कोई डिप्लोमा देगा । अधिक से अधिक वे प्रमाणपत्र दे सकते हैं । मेरे विचार में उन्हों ने कभी डिप्लोमा देने का विचार ही नहीं किया ।

†**श्री वाजपेयी** : क्या यह सच है कि जबकि विद्यार्थियों को पर्यवेक्षक और लेखपालों के प्रशिक्षण के लिये भर्ती किया जाता है, उन को 'ड्राफ्ट्समैन' और 'वर्क्स मिस्त्रियों' का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उन को इस आशा पर आने का प्रलोभन दिया गया था कि उन को पर्यवेक्षक (सुपरवाइज़र) के पद के लिये प्रशिक्षण किया जायेगा परन्तु उन को केवल 'ड्राफ्ट्समैन' का प्रशिक्षण दिया गया ?

†**श्री हाथी** : वे पर्यवेक्षक (सुपरवाइज़र) हो सकते हैं—अर्थात् ऐसे मिस्त्री जो ग्राम सहकारी संस्थाओं द्वारा शुरू किये गये निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण कर सकें ।

---

†मूल अंग्रजी में

[1]National Construction Corporation.

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

श्रमजीवी पत्रकार वेतन बोर्ड

+

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७.

श्री फीरोज गांधी :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अजराज सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री वें० प० नायर :
श्री तंगामणि :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री याज्ञिक :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री विमल घोष :
श्री पाणिग्रही :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री प्रभात कार :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री नौशीर भरूचा :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उच्चतम न्यायालय ने पत्रकार वेतन बोर्ड पंचाट को श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम, १९५५ के उपबन्धों की शक्ति से परे घोषित कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिये क्या पग उठायेगी जिन के अन्तर्गत वेतन बोर्ड स्थापित किया गया था ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार इस विषय पर श्रमजीवी पत्रकारों के संगठनों और समाचारपत्र उद्योग के साथ विचार-विमर्श कर रही है और उसका विचार है कि इस विषय पर आगे कार्यवाही करने के पहले उनसे बातचीत की जाये ।

†**श्री फीरोज गांधी** : क्या यह सच है कि वेतन बोर्ड द्वारा कई बार प्रार्थना किये जाने पर भी बहुत से समाचार पत्रों ने सन्तुलन पत्र और अन्य सम्बन्धित ऐसी वित्तीय जानकारी नहीं दी जो वेतन बोर्ड ने, श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा ९ के अन्तर्गत, उनके वेतन देने की सामर्थ्य निर्धारित करने के लिये उनसे मांगी थी, और यदि हां, तो सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये क्या पग उठाना चाहती है कि यदि द्वितीय वेतन आयोग की नियुक्ति की गयी तो समाचारपत्रों द्वारा सन्तुलन-पत्र और अन्य वित्तीय जानकारी दी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली** : यह ठीक है कि कुछ समाचार-पत्रों के मालिकों ने इस विषय में सहयोग नहीं दिया। भावी कार्यवाही के सम्बन्ध में, इस प्रश्न पर निर्णय करते समय इस विषय पर पूरा ध्यान दिया जायेगा ।

†**श्री फीरोज गांधी** : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि निर्णय के दौरान में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि कुछ समाचार-पत्रों ने वेतन बोर्ड को सन्तुलन-पत्र भेजे थे, परन्तु उनमें से कुछ सन्तुलन-पत्रों में जानबूझ कर उलट फेर की हुयी थी ?

†**श्री आबिद अली** : हां, निर्णय में यह बात कही गई है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : सरकार का द्वितीय वेतन बोर्ड कब तक स्थापित करने का विचार है ?

†**श्री आबिद अली** : इस समय द्वितीय वेतन बोर्ड की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता। जैसा कि मैं अपने उत्तर में बता चुका हूं, इस विषय पर आगे कार्यवाही करने से पहले हम सम्बन्धित पक्षों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : उपमंत्री महोदय ने बतलाया कि सरकार विभिन्न दलों से बात कर रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि वह बैठक कब बुलायेगी और क्या इस त्रिदलीय सम्मेलन द्वारा पूरी तरह फैसला किये जाने तक सरकार श्रमजीवी पत्रकारों को कोई अन्तरिम सहायता देगी ?

†**श्री आबिद अली** : मैंने यह तो नहीं कहा कि हम त्रिदलीय सम्मेलन कर रहे हैं। मैंने तो केवल यह कहा है कि हम सम्बन्धित संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं। उनके साथ विचार-विमर्श कर चुकने के बाद हम आगे कार्यवाही करने का निश्चय करेंगे। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, अन्तरिम सहायता के सम्बन्ध में प्रश्न ही नहीं उठता ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : उपमंत्री महोदय ने बताया कि इस विषय पर विचार करने के लिये नियोजकों और श्रमजीवी पत्रकारों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन करने का प्रयत्न किया जा रहा था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पहली बैठक में नियोजक फैसला करने के लिये बिल्कुल तत्पर न थे, मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या पत्रकारों को कोई अन्तरिम सहायता देने के लिये सरकार का कोई विचार है ?

†**श्री आबिद अली** : मैं इस का पहले ही उत्तर दे चुका हूं । जहां तक नियोजकों का सम्बन्ध है, पहले वे अपनी बात पर अड़े हुए थे और उन्होंने न्यायालय में भी मामला दायर कर दिया था। वे उच्चतम न्यायालय का निर्णय जानना चाहते थे । अब, शायद, उनका दृष्टिकोण भिन्न हो।

सेठ गोविन्द दास : अभी मंत्री जी ने कहा कि समाचारपत्रों और उन की कुछ संस्थाओं से इस सम्बन्ध में बात-चीत चल रही है । क्या मैं जान सकता हूं कि गवर्नमेंट इस सम्बन्ध में किन समाचारपत्रों और किन संस्थाओं से बात-चीत कर रही है ?

श्री आबिद अली : जहां तक एम्पलाईज का सम्बन्ध है, इंडियन फ़ेडरेशन आफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ) से और जहां तक न्यूज़पेपर्ज़ एस्टाब्लिशमेंट्स का सम्बन्ध है, इंडियन एंड ईस्ट्रन न्यूज़पेपर्ज़ सोसायटी और इंडियन लैंगुएज न्यूज़पेपर्ज़ एसोसियेशन ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान निर्णय का सम्बन्ध केवल उपदान (ग्रैच्युटी) से है, क्या सरकार यह देखने के लिये कि पत्रकार अधिनियम को सारे उपबन्धों को उचित रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है, निरीक्षकों की नियुक्ति पर विचार कर रही है ?

†**श्री आबिद अली :** जी, हां । अधिनियम के उन उपबन्धों को, जिनको न्यायालय ने वैध ठहराया है, क्रियान्वित किया जाना चाहिये और यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार को उचित कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : मेरा प्रश्न था कि क्या वे निरीक्षक नियुक्त करेंगी ?

†**श्री आबिद अली** : अधिनियम के सब उपबन्ध लागू होने चाहियें ।

†**श्री खाडिलकर :** क्या सरकार ऐसे सामाजिक विधान को सामान्य न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से अलग रखने और सब श्रम न्यायाधिकरण निर्णयों और वेतन बोर्ड पंचाटों पर विचार करने के लिये एक पृथक न्यायपालिका स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**श्री आबिद अली :** पहले भी हम इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं कि इसका तात्पर्य संविधान में संशोधन करना होगा जो कि हम इस प्रयोजन के लिये इस समय नहीं कर सकते ।

†**श्री त्रि० ना० सिंह :** यह बात देखते हुए कि यह विषय दो वर्षों से चला आ रहा है, क्या सरकार का उत्तर में सुझाये गये तरीके के अतिरिक्त कोई और तरीका अपनाने का विचार है ?

†**श्री आबिद अली :** यदि माननीय सदस्य हमें कोई तरीका बतलायें तो हम उनके आभारी होंगे ।

कई माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय :** यह ठीक है कि इस प्रश्न के लिये दिया गया समय बहुत कम है । प्रत्येक सदस्य को एक नहीं अनेक सुझाव देने हैं । अब सरकार इस पर विचार कर रही है । अतः अब मैं अगले प्रश्न को लेता हूं ।

†**श्री वें० प० नायर :** हमें प्रश्न पूछने हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं सब ही माननीय सदस्यों की इस विषय में रुचि है । मैं ने अब तक १२ अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दी है । क्या मैं अन्य सब माननीय सदस्यों को अनुपूरक प्रश्नों को पूछने की अनुमति देता रहूं और सारा दिन जोकि सरकारी कार्य के लिये है, इस ही में समाप्त हो जाये ?

†**श्री त्रि० ना० सिंह :** सामान्य रुचि देखते हुए आप अनुमति दे दें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि अल्प सूचना प्रश्न इस ही प्रकार से पूछे जायेंगे, तो मैं अल्प सूचना प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा ।

कई माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय :** अच्छा मूलतः प्रश्न पूछने वालों को एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** और बाकी लोगों को ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्हें भी मैं अनुमति दूंगा । यदि सब माननीय सदस्य इस विषय पर चिन्तित हैं तो उसके लिये दूसरा तरीका है । सरकार द्वारा इस पर विचार कर लिये जाने के बाद यह विषय दोबारा सभा में आयेगा और तब मैं उन्हें भी अवसर दूंगा ।

†**श्री तंगामणि :** हम व्यापक उत्तर चाहते थे और हमने 'अत्यावश्यक लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने' की सूचना दी थी लेकिन हमारे नामों को इस अल्प सूचना प्रश्न में इकट्ठा रख दिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** हां, सब नाम इसमें रख दिये गये हैं ।

†**श्री तंगामणि :** लेकिन जानकारी पूरी नहीं है ।

†**श्री वें० प० नायर :** हम विशिष्ट जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं मंत्री महोदय से जानकारी प्राप्त होते ही शीघ्रातिशीघ्र एक विवरण सभा पटल पर रखने के लिये कहूंगा । पूछे गये या सभा पटल पर रखे गये प्रश्नों के अतिरिक्त यदि और कोई प्रश्न उठते हैं तो उन प्रश्नों के उत्तर, मंत्री महोदय जानकारी प्राप्त होने के बाद शीघ्रातिशीघ्र एक विवरण के रूप में सभा पटल पर रख देंगे ।

†**श्री प्रभात कार :** उन को यह समझना चाहिये कि वास्तव में हम क्या जानकारी चाहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि माननीय सदस्य यहां पर प्रश्नों और अनुपूरक प्रश्नों के पूछने और सरकार को समझाने में अवसर का उपयोग करते हैं तो केवल यही एक तरीका नहीं है। माननीय सदस्य मंत्री महोदय को लिख सकते हैं और यदि वे सुझावों को यहां सभा पटल पर सचिव को दे दें तो मैं उनको मंत्री महोदय के पास भिजवा दूंगा और तब मंत्री महोदय एक एकीकृत वक्तव्य दे सकेंगे ।

†**कुछ माननीय सदस्य :** यह एक महत्वपूर्ण विषय है ।

†**श्री साधन गुप्त :** हम इस पर विचार करना चाहते हैं ।

श्री फीरोज गांधी उठे—

†**अध्यक्ष महोदय :** जब माननीय सदस्य बैठ गये तो मैं समझा कि वे भी मेरी राय से संतुष्ट हो गये ।

†**श्री फीरोज गांधी :** मैं केवल इसलिये बैठ गया कि आप खड़े हो गये थे ।

यह देखते हुए कि सब समाचारपत्रों ने वेतन बोर्ड को सन्तुलन-पत्र और वित्तीय जानकारी नहीं दी थी, तो श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा ९ के अनुसार कार्य करना कैसे सम्भव हो सकता है ?

†**श्री आबिद अली :** जैसा मैं पहले ही कह चुका हूं कि दलों के प्रतिनिधियों से इस विषय पर बात करते समय इन सब बातों पर भी ध्यान दियाजा येगा और भावी कार्यवाही के लिये भी इनको ध्यान में रखा जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कोसी परियोजना

†*११६२. पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोसी परियोजना का कार्य, विशेषत: जमालपुर से भंठी तक पश्चिमी बंद के नये 'एलाइनमेंट' का निर्माण-कार्य, निर्धारित समय से पीछे रह गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११९]

रेलवे के लिये क्रेनों की खरीद

†*११६४. श्री रघुनाथ सिंह :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे ने २७ बड़ी लाइनों पर प्रयोग होने वाली क्रेनों के खरीदने के लिये ब्रिटेन के एक सार्थ को आर्डर दिया है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : जी, हां ।

मालगाड़ियों से चोरियां

११६५. श्री क० भे० मालवीय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माल गाड़ियों से माल की चोरी की घटनायें हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण १९५७-५८ में अब तक भारतीय रेलों को कुल कितना नुकसान हुआ ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) १-४-१९५७ से ३१-१-१९५८ तक १३,३४,२०२ रुपये ।

अगरताला में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये आवेदन पत्र

*†११६९. श्री दशरथ देब : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगरताला में टेलीफोनों के लगवाने के लिये कितने आवेदनकर्त्ताओं के नाम अभी भी प्रतीक्षा-सूची में हैं;

(ख) ये आवेदनकर्त्ता कितने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ग) उनको अब तक टेलीफोन न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन आवेदनकर्त्ताओं को टेलीफोन कब तक दिये जाने की आशा है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२०]

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी का उत्पादन

†*११७२. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, १९५७ से फरवरी, १९५८ तक की कालावधि में कारखानों में से कुल कितनी चीनी उठायी गयी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** ११.६७ लाख टन जिसमें ०.३३ लाख टन निर्यात के लिये भी सम्मिलित है ।

कोयना विद्युत परियोजना

†*११७६. **श्री पांगरकर :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री २८ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ४८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयना विद्युत परियोजना के अन्तर्गत निर्माण-कार्य कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) परियोजना का कार्य कार्यक्रम से कुछ पीछे है ।

(ख) निम्नलिखित कारणों से प्रगति में बाधा पड़ी है :

(१) स्वेज संकट जिसके कारण जहाजों के आने में देरी हुयी; और

(२) समय पर देशीय संसाधनों से इस्पात का न मिलना ।

बौद्ध तीर्थों के तीर्थयात्री

१५७५. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुशीनगर, बोधगया और सांची के बौद्ध तीर्थों में यात्रियों के लिये जो विश्राम-गृह बनाये गये हैं, उनमें कितने यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है;

(ख) इन विश्राम-गृहों के बनाने पर कुल कितना व्यय हुआ है; और

(ग) इन विश्राम-गृहों से कुल कितनी आय होगी ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) कुशीनगर, बोधगया और सांची के विश्राम-गृहों में क्रमशः ८, ८ और १० यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है ।

(ख) कुशीनगर, बोधगया और सांची के विश्राम-गृहों को बनाने पर क्रमशः लगभग १,५५,००० रुपये, १,८९,००० रुपये और २,९२,००० रुपये खर्च हुए हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इन विश्राम-गृहों से प्राप्त होने वाली संभावित आमदनी का अन्दाज लगाना कठिन है। ३१ जनवरी, १९५८ को समाप्त होने वाले साल के भीतर इन तीनों विश्राम-गृहों से प्राप्त होने वाली आमदनी इस प्रकार है :—

कुशीनगर	बोधगया	सांची
रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०
२०५—१२—०	८४६—८—०	१२८२—१२—०

लाइफ बोट प्रशिक्षण स्कूल

१५७६. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में एक लाइफ-बोट प्रशिक्षण स्कूल खोलने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ख) यह स्कूल कब से आरम्भ हो जायेगा ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). कलकत्ते में लाइफ-बोट ट्रेनिंग स्कूल खोलने का प्रश्न अभी तक विचाराधीन है। इसलिये स्कूल कब से चालू होगा इसका ठीक समय अभी नहीं बताया जा सकता।

ग्वार के सम्बन्ध में गवेषणा

१५७७. **श्री वाजपेयी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् ने ग्वार की उपयोगिता के बारे में कोई गवेषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इस गवेषणा का क्या परिणाम निकला है; और

(ग) वर्ष १९५५-५६ में प्रत्येक राज्य में कितने एकड़ भूमि में ग्वार बोई गयी तथा कितने टन अथवा मन ग्वार पैदा हुई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) ग्वार की उपयोगिता के बारे में भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् ने अनुसन्धान के लिये कोई विशेष योजना मंजूर नहीं की है। समन्वित हरे खाद की योजना, चारा विकास, सब्जी सुधार और दाल सुधार पर, परिषद् की योजनाओं के भाग के रूप में ग्वार पर कुछ कार्य किया है।

(ख) प्राप्त किये हुए परिणाम नीचे दिये गये हैं :—

(१) दाल की फसल के रूप में

१९४६ से पहले बम्बई, बड़ोदा, सिन्ध इत्यादि में किये हुए प्रयोगों से पता चला है कि बम्बई की मलोसन ४० वाली किस्म, बीजापुर के स्थान पर ५८९ पौंड प्रति एकड़ की सबसे अधिक उपज देने वाली साबित हुई है। हाल ही में मेहसाना ज़िले और दीसा के स्थान पर मलोसन ४० ने बहुत अच्छे परिणाम दिये हैं। पिछले दो वर्षों में मेहसाना ज़िले में इसने स्थानीय किस्म की अपेक्षा लगभग ११-२० प्रतिशत उपज अधिक दी है।

(२) सब्जी के रूप में

मद्रास में अधिक उपज देने वाली और चिकनी किस्में पैदा की जाती हैं। सी० पी० ७८ के साथ २$^{1}/_{2}$-३$^{1}/_{2}$ इंच लम्बी फली वाली और सी० पी० ३८० के साथ ४$^{1}/_{2}$-६ इंच फली वाली सुधरे हुए स्ट्रेनों से लगभग ७००० पौंड प्रति एकड़ हरी फलियां मिलती हैं। आनन्द के स्थान पर ४ चिकनी किस्में अन्य प्रयोग की हुई किस्मों की अपेक्षा, अधिक अच्छी साबित हुई हैं।

(३) चारे के रूप में

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् कुछ राज्यों में एक समन्वित चारा गवेषणा आयोजना को वित्तीय सहायता दे रही है और कुछ केन्द्रों में अध्ययन के लिये ग्वार भी शामिल है। पश्चिम बंगाल में ग्वार की सूर्ती किस्म (ई) प्रति एकड़ ४०० मन से अधिक उपज देने वाली चारे की बहुत अच्छी किस्म पाई गई है। कुर्ग में भी ग्वार को एक चारे के रूप में, जांच किया जा रहा है।

(४) मिली जुली फसल के रूप में

बम्बई में जुआर की फसल के साथ ग्वार को मिली जुली फसल के रूप में किये गये प्रयोगों का जुआर के उत्पादन पर उल्टा प्रभाव पड़ा है। हरे चारे के लिये कपास के साथ आलटरनेटिव लाइनों (वैकल्पिक लाइनों) में ग्वार का बोना, मुख्य कपास की फसल के उत्पादन में हानिकारक पाया गया है।

(५) हरे खाद के रूप में

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् ने बिहार, मैसूर, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केन्द्रीय चावल गवेषणा संस्था और भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति में एक समन्वित हरे चारे की योजना को सहायता दी है। प्रयोग किये गये अनेक हरे खादों में ग्वार भी शामिल है। मैसूर में धान के खेतों में ग्वार एक बहुत आशाप्रद रहा है। केन्द्रीय चावल अनुसन्धान संस्था में बारवें सप्ताह में काटने पर धान की मुख्य फसल के लिये इसने १८,२९२ पौंड हरा खाद प्रति एकड़ दिया है। मद्रास में धान के खेतों में यह अच्छा साबित नहीं हुआ, परन्तु बागों की सिंचाई वाली जमीनों में यह काफी सफल रहा।

बम्बई में ग्वार हरे खाद की फसल के रूप में भावी गेहूं की फसल के लिये इतनी अच्छी साबित हुई, जितनी कि पहली खरीफ के मौसिम में ज़मीन को खाली छोड़ना।

(ग) सूचना अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि ग्वार की प्रति एकड़ तथा कुल उपज के बारे में आंकड़े राज्य सरकार के राजस्व विभागों द्वारा इकट्ठे नहीं किये जाते हैं।

पेरियर जल-विद्युत योजना

†१५७८. **श्री नारायणस्वामी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री ७ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेरियर जल-विद्युत योजना पर किया गया व्यय निश्चित राशि से अधिक हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितना अधिक हो गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बीकानेर रेलवे वर्कशाप

†१५७९. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बीकानेर रेलवे वर्कशाप में १ अप्रेल, १९५७ से १ मार्च, १९५८ तक चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिये कितने व्यक्तियों को चुना गया और इन रिक्त स्थानों के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिये चुने गये व्यक्तियों की संख्या . . ३९२.

प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या . . ४६९१.

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में क्षय रोग के अस्पताल

†१५८०. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री प्रभात कार :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री सरजू पांडे :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में विभिन्न राज्यों में क्षय रोग की पृथक शैयाएं, नये क्षय रोग के रुजालयों की स्थापना और वर्तमान क्षय रोग के रुजालयों का स्तर ऊंचा करने में सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) क्षय रोग की पृथक शय्या और क्षय रोग रुजालयों की स्थापना का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

क्षय रोग की पृथक् शय्याओं की स्थापना

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों में हस्पतालों में बढ़ी हुई बीमारी के क्षय रोगियों के लिये जो अस्वच्छ मकानों में रहते हैं और जिनके लिये उनके घरों में पृथक्करण सुविधा और पूरी देखरेख नहीं है, ४००० क्षय रोग पृथक शय्याएं स्थापित करने की योजना सम्मिलित की गयी है जिसके लिये ५० लाख रुपये आवंटित किये गये हैं । राज्य सरकारों को

†मूल अंग्रेजी में

अनावर्ती व्यय का ५० प्रतिशत, जो प्रति शय्या १,२५० रुपय से अधिक न हो, की केन्द्रीय सहायता दी जाती है और बाकी आवर्तक और अनावर्तक व्यय को राज्य सरकारें वहन करेंगी ।

केन्द्रीय सरकार के अनुदान से भारत की क्षय रोग संस्था महरौली के क्षय रोग हस्पताल में ५२ शय्यायों वाला एक पृथक वार्ड स्थापित किया जा रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में क्षय रोग के पृथक वार्ड की अनुमानित लागत ५.५ लाख रुपये है।

क्षय रोग सजालयों की स्थापना

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देश में २०० नये क्षय रोग सजालय स्थापित करने के लिये और १०० वर्तमान क्षय रोग सजालयों का स्तर ऊंचा करने की एक योजना सम्मिलित की गयी है जिसके लिये १२७.५ लाख रुपयों की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत एक्सरे और प्रयोगशाला उपकरणों के रूप में प्रति सजालय ५०,००० रुपये की अनुमानित लागत की केन्द्रीय सहायता दी जाती है। बाकी भवन बनवाने के लिये ५०,००० रुपये के अनुमानित अनावर्तक व्यय और संधारण के लिये प्रति सजालय ७५,००० रुपये के आवर्तक व्यय को सम्बन्धित राज्य सरकारें सहन करेंगी ।

मालदा में हवाई पट्टी

†१५८१. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मालदा में हवाई पट्टी को मार्च, १९५८ के अन्त तक पूरा कर देने का सरकार का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)** : जी, हां ।

पंजाब में डाक घर

†१५८२. **श्री राम कृष्ण :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) पंजाब राज्य के हिसार और महेन्द्रगढ़ जिले में १९५७–५८ में कुल कितने डाक घर खोले गये और किन स्थानों पर खोले गये;

(ख) उपरोक्त जिलों में वर्ष १९५८–५९ में कितने डाक घर खोले जायेंगे; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये कौन कौन से स्थानों को चुना गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग):

---

†मूल अंग्रेजी में

अपेक्षित जानकारी निचे दी जाती है :

क्रम संख्या	जिले का नाम	१९५७–५८ में खोले गये डाकघरों की संख्या और स्थानों के नाम		१९५८–५९ में खोले जाने वाले डाकघरों की संख्या और संभावित स्थानों के नाम	
		संख्या	स्थानों के नाम	संख्या	संभावित स्थान
१	२	३	४	५	६
१	हिसार	१७	१. दादू २. धर्मपुरा ३. ओटो ४. रोधान ५. नोकारा ६. परवेजपुर ७. खरियां ८. सुलचनी ९. जुगलान १०. अर्नियांवाला ११. नोन्सर १२. नागपुरहाडोली १३. मौजदीन १४. भगाना १५. बडवालामंडी १६. खुई मलकाना १७. हलवास	३४	१. बैजकन २. माधो सिंघाना ३. धोत्तर ४. सरल ५. चाक केसर ६. झिरी ७. ठस्का ८. धरसुलकलां ९. ढूंड़ियांवाली १०. मंढना ११. साहूवाला १२. सेहंदा १३. अमृतसरकलां १४. नई मंडी, हिसार १५. मेहन्दा १६. गरनपुर १७. भारीवाला १८. राजथल १९. प्रेमनगर २०. नेजादलकलां २१. कनौ २२. कहरवाला २३. नारंग २४. भुनरा २५. चौपट बाजार २६. किलांवाली २७. हदोली २८. कागदना २९. माजरा ३०. पलवस ३१. रेवसा ३२. मोहला ३३. दबराकलां ३४. कुदाल

१	२	३	४	५	६
२	महेन्द्रगढ़	५	१. मन्डीला २. आज्माबाद मरतोटा ३. गनवरी जाट ४. सिरोही बेहली ५. बुढवाल	१७	१. सौरैतीकलां २. चरकी दादरी फैक्टरी बस्ती ३. आर्यनगर उर्फ़ गोबिंदपुर ४. तेघरी ५. भागवी ६. दन्दवन ७. ढढोत ८. खेरी ९. टोका हरिया १०. लावन ११. कैला १२. बैकोदा १३. नमन १४. बरोली अहीर १५. दोचना १६. कामनिया १७. नंगल कथा ।

रेलवे सुरक्षा बल

†१५८३. **श्री तंगामणि :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९५७ को दक्षिण रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल में कितने व्यक्ति थे;

(ख) मुख्य सुरक्षा पदाधिकारियों, सहायक सुरक्षा पदाधिकारियों, निरीक्षकों, उप निरीक्षकों और अन्य कनिष्ठ पदाधिकारियों की कितनी संख्या थी; और

(ग) १ अप्रैल, १९५७ से २८ फरवरी, १९५८ तक सुरक्षा बल पर कुल कितना व्यय किया गया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२१**]

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार

†१५८४. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, १९५७ के महीने में कुछ यात्रियों की एक भीड़ ने हावड़ा स्टेशन के डिप्टी स्टेशन सुपरीन्टेन्डेन्ट के साथ अभद्र व्यवहार किया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, हां।

(ख) हावड़ा यार्ड में एक पौंइंट के टूट जाने के कारण गाड़ियों की नियमित रवानगी में अव्यवस्था आ गई थी। उसके परिणामस्वरूप चन्द्र ग्रहण के कारण दफ्तरों के जल्दी बन्द हो जाने के कारण कुछ व्यक्ति जो अपने घरों को जल्दी लौटना चाहते थे, बेकाबू से हो गये और उन्होंने ३ रेलवे कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिनको मामूली चोटें आयीं।

(ग) पूर्व तथा दक्षिण पूर्व रेलवे ने संयुक्त रूप से नोटिस जारी करके उपनगरीय यात्रियों से प्रार्थना की है कि वे ड्यूटी पर रेलवे कर्मचारियो पर अपना रोष प्रकट न करें।

शिशु चिकित्सा केन्द्र

†१५८५. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री बर्मन :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने शिशु चिकित्सा केन्द्र खोले गये हैं; और

(ख) ये केन्द्र कहां पर स्थापित हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) दो।

(ख) (१) नीलोफर अस्पताल, उस्मानिया मेडिकल कालिज, हैदराबाद।

(२) त्रिवेन्द्रम मेडिकल कालिज से सम्बद्ध श्री अवित्तम तिरुमल हस्पताल।

मातृ-सेवा सदन, पूसा रोड, नई दिल्ली

१५८६. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूसा रोड, नई दिल्ली में कोई मातृ-सेवा सदन खोला जा रहा है, और

(ख) यदि हां, तो इस अस्पताल के बनने पर कितनी धन-राशि खर्च की जायेगी और केन्द्रीय सरकार इसके लिए क्या सहायता दे रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां, लाहौर अस्पताल सोसायटी पूसा रोड, नई दिल्ली में एक मातृ-सेवा चिकित्सालय खोल रही है ।

(ख) लगभग १७ लाख रुपये । अस्पताल का भवन बनाने के लिए १९५६–५७ में सोसायटी के लिये एक लाख रु० का अनुदान मंजूर किया गया था। एक लाख रुपये का अनुदान अस्पताल के विकास के लिये चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकार किया गया है। अस्पताल के भवन–निर्माण के लिये एक और अनुदान देने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य में वन्य जन्तुओं का संरक्षण

†१५८७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५७–५८ में राज्य में बन्य जन्तुओं के संरक्षण के लिये जम्मू तथा काश्मीर राज्य को कितनी धनराशि मंजूर की गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : १९५७–५८ में वन्य जन्तुओं के संरक्षण के लिये निम्न राशि मंजूर की गयी है :—

(१) वन्य जन्तु संरक्षण योजना	७,००० रुपये
(२) दचिगम राख के सुधार की योजना	१,२०० रुपये
कुल	८,२०० रुपये

काश्मीर में पर्यटक

†१५८८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७–५८ में कितने पर्यटकों ने काश्मीर का भ्रमण किया; और

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे विदेशी केवल काश्मीर का भ्रमण करने के लिये आये और इन इन देशों में से प्रत्येक से कितने व्यक्ति आये ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) पत्री वर्ष १९५७ में ४३,०१८ पर्यटक जिनमें ३७,१७२ भारतीय और ५,८४६ विदेशी हैं। जनवरी से मार्च, १९५८ तक के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में

राज्यों में सिंचित क्षेत्र

†१५८९. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में सिंचित क्षेत्रों के राज्य–वार क्या आंकड़े हैं; और

(ख) १९५५–५६ की तुलना में सिंचित क्षेत्रों में कितनी वृद्धि हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२२]**

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन

†१५९०. **श्री बाली रेड्डी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के अन्तर्गत कितनी संस्थाऐं काम कर रही हैं और प्रत्येक के पास कितने ट्रैक्टर हैं; और

(ख) क्या सरकार कुछ संस्थाओं को आन्ध्र प्रदेश भेजने की प्रस्थापना पर विचार कर रही है जहां कि ट्रैक्टरों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने और अन्य कृषि औजारों की कमी के कारण नयी जमीन तोड़ने और गहरे हल चलाने में विलम्ब हो रहा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) १५ संस्थायें हैं और प्रत्येक संस्था के पास औसतन १५ ट्रैक्टर हैं।

(ख) जी, नहीं। राज्य सरकार ने बताया है कि उसके पास इतने फैले हुए क्षेत्र नहीं हैं जहां कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन कार्य कर सके और वह बुलडोजरों का प्रयोग ही अधिक पसन्द करेगी।

रासायनिक उर्वरकों का आयात

†१५९१. **श्री बाली रेड्डी :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री १९५६–५७ और १९५७–५८ में आयात किये गये अमोनिया सल्फेट और सुपर-फोस्फेट की मात्रा बताने की कृपा करेंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :**

	१९५६–५७	१९५७–५८*
अमोनिया सल्फेट	२,३०,००० टन	३,५७,५६६ टन
सुपर–फोस्फेट	शून्य	शून्य

*२८ फरवरी, १९५८ तक।

†मूल अंग्रेजी में

खेती के औजार

†१५९२. श्री बाली रेड्डी :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६–५७ और १९५७–५८ में भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों में कृषकों को ट्रैक्टरों, पम्पों और अच्छे औजारों के खरीदने के लिये ऋण और वित्तीय सहायता देने के लिये कितनी धनराशि दी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है। **[देखि परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२३]**

विमान का देर से चलना

†१५९३. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन' का वाइकाउन्ट विमान जो साधारणतः बम्बई से लगभग ७ बजे सायं चलता था, १७ दिसम्बर, १९५७ को दिल्ली के लिये शाम के ७ बज कर २० मिनट पर चला;

(ख) क्या यह सच है कि जनता को गेट के पास आधे घंटे से भी अधिक समय तक खड़े रहना पड़ा; और

(ग) क्या यह भी सच है कि यदि यात्री निर्धारित समय के अन्दर नहीं आता है, तो उसको नया टिकट खरीदना पड़ता है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) माननीय सदस्य का ध्यान २४ मार्च, १९५६ के भारत के राज पत्र में प्रकाशित इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की अधिसूचना संख्या सी टी एम/१४–ए की ओर दिलाया जाता है।

उदवाड़ा स्टेशन के समीप माल-डिब्बों का पटरी से उतर जाना

†१५९४. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि ८ फरवरी, १९५८ को उदवाड़ा स्टेशन के समीप माल गाड़ी के डिब्बों के पटरी से उतर जाने के कारण पश्चिम रेलवे पर बम्बई और सूरत के बीच मुख्य लाइन पर यातायात अव्यवस्थित हो गया था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिम रेलवे की बम्बई–बड़ौदा मुख्य लाइन पर ८ फरवरी, १९५८ को रात्रि के लगभग ९–२० बजे उदवदा स्टेशन पर दो माल–डिब्बों के पटरी से उतर जाने के कारण 'अप' और 'डाउन' दोनों लाइनों पर लगभग ७ घंटे तक यातायात अव्यवस्थित रहा।

पंजाब में डाकघरों का खोला जाना

†१५९५. **सरदार इक़बाल सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष १९५७ में पंजाब में कितने नये डाक घर खोले गये;

(ख) वर्ष १९५७ में कितने डाक तथा तार घर बन्द किये गये; और

(ग) इन डाक तथा तार घरों के बन्द किये जाने के क्या कारण है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) २२३।

(ख) एक अतिरिक्त विभागीय कस्बा शाखा डाक घर और कोई तार घर नहीं।

(ग) मूलतः इस डाक घर में कोई डाक कार्य नहीं होता था। और निरन्तर ५ वर्षों से यह घाटे पर चल रहा था।

रेलवे की अनाज की दूकानों के कर्मचारी

†१५९६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने नवम्बर, १९५७ में इस आशय के कोई आदेश जारी किये हैं कि रेलवे की अनाज की दुकानों के अस्थायी कर्मचारियों की वरिष्ठता अन्य विभागों में उनकी वास्तविक नियुक्ति की तारीख के आधार पर निश्चित की जायेगी और सेवा के आरम्भ होने से नहीं ;

(ख) यदि हां, तो कौन कौन सी रेलवे ने इन आदेशों को और कब से कार्यान्वित किया है ; और

(ग) उन रेलवे के क्या नाम हैं जिन्होंने इसको अभी कार्यान्वित नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) जी, हां।

(ख) मध्य और पश्चिम रेलवे पर इसकी क्रियान्विति हो रही है।

(ग) विभाजन सम्बन्धी कार्य में पहले से लगे होने के कारण उत्तर पूर्व सीमान्त रेलवे में इसको क्रियान्वित नहीं किया गया और पूर्व उत्तर, पूर्वोत्तर, दक्षिण और दक्षिण–पूर्व रेलवे में आदेश को क्रियान्वित करने में आयी कुछ कठिनाइयों के कारण इसको क्रियान्वित नहीं किया गया जिनकी जांच की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

खड़गपुर रेलवे स्कूल

†१५९७. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर रेलवे स्कूल में (१) प्राथमिक, (२) माध्यमिक और हायर सेकेन्डरी विभागों में कितने छात्र हैं ;

(ख) क्या वर्तमान छात्र संख्या से स्कूल की अच्छी पढ़ाई और अनुशासन में कोई अन्तर हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या अच्छी पढ़ाई और अनुशासन के लिये रेलवे प्रशासन स्कूल को अनुकूलतम सामर्थ्य के अनुसार विभक्त करने पर विचार कर रहा है;

(घ) क्या स्कूल का कार्य भार संभालने के लिये किसी स्थायी प्रिंसिपल को भेज दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी क्या अर्हतायें हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) (१) माध्यमिक विभाग ८२६
(२) हायर सेकन्डरी विभाग १७८

प्राथमिक स्कूल पृथक चल रहा है जिसमें छात्र संख्या ६१६ है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मोटर ट्राली दुर्घटना

१५९८. **श्री जगदीश अवस्थी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के मुरादाबाद-बरेली सब-डिवीजन में रोजा जंक्शन पर १६ जनवरी, १९५८ को रेलवे मोटर ट्राली के पटरी से उतर जाने के फलस्वरूप उस पर बैठे हुए रेलवे पदाधिकारी घायल हो गये ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दुर्घटना की जांच की गई थी ; और

(ग) इस दुर्घटना का मुख्य कारण क्या था ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां। १६ जनवरी, १९५८ को दिन में लगभग ढाई बजे जब रेलवे मोटर ट्राली उत्तर रेलवे के शाहजहांपुर–लखनऊ सेक्शन के रोजा स्टेशन यार्ड में दाखिल हो रही थी, वह बीच वाले केबिन के पास पटरी से उतर गयी। इस ट्राली में मंडल इंजीनियर, सहायक इंजीनियर, निर्माण-निरीक्षक और छः ठेले वाले बैठे हुए थे। ट्राली पटरी से उतर जाने की वजह से मंडल इंजीनियर और निर्माण-निरीक्षक को मामूली चोट आयी और सहायक इंजीनियर के बाजू की हड्डी टूट गयी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) से (ग). ट्राली पटरी से उतर जाने की वजह यह थी कि वह ऐसी लाइन पर चली गयी जिसके कांटे उस ट्राली के लिये नहीं लगाये गये थे ।

केरल में सड़कों का निर्माण

†१५९९. **श्री नारायणस्वामी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य को मद्रास राज्य में, मदुरै जिले के पेरियाकुलम तालुक से मिलाने वाली बोदिनायकानूर—मेटेरे रोड के निर्माण में क्या प्रगति हो रही है ;

(ख) इसका निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ;

(ग) क्या इसका व्यय निश्चित राशि से अधिक हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो कितना अधिक हुआ है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). सड़क के निर्माण के लिये अनुमानित १०.४ लाख रुपये की राशि मंजूर की गयी है जिसमें से ८.३३ लाख रुपये केन्द्र ने देना है । २८ फरवरी, १९५८ तक निर्माण कार्य पर ३७ प्रतिशत कार्य हो चुका है । सड़क पर एक दूसरे को मिलाने वाली नालियों का अनुमान, जिसके लिये १.६७ लाख रुपये सुरक्षित रख दिये गये हैं ; मद्रास सरकार से प्रतीक्षित है। चालू योजना काल में समूचे कार्य के पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) जी, नहीं । ३१ मार्च, १९५८ तक ५.७५ लाख रुपये के व्यय किये जाने का अनुमान है और इसमें केंद्रीय अंश ५.१५ लाख रुपये का होता है जो आवंटित कर दिया गया है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

त्रिपुरा में कमालपुर राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

†१६००. **श्री दशरथ देब** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में कमालपुर राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) कौन कौन सी मुख्य मदों पर काम हुआ है ;

(ग) राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड के कार्यकारण में जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये यदि कोई पग उठाये गये हैं तो वे क्या हैं ;

(घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इस विशेष खंड पर कुल कितनी धनराशि खर्च किये जाने की प्रस्थापना है ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२४]**

(ग) जन सहयोग (१) क्षेत्रीय परिषदों के सदस्यों की खंड मंत्रणा समिति, सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों, आदिमजातीय झूमिया बतिस्यों, आदिम जातीय किसानों, सामाजिक

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्यकर्त्ताओं और शरणार्थी बस्तियों। (२) पंचायतों का स्थान लेने वाली तदर्थ ग्राम समितियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। इन समितियों के अभिकरणों और ग्रामीण जनता के सहयोग द्वारा हर सूरत में खंड का कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाता है।

(घ) १० लाख रुपये।

कलकत्ते में इंजन ओवरहाल डिपो

†१६०१. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एयरवेज कलकत्ते में एक इंजन ओवरहाल डिपो खोल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वे यूनियन आफ बर्मा एयरवेज के लिये ठेके पर काम करेगी ; और

(ग) क्या इस ठेके के कार्य के लिये पिहले इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन से सम्पर्क स्थापित किया गया था ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हमायूं कबीर)** : (क) 'भारत कामर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड' ने कलकत्ते में एक ओवरहॉल डिपो स्थापित करने के बारे में कुछ गैर-सरकारी जांच की थी परन्तु उस सार्थ से कोई ठोस प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

रेलवे में अन्नपूर्णा सेवा

†१६०२. **श्री दामानी** : क्या **रेलवे** मंत्री पूर्व और पश्चिम रेलवे के उन स्टेशनों और रेल गाड़ियों के नाम बताने की कृपा करेंगे जहां अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद् ने अन्नपूर्णा सेवायें लागू की हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद् पूर्व रेलवे के गाजियाबाद और लखनऊ स्टेशनों पर "कैफ्टेरिया" चला रही है।

उत्तर रेलवे की किसी गाड़ी में वह ऐसी सेवायें नहीं चला रही है।

पश्चिम रेलवे की किसी भी गाड़ी या स्टेशन पर इस संस्था ने कोई भोजन व्यवस्था नहीं की है।

रेलवे बोर्ड में असिस्टेंट

†१६०३. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री तंगामणि :

क्या **रेलवे** मंत्री १९ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १३५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग को भेजी जा चुकी असिस्टेंटों की वरिष्ठता सूची को पुनः व्यवस्थित करने का निश्चय कर लिया गया है और संघ लोक सेवा आयोग से पहले भेजी गयी वरिष्ठता सूची पर कार्यवाही स्थगित रखने के लिये कहा गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो संघ लोक सेवा आयोग को पुनरीक्षित सूची कब तक भेजी जायेगी ; और

(ग) यह सूची किस आधार पर होगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) से (ग). पदेन असिस्टेंटों की वरिष्ठता सूची के पुनरीक्षित करने के आधारों की प्रस्थापनाओं पर विचार हो रहा है और जब तक इस विषय में कोई निश्चय नहीं किया जाता है, संघ लोक सेवा आयोग से उनको पहले भेजी हुयी वरिष्ठता सूची पर कार्यवाही स्थगित रखने के लिये कहा गया है ।

चित्तरंजन वर्कशाप यूनियन

†१६०४. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरंजन वर्कशाप यूनियन ने मान्यता देने के लिये आवेदन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मान्यता प्रदान कर दी गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

दक्षिण पूर्व रेलवे में रेलवे स्कूल

†१६०५. **श्री कुम्भार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे जोन के स्टेशनों पर आजकल कितने स्कूलों का संचालन हो रहा है ;

(ख) इनमें से प्रत्येक स्कूल में कितने कितने बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं ; और

(ग) दक्षिण-पूर्व रेलवे जोन में द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अंत तक कितने स्कूल खोले जायेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) ३५ ।

(ख) लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२५]** ।

(ग) दक्षिण-पूर्व रेलवे ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना के दौरान विभिन्न स्थानों में १६ नये प्राइमरी स्कूल खोलने का विचार किया है । अन्य रेलवे के साथ साथ उनके प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

किराये की इमारतों में डाक तथा तार घर

†१६०६. **श्री कुम्भार** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्बलपुर डाकीय डिवीजन में किराये की और विभागीय इमारतों में आजकल कितने डाक तथा तार घर स्थित हैं ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना में और अभी तक प्रति वर्ष किराये के रूप में दी गई रकम और विभागीय इमारतों के निर्माण पर खर्च की रकम कितनी-कितनी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). सम्बलपुर डाकीय डिवीजन में इस समय २९ डाकघर किराये की इमारतों में हैं। इनका मासिक किराया १,३४६ रुपये है। विभागीय इमारतों में अवस्थित डाकखानों की संख्या १७ है।

नवापाड़ा तनवात में डाकघर के लिये एक विभागीय इमारत का निर्माण करने पर १९५४--५५ में २७,५५० रुपये खर्च किये गये थे।

डाक कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†१६०७. **श्री कुम्भार** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्बलपुर डाकीय डिवीजन में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिय प्रथम पंचवर्षीय योजना में तथा अभी तक निवासहेतु कितने क्वार्टर बनाये गये हैं ; और

(ख) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ऐसे कितने क्वार्टर बनाये जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) १२ यूनिट।

(ख) लगभग ३२ यूनिट।

पश्चिमी बंगाल में परिवार आयोजन केन्द्र

†१६०८ { **श्री घोषाल** :
श्री बि० दास गुप्त :

क्या स्वास्थ्य मंत्री २८ नवम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्टूबर, १९५७ से फरवरी, १९५८ तक की अवधि में परिवार आयोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिष्ठापित क्लिनिक की कितनी संख्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : अक्टूबर, १९५७ से फरवरी, १९५८ की अवधि में पश्चिमी बंगाल में ६ नगरीय परिवार आयोजन क्लिनिक स्थापित किये गये थे।

डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†१६०९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : पंजाब राज्य के कांगड़ा और होशियारपुर जिलों में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय योजना में अभी तक कितने क्वार्टर बनाये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** :

कांगड़ा जिला :

प्रथम योजना में दो 'एच' आकार के और दो 'जी' आकार के क्वार्टर; दूसरी योजना में छः 'एच' आकार क और एक तृतीय श्रेणी का क्वार्टर।

होशियारपुर जिला :

एक भी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक तथा तार घर

†१६१०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पंजाब में जिलेवार कितने डाक तथा तार घर खोलने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२६]**

पंजाब में पेरे गये गन्ने की मात्रा

†१६११. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में पेरने की ऋतु में पंजाब की चीनी मिलों में कितना गन्ना पेरा गया है; और

(ख) किसानों को गन्ने की कीमत कितनी दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) ६.४५ लाख टन ।

(ख) फैक्टरी के दरवाजे पर पहुंचाये गन्ने के लिये किसानों को १ रुपया ७ आने प्रति मन और रेलवे के केन्द्र तक प्राप्त गन्ने के लिये १ रुपया ५ आना प्रतिमन कीमत दी गई ।

मद्रास में चावल का उत्पादन

†१६१२. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल उत्पादन में वृद्धि करने के लिये मद्रास राज्य को अतिरिक्त अनुदान और टैक्नीकल सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी रकम स्वीकृत की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (ग). मद्रास राज्य सरकार को १९५७–५८ में अधिक अन्न उपजाओ योजना के लिये २०,३९,३८७ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है । इन से चावल की उपज बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी सिंचाई सम्बन्धी कुछ अतिरिक्त लघु योजनाओं के लिये मद्रास सरकार को ११,६३,८७५ पये की अतिरिक्त राशि स्वीकार की गई थी । इस से धान की खेती को लाभ पहुंचेगा ?

राज्य सरकारें जब भी भारत सरकार से इस प्रयोजन के लिये कहती हैं तो उन्हें आवश्यक टैक्नीकल सहायता भी दी जाती है ।

यूनिसेफ

†१६१३. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र बाल निधि से सहायता के लिये मार्च, १९५८ में यूनिसेफ कार्यकारी बोर्ड से कोई प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या स्वरूप है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां।

(ख) यूनिसेफ़ कार्यकारी बोर्ड की मार्च, १९५८ की बैठक में विचारार्थ निम्न प्रार्थनायें प्रस्तुत की गयी थीं :—

	डालर
(१) त्रचोमा अग्रिम परियोजना	१३,८०९.४५
(२) सपरेटे दूध का चूर्ण (५,५०० शार्ट टन)	२,४७,५००·०० (केवल भाड़ा)
(३) बम्बई में पेडियाट्रिक ट्रेनिंग का विकास	८३,०००.००
(४) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम का विकास	२,६६,०००·००
(५) बी० सी० जी० आन्दोलन के लिये अनुपूरक सहायता	५८,०००.००
(६) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	२,१५५,०००.००

रेलवे में कल्याण निरीक्षक

†**१६१४. श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलों में प्रत्येक जोन में कल्याण निरीक्षकों की २८ फरवरी, १९५८ को कुल कितनी संख्या थी; और

(ख) उन का वर्तमान वेतन-स्तर और वार्षिक वृद्धि की दर क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क)

रेलवे	कुल संख्या
मध्य	११०
पूर्व	१२५
उत्तर	७१
पूर्वोत्तर	१७
पूर्वोत्तर फ्रन्टीयर	१०
दक्षिण	८६
दक्षिण-पूर्व	१११
पश्चिम	८६

(ख) (१) १५०–७–१८५–८–२२५ रुपये

(२) २००–१०–३०० पये

(३) २६०–१५–३५० रुपये

हिमाचल प्रदेश में सस्ते अनाज की दुकानें

†**१६१५. श्री पद्म देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ७ मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अनाज बेचने के लिये सस्ते अनाज की दुकानें कहां कहां खोली गयी हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : हिमाचल प्रदेश में सस्ते अनाज की दुकानों का जिलेवार विवरण निम्न प्रकार से है :—

नाम जिला	सस्ते अनाज की जितनी दुकानें हैं
१. महासु	२८
२. मण्डी	७
३. सिरमौर	१
४. चम्बा	१४
योग	५०

रेलवे में यात्री सहायक (पैसेंजर गाइड)

†१६१६. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९४८ में आरम्भ किये गये यात्री सहायकों (पैसेंजर गाइडों) के पद समाप्त कर दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों के कारण ये पद समाप्त कर दिये गये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बागवानी[1] का विकास

†१६१७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार को जनवरी, १९५० से जनवरी, १९५८ तक बागबानी के विकास के लिये कितनी वित्तीय सहायता एवं अनुदान दिया गया; और

(ख) पंजाब सरकार द्वारा उपरोक्त अवधि में प्रत्येक वर्ष कितनी रकम प्रयुक्त की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) पंजाब में बागबानी के विकास सम्बन्धी योजनाओं पर वित्तीय सहायता के रूप में १९५६–५७ और १९५७–५८ में क्रमश: ४५,८१० रुपये और १,१४,९९० रुपये स्वीकृत किये गये थे। १९५६–५७ के पहले कोई अनुदान स्वीकार नहीं किये गये ।

(ख) पंजाब सरकार द्वारा १९५६–५७ में लगभग ८,००० रुपये स्वीकार किये गये और १९५७–५८ में लगभग १८,५८० रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

पंजाब में भूमि संरक्षण

†१६१८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ के लिये पंजाब में भूमि संरक्षण के लिये कितनी रकम आवंटित की गई है;

(ख) स्वीकार की गई योजनाओं के क्या नाम हैं, और

(ग) अभी तक कितने पये खर्च किये गये हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

[1]Horticulture

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री प्र० जैन) : (क) १९५७–५८ के लिये ११.८७ लाख रुपये ।

(ख) १. हिसार जिले में रेत स्थिर करने का प्रयोग ।

२. कुलू दस-डिवीजन (सिप्ती और लाहौल क्षेत्रों को छोड़ कर) और कांगड़ा जिले में भाखड़ा जलाशय के जलागम क्षेत्र में भूमि के कटाव को रोकने के उपाय ।

३. होशियारपुर जिले के पंजाब जलवर्ती कटाव वाले क्षेत्र में भूमि संरक्षण प्रदर्शन केन्द्र का निर्वहन और संचालन ।

४. अम्बाला जिले में जलागम क्षेत्र में बांधों की रोकथाम और नालियों में डट्टा लगाने सहित चो-प्रशिक्षण ।

५. गुड़गांव में खेती की ढालू जमीन को कटाव से रोकना ।

६. होशियारपुर जिले में चो-प्रशिक्षण जिस में बांधों की रोकथाम जलमार्ग में डट्टा लगाना में सम्मिलित है ।

७. अम्बाला जिले में जमीन को ऊंची करना और वात-बन्दी, जिस में जल के बहाव मार्ग भी सम्मिलित हैं ।

८. गुरुदासपुर जिले में गैर-सरकारी भूमि का संरक्षण व सिंचाई बांधना ।

९. होशियारपुर जिले में जमीन ऊंची करना और वात-बन्दी जिस में जलमार्ग भी सम्मिलित हैं ।

१०. कांगड़ा जिले में जमीन ऊंची करना और वात-बन्दी कार्य ।

११. राजस्थान की सीमा पर स्थित गुड़गांव हिसार और फिरोजपुर जिलों में रेगिस्तान नियंत्रण एवं भूमि को खेती योग्य बनाना ।

१२. सिवालक्स पर भूमि संरक्षण ।

१३. भाखड़ा बांध के जलमग्न क्षेत्र में वनारोपण ।

१४. आसनी और गिरि नदियों के जलयान क्षेत्र में वनारोपण ।

१५. रेगिस्तान को विच्छिन्न करना ।

(ग) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि ३१ मार्च, १९५८ तक ८.९४ लाख रुपये खर्च होने की सम्भावना है ।

रेलवे बोर्ड में विशेष अधिकारी

†१६१९. { श्री अय्याकण्णु :
श्री सिवय्या :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की भर्ती और नियुक्ति की देख-भाल के लिये रेलवे बोर्ड में नियुक्त विशेष अधिकारी के क्या-क्या व्यापक कृत्य और कर्त्तव्य हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अपने कर्तव्यों की प्रभावशाली ढ़ंग से पूर्ति करने के लिये उन्हें क्या-क्या शक्तियां दी गई हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) विशेष अधिकारी के कर्तव्य इस प्रकार हैं :—

(१) रेलवे सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और एंग्लो-इण्डियन की भरती इत्यादि के बारे में विभिन्न सांख्यकी का परीक्षण ।

(२) रेलवे सेवा आयोगों के कार्यालयों में इस बात की जांच करना उपरोक्त जातियों के लिये रक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती इत्यादि के सम्बन्ध में सही कार्य किया जा रहा है ।

(३) तत्सम्बन्धी विषय के सम्बन्ध में सरकारी अनुदेशों के पूर्ण अनुपालन के लिये विशेष उपाय ।

(ख) इस अधिकारी को विशिष्ट शक्तियां नहीं दी गई हैं । वह रेलवे बोर्ड के किसी भी अन्य डिपुटी डायरेक्टर की भांति काम करता है ।

परिवार आयोजन

†१६२०. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में १९५६–५७ में सरकार द्वारा नियंत्रित अस्पतालों में कितने परिवार आयोजन आपरेशन किये गये; और

(ख) दिल्ली के इरविन अस्पताल में इस कार्य के लिये कितने डाक्टर हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) दिल्ली के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में १९५७ में २६३ बन्धयकरण आपरेशन किये गये ।

(ख) इरविन अस्पताल में विशिष्ट रूप में इस प्रयोजन के लिये डाक्टर नहीं रखे गये हैं । सर्जन अन्य कार्यों के साथ ही ये आपरेशन भी करते हैं ।

डाक तथा तार घर, भरतपुर

१६२१. **श्री सरजू पांडे** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भरतपुर में मुख्य डाक घर के लिये भवन बनाने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उपरोक्त भवन कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) भवन बनाने का कार्य अभी हो शुरू किया गया है ।

(ख) १९५९ के प्रारम्भ में ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक तथा तार विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार

†१६२२. **श्री कुन्हन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग में १९५७–५८ में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित कितने उम्मीदवार भरती किये गये ;

(ख) क्या इन जातियों के लिये रक्षित सभी पदों पर उस वर्ष पूरी-पूरी भरतियां हो गई थीं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस कोटे को पूरा न करने के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). डाक तथा तार सर्कल के सभी प्रधान अधिकारियों और प्रशासनिक कार्यालयों से अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

उर्वरक

†१६२३. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा मद्रास राज्य को १९५५–५६, १९५६–५७ और १९५७–५८ में कुल कितना उर्वरक संभरण दिया गया था ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** :

अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

उर्वरक का नाम	१९५५–५६	१९५६–५७	१९५७–५८ १५ मार्च, १९५८ तक
		(टनों में)	
सलफेट अमोनिया . .	१,१९,५००	७५,९३८	७१,४५०
उरिया . .	१,३३३	३,१३९	८,९४६
अमोनियम सलफेट नाइट्रेट .	२,०८०	२,६२२	७,५५६
केलशियम अमोनियम नाइट्रेट .	१,००७	७	७७०
मूरियेट आफ पोटाश . .	१२	९७	१५
कुल .	१,२३,९३२	८१,८०१	७८,७८७

†मूल अंग्रेजी में

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव :** श्रीमान्, मैं १७ मार्च, १९५८ को लोक सभा में दी गयी सूचना के बाद चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं : —

(१) विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९५८ ।

(२) भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, १९५८

(३) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५८; और

(४) विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९५८ ।

प्राक्कलन समिति

तीसरा प्रतिवेदन

†**श्री ब० गो० मेहता** (गोहिलवाड) : मैं प्राक्कलन समिति (पहली लोकसभा) के पन्द्रहवें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक सभा) का तीसरा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

लोकलेखा समिति

तीसरा प्रतिवेदन

†**श्री त्रि० ना० सिंह** (चन्दौली): मैं वर्ष १९५४–५५ और १९५५–५६ के लिये दामोदर घाटी निगम के लेखे के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के बारे में लोक लेखा समिति का तीसरा प्रतिवेदन उपस्थपित करता हूं ।

अबिलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

अणुशक्ति आयोग

†**श्री नौशीर भरूचा :** (पूर्व खानदेश) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह इसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"अणुशक्ति आयोग का गठन, उसकी शक्तियां और उसके कृत्य आदि ।"

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** अणुशक्ति आयोग के गठन के बारे में भारत सरकार के दिनांक १ मार्च, १९५८ के संकल्प की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२७]** इस संकल्प में आयोग के गठन तथा उसको प्रत्यायोजित शक्तियों और उसके उद्देश्यों व उत्तरदायित्वों तथा उसकी स्वायत्तता के बारे में अपेक्षित जानकारी दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आयोग के संविधान के अनुसार, उसमें अधिक से अधिक सात और कम से कम तीन पूरे समय काम करने वाले और थोड़े समय काम करने वाले सदस्य होंगे। इस समय उसमें तीन सदस्य रखने का विचार है। उनके नाम हैं :

डा० एच० जे० भाभा, एफ० आर० एस०, सभापति, पदेन, श्री पी० एन० थापर, आई० सी० एस०, वित्त और प्रशासन सदस्य डा० के० एस० कृष्णन, एफ० आर० एस०, सदस्य आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सदस्य बढ़ाये जायेंगे। डा० एच० जे० भाभा और डा० के० एस० कृष्णन दोनों पुराने अणुशक्ति आयोग के सदस्य थे।

डा० एच० जे० भाभा, जो अणुशक्ति विभाग के वर्तमान सचिव और अणुशक्ति आयोग के सभापति हैं, टाटा इंस्टीच्यूट आफ फण्डामेंटल रिसर्च के निदेशक और अणुशक्ति संस्थापन, ट्राम्बे के भी निदेशक हैं। ट्राम्बे संस्थापन, जो कि अणुशक्ति क्षेत्र की सभी गवेषणा तथा विकास का राष्ट्रीय केन्द्र है और जहां आगामी कुछ वर्षों में सभी गवेषणात्मक व प्रयोगात्मक भट्ठियां (रिएक्टर्स) लगाई जायेंगी, एक बहुत बड़ी संस्थापन है। उसमें वैज्ञानिक तथा प्रविधिक कर्मचारियों की संख्या लगभग ७०० है। निदेशक का काम बहुत बड़ा, परिश्रम का और कठिन है और यह काम केवल किसी ऐसे वैज्ञानिक द्वारा ही चलाया जा सकता है, जिसे इसके कार्य क्षेत्र का पूर्ण ज्ञान हो और जो इस तेजी से बढ़ते हुए ज्ञान क्षेत्र के नवीनतम विकासों से सुपरिचित हो। अतः यह आवश्यक हो गया है कि डा० भाभा को जहां तक संभव हो प्रशासकीय तथा गैर-वैज्ञानिक कार्यों के उत्तरदायित्व से अधिक से अधिक छटकारा दिया जाये ताकि वह अणुशक्ति तथा अन्य प्रविधिक प्रश्नों के नीति सम्बन्धी मामलों में अधिक समय व ध्यान दे सकें। अनेक वैज्ञानिक तथा प्रविधिक मामलों की ओर वह विशेष रूप से ध्यान देने के इच्छुक है पर कार्य की अधिकता तथा समय की कमी के कारण वह ऐसा नहीं कर पाये हैं। उद्देश्य यह है कि विभाग में सरकार के सचिव के सारे प्रशासनीय कार्यों को, नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण मामलों को छोड़कर जिनका उत्तरदायित्व सभापति पर होगा, वित्त और प्रशासन सदस्य करेगा और वह वित्तीय मामलों में अणुशिक्त विभाग में सरकार का पदेन सचिव भी होगा।

---

*भारतीय शपथ (संशोधन) विधेयक

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय शपथ अधिनियम, १८७३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

> "कि भारतीय शपथ अधिनियम, १८७३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री हजारनवीस** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

---

*भारत के असाधारण गजट भाग २, अनुभाग २, दिनांक २४-३-५८ में प्रकाशित।
†मूल अंग्रेजी में

अनुदानों की मांगें—जारी

स्वास्थ्य मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा स्वास्थ्य मंत्रालय की मांग संख्या ४७, ४८, ५० और १२१ पर विचार व मतदान करेगी । जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हों, वे चुने हुए कटौती प्रस्तावों की संख्या १५ मिनट के भीतर सभापटल पर दे दें ।

भाषणों के लिये समय-सीमा पूर्ववत् ही रहेगी ।

वर्ष १९५८–५९ के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय को अनुदानों की ये मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		(रुपये)
४७	स्वास्थ्य मंत्रालय	१२,५७,०००
४८	चिकित्सा सेवायें	४,७५,५०,०००
४९	लोक स्वास्थ्य	१२,८९,७२,०००
५०	स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	८०,३१,०००
१२१	स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	८,९७,७६,०००

†**श्री कोडियान** (क्विलोन—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसका उद्देश्य यही है कि विद्यमान चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाये । स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि चिकित्सा सेवा के कर्मचारियों को अच्छा प्रशिक्षण दिया जाये और उनका अच्छा उपयोग किया जाये । यद्यपि इस दिशा में कुछ प्रगति अवश्य हुई है पर अच्छे चिकित्सकों, शैय्याओं की कमी तथा भीड़भाड़ के कारण अभी भी चिकित्सा सुविधायें अधिकांश लोगों को भली प्रकार प्राप्त नहीं है । ग्रामीण क्षेत्रों में तो अभी चिकित्सा सेवा की बहुत कमी है ।

इसमें कोई संदेह नहीं कि चिकित्सा संस्थाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है । १९५०–५१ में इनकी संख्या ३० थी पर अब ४० के लगभग है । पर इतने से काम नहीं चलेगा । इन संस्थाओं में प्रतिवर्ष २५०० चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया जाता है । इस समय देश भर में कुल ७०,००० चिकित्सक हैं । दूसरी योजना काल में हमें १२,५०० चिकित्मक तैयार करने हैं अतः यदि प्रतिवर्ष ४०० और चिकित्सकों को इन संस्थाओं में प्रवेश दिया जाये तो भी हमारी कमी पूरी नहीं हो पायेगी । क्योंकि हमें लगभग ९०,००० चिकित्सकों की आवश्यकता है । अतः मेरा निवेदन है कि

राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत ।

†मूल अंग्रेजी में

वर्तमान चिकित्सा संस्थाओं में अधिक चिकित्सकों को भरती करने की व्यवस्था की जानी चाहिये और नई चिकित्सा संस्थायें भी खोली जानी चाहियें। इन संस्थाओं में शिक्षण की ठीक व्यवस्था न होने के कारण प्रतिवर्ष बहुत से विद्यार्थी फेल हो जाते हैं अतः इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये।

अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था, नई दिल्ली की बात को लीजिये। इसकी स्थापना १९५६ म हुई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिवेदन से पता लगता है कि इस संस्था के लिये भूमि का सुधार करने, भवन निर्माण तथा कारीगरों के खर्चों को मिलाकर १,३९,३२,६३० रुपये व्यय किये जा चुके हैं। पर इस चिकित्सा संस्था के लिये मशीन व यंत्र आदि खरीदने के लिये केवल ५.०६ लाख व्यय किया गया है। भवन निर्माण अभी पूरा नहीं हो पाया है पर पैथालॉजी, रेडियोलॉजी, सर्जरी व मेडिसिन आदि के प्रोफेसरों की नियुक्ति की जा चुकी है। मैं जानना चाहता हूं कि जब भवन भी नहीं बना है और यंत्र आदि भी नहीं हैं तो ये प्रोफेसर क्या करते हैं? शायद वे खाली बैठे रहते हैं और सरकार से तनख्वाहें ले रहे हैं।

डाक्टरों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। योग्य व्यावसायिक डाक्टरों को छांटकर उनको इस शर्त पर विदेशों में प्रशिक्षण के लिये भेजा जाये कि वहां से वापस आने पर वे हमारी संस्थाओं में पढ़ायेंगे। साथ ही डाक्टरों की सेवा निवृत्ति की आयु सीमा भी बढ़ा दी जानी चाहिये। रोग नियंत्रण योजना की ओर भी गंभीरता पूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिये। क्षयरोग व कोढ की बात लीजिये। हमारे यहां क्षयरोग के क्लीनिक व चिकित्सालयों की कमी है। रोगियों की संख्या बहुत अधिक है। रोगी शैय्या खाली होने का इंतजार करते करते ही मर जाते हैं। इस रोग को रोकने में सरकार सफल नहीं हो पाई है। सरकार कुछ क्लीनिकों को बढ़ाना चाहती है और कुछ नये केंद्र भी खोलना चाहती है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री सभा को बतायें कि अब तक कितने क्लीनिकों को बढ़ाया गया और कितनों को आगे बढ़ाया जायेगा; कितने नये केन्द्र खोले गये, कितने नये केन्द्र खोले जायेंगे।

कोढ़ रोग के सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है? मेरे राज्य में, मेरे चुनाव क्षेत्र में नूरंद में एक कोढ़ अस्पताल है, जिसमें ७०० रोगियों की चिकित्सा की व्यवस्था है। पर वहां न तो उचित व पर्याप्त सुविधायें हैं, न उचित मशीनें व यंत्र हैं और न ही वहां पर कोई गवेषणा कार्य हो रहा है। इसका कारण यही है कि धन का अभाव है। अतः मेरा निवेदन है कि यदि राज्य सरकारों के पास इन अस्पतालों की सहायता के लिये उचित साधन नहीं हैं तो केन्द्र उनकी मदद करे। केन्द्र ने २८ लाख रुपये की जो सहायता दी है उसमें केरल को केवल २१,००० रुपये मिले हैं। मेरा निवेदन है कि कोढ़ रोकथाम करने के लिये केरल को अधिक मदद की जानी चाहिये।

औषधि उद्योग की बात लीजिये। क्या हम औषधियों के सम्बन्ध में अपने देश को आत्म-निर्भर नहीं बनाना चाहते। औषधियों के तरह-तरह के विज्ञापन —झूठे-सच्चे—निकलते रहते हैं। अतः सरकार को इन झूठे विज्ञापनों को रोकने के लिये तुरन्त कदम उठाना चाहिये। नर्सों की सुविधाओं को भी हमें बढ़ाना चाहिये। उनको दिल्ली सफदरजंग अस्पताल में महीने में केवल ३ दिन की छट्टी मिलती हैं। शनिवार को भी उन्हें सारे दिन काम करना पड़ता है। अतः हमें उनकी सेवाओं को देखते हुए उनकी सुविधायें बढ़ानी चाहियें। साथ ही निम्न कोटि के कर्मचारियों की दशा का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है।

प्रसन्नता की बात है कि सरकार चिकित्सा की देशी पद्धति के विकास के लिये भी ध्यान दे रही है। जामनगर में इसके लिये एक गवेषणा संस्था भी स्थापित की गई है। चूंकि हमारे यहां डाक्टरों तथा चिकित्सा सुविधाओं की कमी है अतः मेरा सुझाव है कि देशी चिकित्सा प्रणाली को

[श्री कोडियान]

वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली के साथ मिला दिया जाये ताकि सामान्य जनता अधिक लाभ उठा सके। कुछ लोगों में आयुर्वेदिक चिकित्सा और कुछ रोगों में एलोपैथी चिकित्सा अधिक लाभदायक होती है। अतः दोनों प्रणालियों की चिकित्सा की एकीकृत प्रणाली चलाने से काम अच्छी तरह चलेगा। अतः कुछ चिकित्सालयों में यह मिली जुली प्रणाली अवश्य चालू कर दी जानी चाहिये।

†डा० सुशीला नायर (झांसी) : अध्यक्ष महोदय, आज देश में एक सामान्य धारणा बन गई है कि देश के विकास के लिये स्वास्थ्य का महत्व कोई बहुत अधिक नहीं है। अतः स्वास्थ्य की अवहेलना की जा रही है। मैं उद्योगों के विकास का विरोध नहीं करती पर यदि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो उद्योगों में काम कौन करेगा? अतः स्वास्थ्य राष्ट्र का परम महत्वपूर्ण धन है। हम सभी प्रकार के उद्योगों के विकास की योजनायें बना रहे हैं पर मानवीय संसाधनों के विकास की अवहेलना क्यों कर रहे हैं ?

मैंने माननीय मंत्री से पूछा था कि बच्चों, स्कूली बच्चों की दंत चिकित्सा सेवा के लिये कितनी राशि का उपबन्ध किया गया है तो माननीय मंत्री कोई उत्तर न दे सके। स्पष्ट है कि बच्चों के स्वास्थ्य की अवहेलना की जा रही है।

एक बात और है कि जो धन शिक्षा योजनाओं के लिये आवण्टित किया जाता है उसका पूरा उपयोग नहीं किया जाता। इसके कई कारण हैं। कई बार धन व्यय करने के लिये योजनायें बनाने में ही आधा वर्ष लग जाता है, शेष आधे वर्ष में पूरी राशि व्यय नहीं हो पाती। कई बार हम देखते हैं कि सरकार के भिन्न भिन्न सदस्यों द्वारा एक ही योजना के सम्बन्ध में परस्पर विरोधी बातें कही जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये। एक बार योजना बन जाने के बाद, एक बार नीति निर्धारित हो जाने के बाद सभी सरकारी सदस्यों को उसका समर्थन करना चाहिये। बच्चों के स्वास्थ्य तथा मातृत्व के लिये भी समुचित व्यवस्था नहीं है। शिशुओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य के लिये काफी ध्यान दिया जाना परम आवश्यक है। स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य का भी उत्तरदायित्व राज्य पर ही है। एक बार यह भी सुनने में आया था कि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिये दोपहर के भोजन की व्यवस्था की जायेगी। पर यह योजना काफी समय से टाली जा रही है। मैं ने माना कि धन की कमी है पर सब से पहले बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना चाहिये हमारे गांवों में चिकित्सा सुविधाओं की बहुत कमी है। यद्यपि इसके लिये उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है पर केन्द्रीय सरकार को भी इस सम्बन्ध में बहुत कुछ करने का अधिकार है। आरम्भिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों की संख्या की वृद्धि की दर संतोषजनक नहीं है। इन केन्द्रों में हमें यूनानी व आयुर्वेदिक चिकित्सकों की भी सहायता लेनी चाहिये। चीन में मैं ने देखा है कि वहां चिकित्सा की सभी प्रणालियों का मिला जुला उपयोग हो रहा है और वह काफी सफल है। कम से कम भारत में हम भी यूनानी, आयुर्वेदिक तथा एलोपैथिक तीनों प्रणालियों को मिला-जुला कर काम अच्छी तरह चला सकते हैं। एक बात और ध्यान देने लायक है कि चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं में यूनानी तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्राध्यापकों के एक पद की भी स्थापना कर दी जाये तो अच्छा है। चीन में भी मैं ने देखा है कि ऐसी व्यवस्था है। इससे काम में सुविधा होगी। इन देसी प्रणालियों के प्राध्यापक को भी अन्य प्राध्यापकों के ही समान वेतन व उपलब्धियां मिलें और सभी विद्यार्थी उनकी प्रणाली का अध्ययन भी करें।

---

†पूरा अंग्रेजी में

अभी एक माननीय सदस्य ने औषधियों के नियंत्रण की बात कही । औषधियों पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है और यह कार्य केन्द्रीय सरकार ही कर सकती है । पटना में अभी एक गलत दवा खाने के कारण एक आई० ए० एस० पदाधिकारी की मृत्यु हो गई । अतः जाली दवाओं के निर्माण को रोकने के लिये सरकार को काफी ध्यान देकर कार्यवाही करनी चाहिये ।

दवाओं के अलावा खाद्यों में भी मिलावट के बहुत से मामले होते हैं । इसको रोकने के लिये हमारा केन्द्रीय विधान है । पर प्रायः इन मामलों में जो जुर्माना किया जाता है उसकी राशि बहुत कम होती है । अतः लोग डरते नहीं और मिलावट का काम कम नहीं होता । अतः इस सम्बन्ध में सरकार को कड़ाई बरतनी चाहिये वर्ना जनता के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पायेगा इसके बाद मलेरिया व मच्छरों की समस्या है । मलेरिया नियंत्रण योजना काफी अच्छा परिणाम दिखा रही है । पर कुछ स्थानों पर कार्यक्रम में काफी शिथिलता है । अतः इन स्थानों पर काम की देख भाल में अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है । बम्बई व पश्चिमी बंगाल राज्यों में मियादी बुखार के लिये अलग वार्ड बना दिये गये हैं । अन्य राज्यों में भी ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है । चेचक जैसी बीमारी पर तो हम आसानी से पूर्ण नियंत्रण पा सकते हैं अतः माननीय मंत्री को चाहिये कि वह अपने परामर्शदाताओं के साथ, व सहयोगियों के साथ बैठ कर ऐसी योजनायें बनायें कि हैजा, चेचक, मियादी बुखार, मलेरिया आदि रोगों से देश पूर्णतया मुक्त हो जाये ।

इन रोगों पर नियंत्रण पा लेने के बाद हमारे सामने कोढ़ और क्षय रोग की समस्या रह जायेगी । इन रोगों की चिकित्सा के लिये कुछ व्यवस्था की गयी है पर कुछ लोगों को न जाने क्यों यह गलतफहमी है कि क्षयरोग के मरीज़ों की चिकित्सा के लिये बड़ी बड़ी इमारतें होनी चाहिये । दिल्ली में, हमने क्षय अस्पताल में मरीज़ों के रहने के लिये शैड बनाये हैं और उनमें सैंकड़ों पलंगों की व्यवस्था है। विश्वस्वास्थ्य संगठन ने भी इस प्रबन्ध को बहुत पसन्द किया है। अब सुना है कि इस अस्पताल में लगभग २०० रोगियों के लिये पलंगों को तैयार किया जाता है पर फिर भी न जाने क्यों पलंग वहां लगाये नहीं गये हैं और मरीज़ों के लिये कोई व्यवस्था नहीं हो रही है । रोगी इन्तज़ार में ही मर रहे हैं । अभी हाल में मैं ने यह भी सुना है कि अब इस भवन को गिरा दिया जायेगा और इसके स्थान पर एक नई कई मंजिली इमारत बनेगी ।

हमारे पास न अधिक धन है और न पर्याप्त संसाधन । हम तो लोगों को ज़रूरतें पूरी करने के लिये उचित व्यवस्था करना चाहते हैं पहले भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी और हमारे पास पलंगो, डाक्टरों और उपयुक्त सामान की कमी थी लेकिन अस्पताल के उस समय के प्रधान अधिकारी ने कम कर्मचारियों से ही धीरे धीरे काम चलाना शुरू कर दिया । क्या हम आज भी वही व्यवस्था नहीं कर सकते ।

माननीय मंत्री को इसकी भी जांच करनी चाहिये कि संघ लोक सेवा आयोग के ज़रिये कर्मचारियों की भर्ती करने में बहुत अधिक विलम्ब क्यों होता है । सरकार के सम्भरण विभाग से स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत विलम्ब से चीज़ें मिलती हैं । स्वास्थ्य सेवाओं को सरकारी डिपो से दवाइयां मंगाने में आठ-नौ महीने तक लग जाते हैं । इस अक्षमता को दूर किया जाना चाहिये ।

मंत्रालय के अधिकारियों को इन बातों के बारे में कोई भी पता नहीं है । हां, स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है । उन्होंने लेडी हार्डिंग कालेज को बचा लिया है और उसे महिलाओं का ही मैडिकल कालेज रहने दिया है । यह बड़ी प्रसन्नता की बात है । अब उस कालेज में पढ़ाने वाली भी महिलायें ही रखी जानी चाहियें । आशा है कि माननीय मंत्री इस दिशा में कोई कदम उठायेंगे ।

†**श्री नंजप्पा** (नीलगिरि) : मैं मंत्रालय का ध्यान विभिन्न कालेजों में भेषजिक अध्ययन के लिये प्रयुक्त पाठ्यक्रमों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । कई भेषजिक सम्मेलनों ने बार बार सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि भेषजिक कालेजों में एक न्यूनतम भेषजिक पाठ्यक्रम होना चाहिये । अभी विभिन्न कालेजों में विभिन्न भेषजिक पाठ्यक्रम चलते हैं । यह ठीक नहीं है । मैं तो कहती हूं कि देशीय भेषजिक स्कूलों तथा कालेजों में भी एक ही न्यूनतम पाठ्यक्रम रखा जाना चाहिये ।

सरकार को इस के बारे में अपनी एक निश्चित नीति बनानी चाहिये । सरकार को देशीय और ऐलोपैथिक दोनों ही प्रकार के कालेजों के लिये दो न्यूनतम पाठयक्रम निश्चित कर देने चाहियें । देशीय भेषजिक स्कूलों और कालेजों में भी, ऐलोपैथी की भांति शरीर विज्ञान को पाठयक्रम में सम्मिलित कर दिया जाना चाहिये । ऐलोपैथी के कालेजों में भी आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा-पद्धति को विशेष विषयों के रूप में रखना चाहिये । बुनियादी भेषजिक पाठ्यक्रम समाप्त करने के बाद, फिर इच्छानुसार आयुर्वेद या यूनानी पद्धति में विशेषज्ञता प्राप्त की जा सकती है ।

दूसरी चीज़ यह है कि औषधि-उत्पादन को राष्ट्रीयकृत किया जाना चाहिये, क्योंकि देश में दवाओं में बड़ी गड़बड़ और मिलावट होती है । इसे रोकने के लिये कई विधियां और नियम पारित किये गये हैं, पर उसका कोई भी परिणाम नहीं निकला है । सरकार को अत्यावश्यक औषधियों का उत्पादन अपने हाथ में ले लेना चाहिये । इससे जनता को शुद्ध औषधियां भी मिल जायेंगी और सरकार को लाभ भी होगा । विदेशी मुद्रा की कठिनाई भी कम होगी ।

इसके अतिरिक्त एक बात और है जिसकी ओर मैं सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । सरकार ज़िलों के स्तर पर लोक स्वास्थ्य तथा क्लिनिकों वाली प्रयोगशालायें स्थापित करना चाहती है । लेकिन इनको पूरा पूरा महत्व नहीं दिया जा रहा है । आजकल नैदानिक कार्य बहुत ही यंत्रीकृत हो गया है, इसलिये ये प्रयोगशालायें अत्यावश्यक बन गई हैं । नगरों को दिये जाने वाले जल की परीक्षा करने के लिये भी यह प्रयोगशालायें अत्यावश्यक बन गई हैं । हमारे नगरों में जल की खराबी के कारण ही पेचिश, हैजा, इत्यादि बीमारियों का प्रकोप होता है ।

खाद्य के अपमिश्रण की जांच के लिये यह प्रयोगशालायें अत्यावश्यक हैं । अभी यह काम केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालायें करती हैं, और उसमें बड़ा विलम्ब होता है । थूक और खून की जांच के लिये भी जिलों के स्तर पर इन प्रयोगशालाओं की आवश्यकता है ।

केवल अधिनियम बना देने से अपमिश्रण को रोका नहीं जा सकता । उसकी जांच में बड़ा विलम्ब होता है । मेरा सुझाव है कि दूध का सम्भरण केवल सहकारी संघों द्वारा ही किया जाये, जिससे कि लोक स्वास्थ्य अधिकारी उसकी परीक्षा कर सकें ।

भोजनालयों की ओर हमें अधिक ध्यान देना चाहिये, जिससे कि वहां होने वाला अपमिश्रण रोका जा सके ।

सरकार डाक्टरों पर यह लांछन लगाती है कि वे गांवों में नहीं जाना चाहते । लेकिन सरकार उनको प्रति महीने केवल ८०, १०० या १५० रुपये ही देती है । इतने वेतन के लिये कौन गांव में जाना चाहेगा, जहां कि उसकी गुज़र ही न हो सके । इस कठिनाई पर पार यों पाया जा सकता है कि हम स्वास्थ्य सहायकों को प्रशिक्षित करें और उन्हें गांवों में भेजें । एक डाक्टर हर सप्ताह दो-तीन घन्ट जाकर करीब ६ स्वास्थ्य-सहायकों के काम का पर्यवेक्षण कर सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस प्रकार देहाती क्षेत्रों को चिकित्सीय सहायता दी जा सकती है। सभी जिलों में तपेदिक क्लिनिकों की स्थापना करने का सरकारी कार्यक्रम भी बड़ा अच्छा है। इसकी बड़ी आवश्यकता है।

प्रारम्भिक शिक्षा के स्कूलों के बच्चों की भेषजिक परीक्षा की ओर सरकार ने अधिक ध्यान नहीं दिया है। उनकी भेषजिक परीक्षा करने में तो कोई अड़चन नहीं होती, लेकिन उस परीक्षा के बारे में जो प्रतिवेदन डाक्टरों द्वारा भेजे जाते हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सरकार को स्थानीय निकायों को इसके महत्व के बारे में बताना चाहिये।

आजकल परिवार-नियोजन की बड़ी बातें की जा रही हैं। लोगों को परिवार-नियोजन पर कोई आपत्ति नहीं है, पर वे गर्भ-निरोध के तरीकों को बुरा समझते हैं। उनका ख्याल है कि इससे अनैतिकता बढ़ेगी और लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं है, इसलिये मैं इसका स्वागत करता हूं।

लेकिन गर्भ-निरोध का प्रभाव स्त्रियों पर बहुत बुरा पड़ता है। इसलिये पुरुषों को ही उनका इस्तेमाल करना चाहिये।

अन्त में, मैं सरकार का ध्यान देहाती क्षेत्रों के जल सम्भरण की व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मैत्तुपालायम् के पास सिरुमुगई नामक गांव में जनता को गन्दा पानी पीना पड़ता है। वह तो पशुओं के योग्य भी नहीं होता। सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिये।

सरदार अमर सिंह सहगल (जंजगीर): अध्यक्ष महोदय, इस स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो मांग यहां रक्खी गई है उस के बारे में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। नैशनल वाटर सप्लाई और सैनिटेशन स्कीम्स (राष्ट्रीय जल-सम्भरण और सफाई योजना) के लिये रूरल एरियाज के लिये केन्द्रीय सरकार ने ५० प्रतिशत देने की तजवीज रक्खी थी और वह मंजूर हुई थी। लेकिन यदि आप अरबन स्कीम्स को देखें तो उन के लिये उस ने १०० प्रतिशत कर्ज देने की तजवीज की है। मैं सदन के सामने रूरल स्कीम्स को रखना चाहता हूं। प्रथम पंच वर्षीय योजना में आप देखिये तो १४३ रूरल (देहाती) वाटर सप्लाई और सैनिटेशन स्कीम्स के लिये १३.५० करोड़ रुपये मंजूर हुए थे, लेकिन उस में से जो रकम सचमुच मिली वह कुछ २ करोड़ ८० लाख और ६८ हजार रु० की थी। आप खुद सोचिये कि जो इन चीजों के लिये मुकर्रर रुपया है उस से कम क्यों दिया जाता है, खासकर रूरल स्कीम्स के लिये जहां कि वाटर सप्लाई की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, स्वच्छता का कोई विशेष प्रबन्ध नहीं है। यदि वहां के लिये इस तरह से कमी की जायेगी तो हमारे देश में जो इतनी ज्यादा बीमारियां फैल रही हैं और बढ़ रही हैं उन में कैसे कमी हो सकती है? यदि आप द्वितीय पंच वर्षीय योजना को देखें तो मालूम होगा कि स्टेट प्लैन्स (राज्य योजनायें) में रूरल एरियाज के लिये २८ करोड़ रुपया मंजूर हुआ है। लेकिन यदि आप सन् १९५६-५७ को देखें तो मालूम होगा कि **ग्रांट इन एड** (सहायक अनुदान) के तौर पर कुल ८४.९४५ लाख रु० मंजूर हुआ था। इसी तरह से जो करेंट इअर (चालू वर्ष) चल रहा है, जब कि नया बजट रक्खा गया है उस में १५० लाख रु० मंजूर हुआ था लेकिन उस में से सिर्फ ७२.२५५ लाख रु० दिया गया। मेरी समझ में नहीं आता जब देना नहीं है तो १५० लाख रु० का प्राविजन (व्यवस्था) क्यों किया गया। जितना देना हो उतने का ही प्राविजन किया जाना चाहिये। यदि नहीं देना है तो उस का प्राविजन आप मत कीजिये, लेकिन इस तरह से रकमें दिखला कर हम को चकाचौंध न कीजिये। मैं आप से यह प्रार्थना करना चाहूंगा।

[सरदार अमर सिंह सहगल]

अब मैं आप के सामने अरबन (शहरी) स्कीम्स के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। प्रथम पंच वर्षीय योजना में आप ने इसके सम्बन्ध में २५५ वाटर सप्लाई और ड्रेनेज स्कीम्स (जल निस्सारण योजनायें) के लिये ४५ करोड़ से ऊपर रुपया रक्खा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

जब आप ने ४५ करोड़ रु० लोन (ऋण) की व्यवस्था की तो दरअस्ल उस के लिये दिये कुल ८२९.४६५ लाख रु० ही। इस चीज को मैं समझ नहीं सकता यह चीज तो पहली पंच वर्षीय योजना की थी। प्रथम पंच वर्षीय योजना तो अब खत्म हुई। अब द्वितीय पंच वर्षीय योजना में हम २५८ स्कीम्स रख रहे हैं जिस पर हम ५३ करोड़ रु० के लगभग खर्च करना चाहते हैं। यह जो ५३ करोड़ रु० हम रख रहे हैं उसमें से ३० करोड़ रु० तो सेन्ट्रल (केन्द्रीय) प्लैन्स के लिये दिये जायेंगे और २३ करोड़ रु० स्टेट प्लैन्स के लिये दे रहे हैं। सेकेन्ड प्लैन के दौरान अगर हम सन् १९५६-५७ को ले लें तो ३६९.१४ लाख रु० स्टेट गवर्नमेंट्स के लिये मंजूर हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि इतना कम रुपया क्यों दिया गया जब कि आप हमेशा मुकर्रर रकम में कमी करते चले आ रहे हैं। फर्स्ट प्लैन जो थी उस में भी आप ने कमी की और सेकेन्ड प्लैन के पहले साल १९५६-५७ में आप ने इतना कम रुपया दिया। करेंट फाइनेन्शल इअर (वित्त वर्ष) में जो बजट प्राविजन किया गया है वह ५.५ करोड़ रु० का है। लेकिन मैं उम्मीद नहीं करता कि यह सारा ५.५ करोड़ रु० सरकार दे देगी। मैं तो कहूंगा कि यदि आप को देना नहीं है तो इस तरह की चीजें लिखना ठीक नहीं है।

मैं आप के सामने आयुर्वेदिक, यूनानी और होमियोपैथिक सिस्टम्स के बारे में भी कहना चाहता हूं जिन के लिये आप ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना में १ करोड़ रु० के खर्च का तखमीना लगाया है। इस के साथ ही आप ने सिर्फ ५२१.६३ लाख रु० स्टेट प्लैन्स के लिये रक्खा है जब कि हमारे यहां आयुर्वेदिक, यूनानी और होमियोपैथिक सिस्टम्स को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। इन की तरक्की के लिये आप ने २२१.४९ लाख रु० इअरमार्क (अलग रखा) कर दिया है। आजकल के जो वर्तमान कालेजिज हैं उन की तरक्की आप कैसे इस रुपये से कर सकते हैं। मैं सदन के सामने यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे यहां जो औषधालय हैं, खास कर जो प्राइवेट औषधालय हैं— पटना में वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधालय है, जो कि विज्ञान के जरिये जांच करके दवा भी देता है— उनको मंत्री महोदय जा कर देखें कि वे किस तरह से साइंटिफिक तरीके से दवायें बना रहे हैं, क्या ऐसे प्रसारों के लिये सरकार रुपया ज्यादा नहीं बढ़ा सकती है? इस कार्य के लिये जो रुपया यहां रक्खा गया है वह बहुत कम है। आप देखेंगे, जैसी कि कहावत मुझे याद आ रही है, कि वह उसी तरह से है जैसे कि ऊंट के मुंह में अगर जीरा रक्खा जाय तो बेचारे ऊंट को मालूम नहीं होगा कि उस के मुंह में जीरा रक्खा गया। जो रुपया आप ने आयुर्वेदिक, यूनानी और होमियोपैथिक सिस्टम्स की तरक्की के लिये रक्खा है वह उसी तरह से है। आप की जो मीटिंग आयुर्वेदिक एक्स्पर्ट्स की प्लैनिंग कमिशन (योजना आयोग) के द्वारा २२ जून, १९५७ को बम्बई में बुलाई गई उस ने भी आयुर्वेदिक गवेषणा की केन्द्रीय परिषद् स्थापित करने की सिफारिश की थी। प्लैनिंग कमिशन ने कमेटी बुलाई उस में आयुर्वेदिक एक्स्पर्ट्स के द्वारा जो प्रस्ताव पास होता है उस के बारे में स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखा गया, लेकिन आज तक इन की तरफ कोई कदम बढ़ाया भी गया या नहीं, मैं नहीं कह सकता।

आप यदि दवे कमेटी की रिपोर्ट को देखें तो आप को मालूम होगा कि उस कमेटी ने, जो कि सेन्ट्रल कौंसिल आफ हेल्थ (स्वास्थ्य की केन्द्रीय परिषद्) के जरिये बुलाई गई थी, क्या कहा है। उसने भी कहा था कि राज्य सरकारों को आयुर्वेद तथा अन्य देशीय चिकित्सा पद्धतियों के विकास के लिये ऐसे प्रयत्न करने चाहियें जिन्हें वे उचित और व्यवहार्य समझें। मैं पूछना चाहता हूं कि

इस चीज को चलाने के लिये आप की तरफ से यहां पर कौन सी चीज की गई जिस से मालूम हो कि आप उस को बढ़ावा दे रहे हैं। आप लिख तो रहे हैं कि आप की कौंसिल ने यह कहा, वह कहा, लेकिन आप ने उस के लिये क्या किया ? यदि यहां मैं आप के विरुद्ध कुछ कहूं तो आप इस को बुरा नहीं मानेंगे, ऐसी मुझे आशा है। बात दरअस्ल यह है कि कौंसिल में जो मेरे मित्र हैं और जो वहां काम कर रहे हैं हम उन लोगों कों बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन कम से कम हिन्दुस्तानी दवाओं के मामले में, खासकर आयुर्वेदिक और यूनानी तथा होमियोपैथिक दवाओं के बारे में उन का जितना ध्यान जाना चाहिये, उतना शायद नहीं जा रहा है। मेरी यह व्यक्तिगत राय है। हो सकता है कि आप की राय मेरी राय से न मिले, लेकिन मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि कौंसिल ने इन दवाओं के बारे में कहा है कि संघ सरकार को आयुर्वेद, होमियोपैथी और देशीय पद्धतियों के सम्बन्ध में गवेषणा करानी चाहिये और सक्रिय रूप से उसे प्रोत्साहन देना चाहिये। एक ओर तो आप की कौंसिल यह कहती है, लेकिन दूसरी ओर कहती है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन को इन चीजों को प्रोत्साहन देना चाहिये। बात असल यह है कि रास्ता तो हमेशा बड़ा ही दिखलाता है, छोटा नहीं दिखलाता। स्टेट्स छोटी हैं आप बड़े हैं। आप की सरकार को चाहिये कि वह रास्ता दिखलाये। आप यदि रास्ता दिखलायेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस मामले में ज्यादा मदद मिल सकेगी ।

इस के बाद जो लेप्रासी अर्थात् कुष्ठ का रोग है उस की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप को मालूम होगा और मैं समझता हूं कि आप के पास इस वर्ष की रिपोर्ट होगी। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में, खास कर छत्तीसगढ़ के इलाके में, ऐसे स्थान हैं जहां कुष्ठ रोग इतना ज्यादा है, जिसका ठिकाना नहीं है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वहां पर मिशनरीज जो काम कर रहे हैं इस रोग की रोकथाम के लिये वह प्रशंसनीय है। जरा समय निकाल वह वहां चलें और देखें कि दरअस्ल वहां कितना काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ के इलाके में खास तौर पर बिलासपुर जिले में जो काम मिशनरीज कर रहे हैं उस को देख कर निश्चय करें कि उन को वहां प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये या नहीं दिया जानां चाहिये। यदि देना है तो कौन कौन सी बातों में आप उनको मदद दे सकते हैं। यदि नहीं दे सकते तो उनको बताना चाहिए कि नहीं दे सकते। मेरी तहसील में यह कार्य चांपा, बैतलपुर और मुंगेली में हो रहा है।

आपने प्रथम पंचवर्षीय योजना में उपचार केन्द्र बनाये हैं और योग्यता प्राप्त करने के लिए ५२ दूसरी जगह बनायी हैं। आपको रिपोर्ट देखने से मालूम होता है कि आप ट्रीटमेंट एंड स्टडी (चिकित्सा और अध्ययन) के लिए एक जगह मुकर्रर कर रहे हैं और चार सबसिडियरी सेंटर्स (सहायक केन्द्र) कायम कर रहे हैं। वहां पर आबादी बहुत ज्यादा है और कुष्ठ रोग बहुत बढ़ रहा है। आप सन् १९५७-५८ में ३० सबसिडियरी सेंटर खोलने जा रहे हैं और उसके लिए आपने बीस लाख की रकम तजवीज की है और साथ ही आप ३० डाक्टरों को कुष्ठ रोग दूर करने के लिए रखना चाहते हैं। लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। वहां पर कुष्ठ रोग बहुत ज्यादा हो रहा है। उस तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

इसके अलावा मैं यह चाहूंगा कि आप कुष्ठ रोगियों को उनके बच्चों से अलग रखने के लिए कोई स्थान मुकर्रर करें ताकि उन बच्चों को कुष्ठ रोग से बचाया जा सके। इसमें शक नहीं कि ऐसा करने से हमारे देश की आबादी तो बढ़ेगी लेकिन ये बच्चे तो इस रोग से बच जायेंगे।

इसके साथ ही अब मैं आपका ध्यान ट्यूबरकुलोसिस (तपेदिक) की तरफ दिलाना चाहता हूं : मैं आपसे कहूंगा कि क्षय रोग की बीमारी बड़े जोरों से बढ़ रही है। आपने जो सन्

[सरदार अमर सिंह सहगल]

४८ में बी० सी० जी० का प्रोग्राम शुरू किया वह बहुत अच्छी चीज है और सन् १९४९ में वर्ल्ड हैल्थ आरगेनाइजेशन (विश्व स्वास्थ्य संगठन) ने और दूसरी संस्थाओं ने आपको इस काम में काफी मदद दी। आपने सन् १९५७–५८ में इस काम के लिए १,८५,६०० रुपया मंजूर किया है। जो कार्य आप दूसरी पंच वर्षीय योजना में करने जा रहे हैं उसमें जो दो तीन चीजें आप करने जा रहे हैं उनको बेशक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं, कि हमारे यहां पेंड्रा में मिशनरी भी इस विषय में कार्य कर रहे हैं। कार्य उत्तम तरीके से चल रहा है। वहां आप तशरीफ लाकर देखिये कि किस तरह से कार्य हो रहा है। मैं चाहता हूं कि यदि काम ठीक तरह से नहीं चलता है तो आप उस काम को हाथ में ले लें और प्रान्तीय सरकार से कह दें कि यह चीज ठीक से नहीं चल रही है इसलिए हम इसको अपने हाथों में लेते हैं। यदि व्यवस्था ठीक नहीं है तो जरूर आप इसको अपने हाथ में ही ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा। जो काम चल रहा है वह मिशनरियों के जरिये चल रहा है। आज कितने ही वर्षों से यह काम चल रहा है। आप रेलवे को इसके लिए ग्रांट देते हैं कि उनके कर्मचारी रोगी वहां जा कर रह सकें। मैं कहता हूं कि क्षय रोग को रोकने के लिए आप जितना ज्यादा कर सकें करें।

इसके साथ साथ मैं आपका ध्यान उस योजना की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कि आपने मिडवाइव्स और आग्जिलरी नर्स मिड वाइव्स की ट्रेनिंग के लिए शुरू की थी और आपने पहली पंचवर्षीय योजना में ६ सेंटर मिडवाइव्स के लिए और ३९ सेंटर आग्जिलरी नर्स मिडवाइव्स के लिए बनाये थे।

अभी तक इस काम के लिए ८४.२६६ लाख रुपया स्टेट की सरकारों को देना तय पाया है। लेकिन रिपोर्ट से यह नहीं मालूम होता कि स्टेट सरकारों ने इसको कैसे खर्च किया है या नहीं और अगर खर्च किया है तो कितना खर्च किया है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे जिले में जैकमैन मैमोरियल अस्पताल है जहां ४० या ५० से ज्यादा लड़कियां नर्स की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। वहां पर उनको सुचारू रूप से शिक्षा दी जा रही है। वहां पर हमारी मिशनरी बहिनें शिक्षा दे रही हैं पर इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इस अस्पताल को जाकर देखें। अगर आप उसकी वृद्धि के लिए कुछ सहायता दे सकेंगे तो बहुत अच्छा काम हो सकेगा। हमारे यहां की इन लड़कियों को ट्रेन होने के बाद बराबर जगहें नहीं दी जातीं। यह वहां की शिकायत है। मैं समझता हूं कि सरकार के पास भी इस प्रकार की शिकायतें आयी होंगी। हमारे तो सुनने में आती हैं। अगर कोई इस तरह का केस हमारे सामने आवेगा तो हम उसको पेश करेंगे।

मैं आपका ध्यान एक चीज की तरफ और दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां मध्य प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने गांवों में कुछ जच्चा खाने स्थापित करवाये हैं जहां जाकर औरतें बच्चा जन सकती हैं। वहां पर दाइयां काम करती हैं और उन स्थानों को साफ सुथरा रखा जाता है। मकान कच्चे ही हैं लेकिन हवादार तथा स्वच्छ हैं। इस योजना में ज्यादा पैसा खर्च नहीं हो रहा है। मैं समझता हू कि यह एक विचारणीय चीज है। इस पर आपको भी विचार करना चाहिए। अगर इस स्कीम को बड़े–बड़े गांवों में चलाया जाये तो मैं समझता हूं कि इससे बहुत काम हो सकेगा तथा पैसा कम खर्च होगा।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमारे भाई दवा बेचने वाले हैं उनको भी आदेश दिया जाये कि वे सतर्कता से काम लें। उनको कामर्स और इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री

(वाणिज्य तथा उद्योग) लाइसेंस देती है। हमारे पास रिपोर्ट है उससे मालूम होता है कि पटना में एक बड़े अफसर के पेट में दर्द था। उनके एक्सरे के वक्त जो बेरीयम फूड दवा देनी चाहिए उसकी जगह बेरियम कारबोनेट दे दिया गया जिससे उनकी मौत हो गयी। हमारे यहां सन् १९५८ में यह कोई अच्छी चीज नहीं है। इससे हमारी सरकार का नाम नहीं बढ़ेगा इससे हमारी बदनामी होगी। इस प्रकार की चीजों के खिलाफ सरकार को कड़ाई से, लोहे के हाथ से काम लेना चाहिए।

मुझे यह भी मालूम हुआ है कि आपके इरविन अस्पताल में किसी स्त्री की चीरफाड़ हुई और चीरफाड़ के बाद खून दबाने वाला यंत्र उसके पेट में रह गया। जब उसको जलाया गया तब वह उसके पेट में से निकला और उसके घर वालों ने इस प्रकार का वक्तव्य दिया। अब इस तरह की चीजें हमारे इरविन अस्पताल जैसे अस्पतालों में हों तो यह बड़ी बुरी चीज है। इस मामले में आप कड़ाई से स्टेप्स लें।

अन्त में मैं आपका ध्यान इंडियन मैडीकल काउंसिल ऐक्ट (भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम) १९५६ की ओर दिलाना चाहता हूं। आपने सन् १९३३ के ऐक्ट में तरमीम की। यह बहुत अच्छी चीज थी। मैं भी इस सदन के सामने इंडियन मैडीकल काउंसिल ऐक्ट की तरमीम के लिए एक बिल लाया था। लेकिन आपके भूतपूर्व मंत्री ने उसे कुछ कारणों से स्वीकार नहीं किया। लेकिन आप देखें कि जो लाइसेंसशियेट्स हैं उनको जो जगह आपकी काउंसिल में मिलनी चाहिए उतनी वह नहीं दी गयी है।

आखिर आपने एक्ट पास किया, लेकिन उसके बारे में कहा गया है कि उसे प्रवर्तित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं, जिन के कारण आपने अभी तक इस एक्ट को एन्फोर्स (प्रवर्तित) नहीं किया है। इन सारी बातों को देखते हुए मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि इस एक्ट को जितनी जल्दी हो सके एन्फोर्स किया जाय।

आपने सरकारी कर्मचारियों के लिए कांट्रीब्यूटरी हैल्थ सर्विस स्कीम (अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना) जारी की हुई है, लेकिन क्या आपने कभी इस सदन के ५०० सदस्यों और दूसरे राज्य–सभा सदन के लगभग २५० सदस्यों के लिए ऐसी कोई स्कीम बनाने की कृपा की। उनके लिए भी आपको ऐसी स्कीम बनानी चाहिए। हमारे जो बन्धु सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, उनके लिए यह स्कीम बना कर आपने बहुत अच्छा काम किया है। उन लोगों के लिए यह सबसे अच्छी चीज है और मैं इसकी सराहना करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं इन डिमांड्ज की ताईद करता हूं। यदि कोई अन्य बात रह गई होगी, तो मुझे आशा है कि मेरे दूसरे भाई उस पर ज्यादा प्रकाश डालेंगे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार): जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने बड़े गौर के साथ हैल्थ मिनिस्ट्री की १९५७–५८ की रिपोर्ट को पढ़ा है और मुझे यह कहने में जरा भी ताम्मुल नहीं है कि जितनी हम उम्मीद रखते थे, सभी तरफ बड़ी तरक्की हुई है और जो तरक्की के मुख्तलिफ काम किए गए हैं, वे सब इस रिपोर्ट से साफ तौर से जाहिर हैं। इस रिपोर्ट के किसी भी सफहे को हम देखें, तो हम को नजर आता है कि फलां काम के लिए इतना रुपया सैंक्शन किया गया, इतना रुपया खर्च किया गया, वगैरह। लेकिन आईन्दा के लिए मैं

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा--और दरअस्ल मैं सभी मिनिस्ट्रीज से दरख्वास्त करता हूं --कि यह बताने के अलावा कि किसी काम के लिए इतना रुपया सैंक्शन (मंजूर) किया गया वह यह भी मेहरबानी फरमा कर दर्ज कर दें कि साल भर में उस मामले में क्या ऐचीव किया गया। पचास, साठ, बल्कि सैंकड़ों चीजों पर हमारी हैल्थ मिनिस्ट्री का कंट्रोल है और इस रिपोर्ट को पढ़ कर मेरे जैसा एक लेमैन (आम आदमी) यही नतीजा निकाल सकता है कि आल-राऊंड डेवलपमेंट--हर तरफ तरक्की हुई है और यही हम आनरेबल मिनिस्टर साहब से उम्मीद करते थे। लकिन हम यह भी जानते हैं कि रिपोर्टें कितनी कुक्ड (तोड़ी-मरोड़ी) होती हैं। उनमें सैंक्शन के अलावा कुछ दर्ज नहीं होता है। उसका क्या नतीजा निकला, कितनी एचीवमेंट (सफलता) हुई, इस का उनमें जिक्र नहीं होता है। बहतर होगा अगर आईन्दा ऐसी रिपोर्ट हमारे सामने रखी जायेगी, जिससे कि एक लेमैन जान सके कि इतनी तरक्की हो चुकी है और इतनी बाकी है।

मुझे याद है कि १९४८ में जेनरल डिस्कशन (सामान्य चर्चा) के मौके पर मैंने यह अर्ज किया था कि जब तक हिन्दुस्तान में पापुलेशन (जनसंख्या) का कंट्रोल (नियंत्रण) नहीं होगा, तब तक हम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। पहले पांच साल तो इस बात के लिए गुजरे कि लोगों को इस सिलसिले में एजूकेट किया जाय, एक कुर्रा-हवाई बनाया जाय, जिससे वे बर्थ-कंट्रोल में यकीन कर सकें और उस पर अमल कर सकें। इसके मायने सही तौर पर ये हैं कि वे पांच बरस अव्वल से आखिर तक जाया कर दिए गए और कोई काम नहीं किया गया। लेकिन उसके लिए हमारे आनरेबल मिनिस्टर साहब जिम्मेदार नहीं हैं--जिम्मेदारी किसी पर भी नहीं है, क्योंकि शायद यह जरूरी हो कि पहले जब तक यहां पर अच्छी तरह से एजूकेशन न दी जाय, तब तक लोग इस को नहीं मानेंगे। लेकिन वह बात आज कहना नामुमकिन है। आज हर एक शहर वाला और हर एक गांव वाला इस बात से बखूबी वाकिफ है और चाहता है कि पापुलेशन कंट्रोल हो। किसी किस्म की इन्टलैक्चुअल आबस्टैकल (बौद्धिक बाधा) रास्ते में नहीं है।

इस रिपोर्ट से पता चलता है कि इन दो ढाई सालों में इस सिलसिले में एक न्युक्लियस बनाना शुरू किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पांच करोड़ रुपए में से कितना रुपया एक्चुअली खर्च हुआ। मुझे इस रिपोर्ट को पढ़ने से यह पता नहीं चला कि इन ढाई सालों में कितना रुपया खर्च हुआ।

इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस अरसे में कितने आपरेशन मेल्ज (पुरुषों) के ऊपर किए गए और लेडीज के स्टेरलाइजेशन (बंध्यीकरण) के कितने आपरेशन किए गए। मुझे मालूम है कि दूसरे मुल्कों में मेल पर एक बड़ा मामूली सा आपरेशन किया जाता है, पांच मिनट में वह अपने पांवों पर अपने घर वापस चला जाता है और उसको तकलीफ नहीं होती है। मैं समझता हूं कि आज शहरों और गांवों के लाखों आदमी मुल्तजी होंगे कि उन पर यह आपरेशन किया जाय। इसलिए मैं चाहता हूं कि आईन्दा जब इस मामले का जिक्र किया जाय, तो यह भी बतलाया जाय कि कितने आदमियों पर आपरेशन हुआ और क्या कामयाबी हासिल हुई। इस रिपोर्ट में एचीवमेंट आडिट भी दिया जाना चाहिए, जो कि इस वक्त नहीं दिया गया है। तब ही लोग आपके काम के बारे में कोई नतीजा निकाल सकेंगे।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस मसले को एक इन्टलैक्चुअल सवाल के तौर पर हल नहीं किया जा सकता है। यह तो आज एक बरनिंग क्वेस्चन आफ दि डे (आजका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न) है। हमारी सारी प्रोडक्शन, हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस के ऊपर इन्हसार रखता है। अगर हम अपनी पैदावार को दुगना कर लें और यहां पर दुगने ही बच्चे पैदा हो जायें, तो फिर हम चाहे कितनी ही इम्प्रूवमेंट कर लें, हम को कोई फायदा नहीं पहुंच सकता है। इसलिए यह निहायत जरूरी है कि यह महकमा ज्यादा जोर से काम करे। फाइव यीअर प्लैन के लिए इस सिलसिले में जितनी रकम रखी गई थी, अब तक उसमें से आधी खर्च हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ढाई साल हो गए हैं। अगली दफा जब यह रिपोर्ट आयेगी, तो उसमें हम यह देखना चाहेंगे कि कितना रुपया खर्च हुआ और क्या नतायज निकले। इस वक्त तक जो तरक्की हुई है, उसको मैं नाकाफी समझता हूं--वह तो ड्राप इन दि ओशन (समुद्र में बूंद) की तरह है। लेकिन जो कुछ हुआ है, उसके लिए मैं आनरेबल मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं। उनके लिए यह काम शुरू हुआ है और वह एक तरह से स्पेडवर्क कर रहे हैं--इससे पहले यह काम शुरू नहीं हुआ था।

इन्ट्रोडक्शन (भूमिका) के सफहे पर जब मैंने इस मिनिस्ट्री की कमिटमेंट्स (वचन) पढ़ीं, तो मेरा दिल कांपने लगा। थोड़े से हास्पिटल्ज और कुछ दूसरे कामों के लिए सैंट्रल गवर्नमेंट की एक्सीक्यूटिव रेसपांसिबिलिटी (कार्यपालक दायित्व) है और सारा भार स्टेट्स के ऊपर डाल दिया गया है। इसका नतीजा यह होता है कि अगर किसी स्टेट असेम्बली का मेम्बर झगड़ा करे, तो वहां पर उसको यह जवाब दिया जाता है कि हम क्या करें, हमारे ऊपर के देवताओं का हुक्म नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और अगर हम यहां पर कुछ अर्ज करें, तो हमको यह कहा जाता है कि जो कुछ होगा, वहां होगा। मैं निहायत अदब से यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह खेल बहुत दिन तक खेला जा चुका है, आईन्दा यह खेल खेलने को इजाजत नहीं होगी। उसमें आखिर में यह लिखा हुआ है और उस पर मैं रिलाई करता हूं। उसमें कहा गया है कि केन्द्र स्वास्थ्य की उन्नति के लिये राज्यों को सहायता देगा।

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : और जिसके लिये संसद् धन देगी उस सहायता का यही अर्थ है कि जिनकी व्यवस्था आय-व्ययक में की गई हो।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आनरेबल मिनिस्टर का यह कहना सही है कि जितना पार्लियामेंट रुपया देगी, उतना ही खर्च करेंगे, लेकिन पार्लियामेण्ट तब रुपया देगी जब आप मांगेंगे या दिखलायेंगे। अगर आप मांगने की जुर्रत नहीं रखते हैं, तो क्या होगा?

आप ने दो काम और लिए हुए हैं। एक काम है लोकल सैल्फ गवर्नमेंट का, जो कि मुझे पता नहीं है कि हैल्थ के साथ क्या वाइटल कनेक्शन (महत्वपूर्ण सम्बन्ध) रखता है और दूसरा काम है पानी की स्कीम। ये दो काम आप के जिम्मे हैं। पंचायत के बारे में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें पढ़ कर मुझे ताज्जुब हुआ कि दस हजार रुपए किसी मिस्टर

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

बर्फीवाले को माडल एक्ट बनाने के लिए दिए गए। किसी एक्ट के बनाने के लिए किसी शख्स को रुपया दिया जाय, अब तक इस भवन में इस तरह की बात नहीं आई थी, लेकिन हम देखते हैं कि पंचायत का माडल एक्ट बनाने के लिए दस हजार रुपए किसी साहब श्री बर्फीवाले को दिए गए। मीठी मीठी बरफी से मेरा मतलब नहीं है, उनका नाम ही मिस्टर बर्फीवाला है। क्या इस तरह के माडल एक्ट्स मिनिस्टरी नहीं बना सकती है। क्या कारण है कि उनको इतना रुपया दिया गया। इसी तरह से अगर और एक्ट्स बनाने के लिए रुपया दिया जाएगा तो आप खुद ही खयाल कर सकते हैं कि इसका क्या हशर होगा। जो खर्च किया गया है, वाजिब नहीं है, यह मैं कहना चाहता हूं।

अब मैं पीने के पानी के बारे में थोड़ा सा अर्ज करता हूं। दिल्ली में पीने का अच्छा पानी देने के लिए जो कुछ आपने किया है और इस काज (काम) में आपने दिल्ली की पब्लिक की जो खिदमत की है, उससे सब वाकिफ हैं। इस दिशा में आपने लोगों की बहुत खिदमत की है। जब कभी भी पीने के पानी का सवाल उठता है, मैं आपकी तवज्जह अपने जिले के १५–२० गांवों की तरफ दिलाता है और अब भी मैं आपकी तवज्जह उस तरफ दिलाये बगैर नहीं रह सकता हूं। मैं जानता हूं कि यह स्टेट सबजैक्ट (राज्य के विषय) है। लेकिन आपकी रिपोर्ट को पढ़ कर मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि आपकी तवज्जह ब्लैक स्पाट (त्रुटि) पर आनी चाहिये थी। आज आप करोड़ों रुपया भाखड़ा नंगल तथा दूसरी स्कीमों पर खर्च कर रहे हैं। लेकिन इन १५–२० गांवों के लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं होता है। ये लोग पीने के पानी के लिए तरसते रहते हैं। परमात्मा ने उनको जमीन के नीचे जो पानी दिया है वह खारा है। उस पानी को पी कर उनके जो डंगर हैं वे उफारा से पीड़ित हो जाते हैं और मर जाते हैं। आज भी वे इस पानी को पीकर मर जाते हैं। वे लोग पांच छः मील से पानी लाते हैं। हमारे जिले का ही शायद सारे हिन्दुस्तान में यह एक ऐसा खित्ता है जो कि इतना खराब है और पंजाब में तो यह सब से खराब खित्ता है ही। पंजाब गवर्नमेंट में मैंने इसके बारे में सिर तोड़ कोशिश की है लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिली है। मैं वहां पर मिनिस्टर्स को भी मिला हूं और दूसरे अफसरान को भी लेकिन किसी ने अभी तक कुछ नहीं किया है। इस हाउस में भी मैंने कई बार इस चीज का जिक्र किया है लेकिन यहां पर भी कुछ नहीं हुआ है। इस पर बहुत ज्यादा रुपया खर्च भी नहीं होगा, सिर्फ १५–२० लाख का ही खर्च होगा। आप इतना रुपया बड़ी आसानी से खर्च कर सकते हैं। मैं आपकी तवज्जह इस तरफ इस वास्ते भी दिलाता हूं क्योंकि आपके पास पानी भी है और रुपया भी और अगर आप चाहें तो आप इस काम को कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप इस बारे में अवश्य कुछ न कुछ करेंगे।

अब मैं आपकी तवज्जह उस चीज़ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिस का ज़िक्र कि सरदार अ० सिं० सहगल ने किया है और इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूं। सन् १९४८ में एक रेजोल्यूशन होम्योपेथी के बारे में पेश हुआ था और वह मंजूर हुआ था। उसके बाद एक कमेटी बिठाई गई थी जिस को कि होम्योपेथी, आयुर्वेक सिस्टम, यूनानी सिस्टम इत्यादि की जांच पड़ताल करनी थी। यह कमेटी इस वास्ते बिठाई गई थी क्यों कि सभी सिस्टम को यह शिकायत रहती थी कि हमारे साथ इंसाफ नहीं होता है। आपकी जो प्रेडिसैसर थीं उनके बारे में लोग कहते थे कि वे बाकी सिस्टम्स को एप्रिशियेट (पसंद) नहीं करती हैं। उनका यह सवाल नहीं है कि इन सिस्टम्स में कुछ होगा। लेकिन यह खयाल गलत है या सच, इसमें जाये बगैर मैं यह कहना चाहता हूं कि लंका में से जो भी निकला वही बावन गज का। मैं करमरकर साहब को दोष नहीं देता। यह बात उनके काबू में नहीं है। मैं अर्ज कर रहा

हूं कि सन् १९४८ में कैबिनेट ने एक पालिसी डिसिशन (निर्णय) लिया था। पालिसी डिसिशन लेने के लिए उस वक्त पहली बार कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। आज तक कैबिनेट की इसके बारे में दूसरी मीटिंग नहीं हुई और उसके बाद कोई भी कैबिनेट में इसके बारे में पालिसी डिसिशन नहीं लिया गया। उस वक्त यह डिसिशन लिया गया कि एलोपेथी आयुर्वेद इत्यादि व सब चलेंगी और इनके बारे में रिसर्च कराई जाए। आप इस पर चलें फिर चाहे आप आहिस्ता-आहिस्ता चलें इसकी कुछ परवा नहीं। लेकिन दस बरस बीत चुके हैं और कितना ही पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है, आपने कुछ भी नहीं किया है। मैं आपसे कहता हूं कि आप लोगों को साफ-साफ कह दो कि तुम्हारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं और अब कुछ नहीं किया जा सकता है अगर आपको करना है तो आप सीरियसली (गम्भीरता से) करें। हर बार जब भी बजट पेश होता है, इस तरह की बातें कहना हम को शोभा नहीं देता है और न आपके लिए इस तरह की बातें सुनना ठीक है।

मैं मानता हूं मिनिस्टर साहब भी कुछ नहीं कर सकते हैं। वह एक माउथ पीस हैं। उनको कैबिनेट जो हुक्म देगी, वही वह करेंगे। लेकिन जनाबेवाला, अगर मैं सारी हिस्ट्री को बयान करूं तो बहुत वक्त लग जाएगा। यह बात साफ है कि एक चोपड़ा कमेटी बैठी थी। इसके बाद जब मिनिस्टर साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे वास्ते एक कालेज बनेगा, तुम्हारे वास्ते अलग से रुपया रखा जाएगा और बराबरी के हकूक दिये जायेंगे। ३७ लाख रुपया पहले प्लान में रखा गया था जिसमें से दस लाख रुपया होम्योपेथी के लिए था। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस दस लाख रुपये में से दस पैसे भी होम्योपेथी के लिए पहले प्लान में आपने खर्च किए हैं? दस लाख रुपये की बात तो आप जाने दें, मैं पूछता हूं कि क्या दस पैसे भी खर्च किए गए हैं। दूसरे प्लान में एक करोड़ रुपया रखा गया है। इसको देख कर तो लोग कहेंगे कि कैसी खूबसूरत गवर्नमेंट है हमारी जिसने इतना रुपया रख दिया है। इसके अलावा ५२३ लाख रुपया या यों कहिये करीब पांच करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट्स ने रखा है। रुपया रखने में तो हमारी गवर्नमेंट बड़ी तेज है। मैं पूछता हूं कि आपने अब तक कितना रुपया खर्च किया है इस रुपये में से। राजकुमारी जी ने इस सदन में आश्वासन दिया था कि कलकत्ता में एक होम्योपेथी कालेज खुलेगा। यह कालेज खुला भी है। उस वक्त यह भी कहा गया था कि ये सैंट्रल इंस्टीट्यूट होगी। अब जनाबेवाला वह कालेज तो मौजूद है लेकिन उसका अस्पताल नदारद है। इसकी वजह यह है कि उसके बाद यह फैसला किया गया कि आधा रुपया स्टेट गवर्नमेंट दे। स्टेट गवर्नमेंट ने जवाब दिया कि आपने कभी हमसे पहले यह बात नहीं कही। अब न स्टेट गवर्नमेंट पैसा दे और न सैंट्रल गवर्नमेंट और वह कालेज न सैंट्रल गवर्नमेंट का रहा न ही स्टेट गवर्नमेंट का और त्रिशंकु की भांति बीच में ही लटक रहा है। पहले सैंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बनाना और फिर मुकर जाना कहां का इंसाफ है?

हमारी गवर्नमेंट ने एक दवे कमेटी बिठाई थी। उस कमेटी ने बड़ी मेहनत के साथ अपनी रिपोर्ट तैयार की और गवर्नमेंट के सामने पेश की। पिछली बार भी उस रिपोर्ट का ज़िक्र आया था। मैंने रिपोर्ट को पढ़ा है। सन् १९५२-५३ में पहले पहल सारे वैद्यों और होम्योपैथों को बुलाया गया था और फिर १९५६-५७ में उनको दावत दी गई। उनसे कहा गया कि तुम आया करो और अपनी बात बतलाया करो। उन लोगों ने एक मैमोरेंडम पेश किया और उस मैमोरेंडम में पांच सात कंडिशंस (शर्तें) थीं। उनमें से पांच कंडिशंस मंजूर कर कर ली गईं। लेकिन कंडिशंस को मुकर्रर करना, रुपया सैंकशन करना तो हमारी सरकार का बायें हाथ का खेल है और एक्चुअली काम करना बहुत मुश्किल है। अब आप देखें कि क्या हुआ। आपको मालूम ही है कि इस सदन में आल इंडिया मैडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में कितना झगड़ा हुआ था जिसमें यह सवाल पैदा हुआ था कि माडर्न सिस्टम आफ मैडिसिन कौन सा हो। उस वक्त यह कहा गया था कि होम्योपेथी, आयुर्वेद, यूनानी इत्यादि को काफी बढ़ावा दिया जाएगा और उनको वही दर्जा दिया जाएगा जो दूसरों को दिया गया है। लोगों को लुभाने के लिए

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

आप ने एक एडवाइज़री काउंसिल बना दी है । एडवाइज़री काउंसिल आयुर्वेद के लिये मुकर्रर कर दिया गया है लेकिन होम्योपैथी के लिये आज तक नहीं बनाया गया है । एक आश्वासन दिया गया था कि डायरैक्टोरेट बनेगा क्योंकि बिना डायरैक्टोरेट के काम नहीं चलता है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप ने आज तक होम्योपैथी के लिये कोई डायरेक्टोरेट की स्थापना की है ? क्या आप ने स्टेट्स के अन्दर कुछ काम किया है ? क्या स्टेट्स ने भी अपनी तरफ से कुछ किया है ? क्या आप ने किसी स्टेचुटरी आथोरिटी की स्थापना की है ? आप कुछ भी नहीं कर सके हैं । मैं आप की दिक्कत को समझता हूं । आप करना भी चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते हैं । कैबिनेट की दूसरी मीटिंग अगर हो जाय तो आप आगे बढ़ सकते हैं । लेकिन यहां पर तो मुसीबत यह है कि आप साफ साफ बात को नहीं बतलाते हैं । मेरा उन के खिलाफ क्रिटिसिज्म यह है कि आप यह साफ साफ क्यों नहीं कहते हैं कि मैं बेबस हूं । बजाये इस के कि आप इस तरह से कहें कि जब आप बोलते हैं तो इस तरह से बोलते हैं कि हम को पूरा पूरा एतबार हो जाता है कि कहीं न कहीं जा कर बात तो टिकेगी । लेकिन नतीजा वही निकलता कि टायं टायं फिस ।

सवाल यह पैदा होता है कि अगर आप करना चाहते हैं तो क्यों नहीं करते हैं? आप ने एक फैसला कर दिया है कि स्टेट्स की मर्ज़ी है कुछ करें या न करें । आप ने कह दिया है कि तुम जानो और स्टेट्स जानें । वे आयुर्वेद के लिये होम्योपैथी के लिये कुछ करें या न करें, उन की मर्ज़ी । हम क्या करेंगे इस के बारे में आप ने कह दिया कि हम कुछ रिसर्च करवायेंगे । यह आप का लेटेस्ट डिसिशन है १९५८ का । यह आई-ओपनर है । इस का मतलब यह है कि जब तक श्री करमरकर साहब मेहरबानी कर के कैबिनेट का दूसरा डिसिशन न करायें उस वक्त तक उन को मैडिकल काउंसिल के इस फैसले पर चलना होगा और यह एक ऐसा फैसला है जो पुराने सब वादों पर पानी फेरता है । कहां डायरेक्टोरेट (निदेशालय) यह बनेगा और कहां पर कोई इंस्टीट्यूट बनेगी, कुछ पता नहीं । जामनगर में एक इंस्टीट्यूट खोली गई है । उस के वास्ते जो कुछ आप ने किया है, उस के लिये हम सब आप के मशकूर हैं । लेकिन जो कुछ किया गया वह काफी नहीं है । मैं भली भांति जानता हूं जो कुछ गवर्नमेंट ने किया है । क्या आप को चीन की मिसाल का पता नहीं है जहां पर कि ट्रेडिशनल सिस्टम (परम्परागत पद्धति) को ले कर नए सिरे से दोनों को सिंथेसिस होल (पूरे संश्लेषण में) में मिला कर एक नई रंगत दी गई है । आज हर एक किसी से, प्राविन्सेज़ में जा कर पूछिये कि लोग क्या चाहते हैं । यह जो आप का एलोपैथिक सिस्टम है, जिस को आप अपनाते हैं, उस के लिये आप क्यों नहीं कहते कि स्टेट जो मर्जी आये करे । इस के वास्ते आप का अंकुश है इस के वास्ते यह कह कर देखिये कि स्टेट जो चाहे करे तो पता लगेगा कि क्या नतीजा निकलता है । आज यह सिस्टम बहुत महंगा है । इस के अन्दर कोई मरीज जाये तो कहेंगे कि पहले पेशाब दिखाओ, पाखाना दिखाओ, थूक दिखाओ, लंग्ज़ दिखाओ । इतना रुपया उस का लग जाता है पेश्तर इस के कि उस का इलाज शुरू हो । दूसरे सिस्टम्स हमारी तबियतों के मुताबिक हैं । हर एक घर के अन्दर ट्रैडिशनल दवायें मौजूद हैं, उन से फायदा उठाया जा सकता है । लेकिन कुछ नहीं हो रहा है आयुर्वेद पर जोकि पूरी साइंस है, होम्योपैथी सिर्फ यहां ही नहीं है, अमरीका में जा कर देखिये कि उस में कितने नये से नये इंवेंशन्स होते हैं । उस में मर्ज को मालूम करने के जो तरीके हैं वह दूसरे इंवेंट (निकाले) किये गये हैं । यह एक लिविंग साइंस है । अगर आज आयुर्वेद और यूनानी लिविंग साइंस नहीं हैं, जबर्दस्त साइंस नहीं है तो इस से बड़ा कलंक आप के ऊपर नहीं आ सकता कि पिछले दस सालों में हमारी पुरानी चीजों को आप ने रिवाइज़ (पुनरीक्षित) करने की कोशिश नहीं की । आप कम से कम जी जान से उन नये तरीकों का चलाते तो जोकि हमारे यहां के सिस्टम में हैं, साइंस में हैं । आपको उन के खिलाफ प्रेजुडिस नहीं होना चाहिये । लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जब तक कैबिनेट का

डिसीजन न हो । आप की आल इंडिया मेडीकल इंस्टीट्यूट बन रही है आप चार करोड़ रु० खर्च करने जा रहे हैं । इस पर आप १ करोड़ ३९ लाख रु० खर्च कर चुके हैं । दरअस्ल जब आप ने पिछली दफा गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के लिये स्कीम रक्खी थी उसी वक्त मैं ने आप की खिदमत में अर्ज़ किया था जो लोग वैद्य और होम्योपैथ्स से ही इलाज कराना चाहें, उन के लिये आप इंतजाम करें । लेकिन आप सेन्टर में तो हवा नहीं लगने देते । आप ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया । अच्छे वैद्य आप के पास नहीं, अच्छे होम्योपैथ नहीं । जो लोग होम्योपैथिक तरीके से इलाज करवाना चाहते हैं इस का कोई इंतजाम आप के पास नहीं है । लेकिन यह सब आप के अख्त्यार में है, आप जो चाहें कर सकते हैं, सब आप के अख्त्यार में है । आप सारी प्राविंसेज़ (प्रांतों) के सामने मिसाल कायम कर सकते हैं और प्राविंसेज़ आप से सबक लेंगी ।

यद् यद् चरति श्रेष्ठः तद् तदेव इतरो जनः
स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते

अब यहां पर तो ऐलोपैथिक ही ऐलोपैथिक ही भरी हुई है । आप उस के दिलदादा हैं, जहां चाहते हैं ऐलोपैथिक को चलाते हैं । आखिर स्टेट बेचारी क्या करेंगी ? आप ने स्टेट और सेन्टर के अन्दर इतना बाईफर्केशन (बिखराव) क्यों किया, इस का मुझे पता नहीं, लेकिन आप ने सख्त गलती की है और इस से बड़ा नुक्सान होगा । एक चीज जाहिर है कि कोई कुछ भी कहना चाहे, यह कह कर आप आसानी से इवेड कर सकते हैं, यहां जाओ, वहां जाओ, वह पेन्डुलम की तरह फिरता रहे । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप ने जो यह रुपया रक्खा है ५ करोड़ २३ लाख उस में आप ने लिखा है कि २२१ लाख रु० आप इन नये कालेजज के बनाने व पुरानों की मदद के लिये देंगे । मैं पूछना चाहता हूं कि आप ने सेन्टर में कितने होमियोपैथिक कालेज और स्कूल खोले इन पिछले सात या आठ वर्षों में । कितने आयुर्वेदिक के स्कूल शुरू किये हैं जिस में कि आप का डाइरेक्ट अख्त्यार है । स्टेट्स के अन्दर अगर आप आज डाइरेक्टिव भेज दें तो तीन दिन के अन्दर सब कुछ हो जाय । सारे देश में ३९ करोड़ आदमी हैं, उन की मेडिकल रिलीफ गैरमुमकिन है । अगर आप ऐलोपैथिक सिस्टम को यहां चलायेंगे तो कोई भी आज का डाक्टर देहात में जाने को तैयार नहीं है । इस का एक ही इलाज यह है कि जो सस्ते सिस्टम हैं इलाज करने के उन को तरक्की दें । यहां का एक सिस्टम बने । आप ने जो कालेज बनाये, वह आप की पालिसी कितनी गलत थी । उस के ऊपर सन् १९५६ में प्रोटेस्ट (विरोध) किया गया । सन् १९५६ में एक मेमोरैन्डम गवर्नमेंट के पास भेजा दूसरे सिस्टम वालों ने जिस की एक कापी मेरे पास है । उस में कहा गया कि आप अपनी पालिसी चेन्ज करें । लेकिन आप तो जितनी चीजें बनाते हैं उस में ऐलोपैथिक को ही स्पिअरहेड के तौर पर बिठला दिया जाता है । उन्हीं को सारे अख्त्यार होते हैं । आज करीकुलम बनायें तो ऐलोपैथर्स, कोई भी चीज करें होमियोपैथी के लिये तो वह भी ऐलोपैथ्स करें । लड़कों से हां या ना कराना उन के हाथ में है । बम्बई में क्या हुआ जिस समय वहां श्री मोरारजी देसाई थे ? उन्होंने प्योर (शुद्ध) आयुर्वेदिक की तालीम वहां शुरू की । और वह वहां पर सब जगह शुरू हुई । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि दरअस्ल मामला यह है कि आप ने जो पांच या सात बातें कबूल की हैं आप उन्हीं को रंग दीजिये, उस को कार्य रूप में तब्दील कीजिये, अगर आप बिजिनेस मीन (काम करना चाहते) करते हैं । अगर बिजिनेस मीन नहीं करते तो इस झगड़े को खत्म कीजिये, लेकिन आप कैबिनेट की मीटिंग के बिना कुछ नहीं करेंगे । मैं तो कहता हूं कि इस को मंजूर कराइये, हमारा पीछा छूटे और आप का पीछा छूटे । कैबिनेट जिस को चाहे जवाब देगी । मैं पूछता हूं कि क्या आप एक कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुलवा सकते ? एक बार उस को बुलवा कर आखिरी फैसला कीजिये जिस में हाउस का टाइम बरबाद न हो । आप को इस मामले में जड़ पर पहुंचना चाहिये, सिर्फ ऊपर की चीज पर ही नहीं रहना चाहिये । आप जो रुपया अपना खर्च कर रहे हैं अगर आप लिखते कि हम ने इतने वर्षों में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

इतने कालेजेज खोले, इतने रिसर्च इंस्टिट्यूशन्स (गवेषणा प्रतिष्ठान) खोले, तो यह समझ में आ सकता था। लेकिन आप दूसरे तरीके से कहते हैं। आप ने कह दिया कि इतना रुपया स्टेट को दे दिया है। आप ने उन को सिर्फ २ लाख ९३ हजार रु० दिया है, इस से क्या होता है? आप ने ऐसाइनमेंट तो किया हुआ है, लेकिन रुपया उन को नहीं मिला है। जो रुपया मिला हुआ है वह सिर्फ कागज पर मिला है। आप जो कुछ होमियोपैथी पर खर्च करना चाहते हैं वह पूरा नहीं होता क्योंकि आप एलोपैथ्स से घिरे हुए हैं। आप की सारी मेडिकल कौंसिल, आप सेक्रेटरीज के चारों तरफ माहौल इस तरह का बना हुआ है कि आप उस के चंगुल से निकल नहीं सकते। सिर्फ करमरकर साहब तो निकल सकते हैं, बशर्ते कोई उन के वास्ते रास्ता खोल दे। उधर से कैबिनेट ने उन का रास्ता बन्द किया हुआ है और इधर से वे निकल नहीं सकते। हम आप पर यकीन भी रखते हैं और आप की मुसीबत को जानते हैं। इस लिये आप के काम की सराहना भी करते हैं और सिर पटक कर और शिकायत भी ले कर आते हैं कि कुछ कीजिये। मैं आप से बहुत जोर के साथ अपील करूंगा कि इस झगड़े की तरफ मेहरबानी कर के तवज्जह दे कर हल कीजिये। इस की टेम्परिंग से या दूसरे तरीके से या बहुत मीठी मीठी बातों को बता देने से यह हल नहीं होगा। हम में जो खामियां हैं उन को हमें कबूल करना चाहिये और आप को भी इस के लिये डाइरेक्ट हल निकालना चाहिये, सुपरफिशल (ऊपरी) हल से यह मसला तय नहीं होगा।

श्री रामजी वर्मा (देवरिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व बहन सुशीला नयार ने हाउस का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया कि सरकार का ध्यान जहां लोहा और सीमेंट बनाने की तरफ ज्यादा है वहां लोगों के स्वास्थ्य की ओर कम। हमारा राष्ट्र आज संसार में शायद चीन के बाद पापुलेशन की दृष्टि से पहला राष्ट्र होगा जिस की जनसंख्या ३९ करोड़ के लगभग है। यह सोचना चाहिये कि अगर ३९ करोड़ लोग स्वस्थ हों तो यह मुल्क कितनी जल्दी और कहां तरक्की कर के पहुंच सकता है। इस को आज हम कह नहीं सकते। किन्तु क्या यह मुल्क स्वस्थ है? यहां के लोग स्वस्थ हैं? आज मुझे इस से कोई झगड़ा नहीं कि कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर है या दूसरे रैंक का क्योंकि यह सत्य है कि भारत सरकार का ध्यान भारत की जनता के स्वास्थ्य की तरफ नहीं है। सरकार तो उस की उपेक्षा करती है और इसीलिये चाहे किसी रैंक का मिनिस्टर हो, इस विभाग का खर्च कम है, उस का बजट कम है और उस की तरफ हर तरह से उपेक्षा है। जब सरकार की यह उपेक्षा नीति है तो उस का असर मुल्क पर भी पड़ता है। अगर सहगल साहब यह पेश करते हैं कि दिल्ली में कोई डाक्टर किसी बहन का आपरेशन करता है, बाद में उस के पेट में खून रोकने का औजार छोड़ देता है तो वह उपेक्षा नहीं है तो और क्या है? जब सरकार भारत की जनता के स्वास्थ्य की उपेक्षा करती है तो डाक्टर भी उपेक्षा करता है। यह हालत है इस मुल्क की फिर उस की रक्षा कैसे हो?

श्री करमरकर : मैं माननीय सदस्य के भाषण में रुकावट नहीं डालना चाहता फिर भी अदब से कहना चाहता हूं कि कोई औजार निकला या नहीं वह चीज आज पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है। हम भी बहुत ऐंग्शस (उत्सुक) हैं कि अगर किसी ने गलती की है तो उस के लिये ऐक्शन लिया जाय। लेकिन जो चीज आज कल इन्वेस्टिगेशन में है उस के बारे में सदन में कोई चीज नहीं आनी चाहिये।

श्री रामजी वर्मा : एक माननीय सदस्य ने इसका जिक्र किया था इसलिए मैं ने कहा। मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी का ध्यान उस तरफ है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब उस मामले में तहकीकात हो रही है । तो उस मे कुछ कहने की जरूरत नहीं है ।

श्री रामजी वर्मा : इस मुल्क में हर साल मलेरिया से ६ करोड़ लोग बीमार पड़ते हैं । यहां पर मलेरिया, फाइलेरिया, चेचक, टी० बी० इतनी फैल रही है कि अगर आप डाक्टरों से राय लें और एक एक आदमी को एग्जामिन करवावें तो शायद कोई ही आदमी स्वस्थ निकले । तो जहां मुल्क का मुल्क बीमार हो वहां भी स्वास्थ्य विभाग और केन्द्रीय सरकार उपेक्षा करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर सारा मुल्क ही बीमार है तो इलाज कौन करेगा ।

श्री रामजी वर्मा : यह जिम्मेदारी जिस मिनिस्टर को भी दी जायेगी उसके लिए यह बहुत भारी जिम्मेदारी होगी, चाहे वह कैबीनेट रैंक का हो या न हो । लेकिन उस मिनिस्टर को इस रैंक की परवाह न करते हुए काम करना चाहिए क्योंकि सारे भारत को स्वस्थ बनाने की उसकी जिम्मेदारी है । मिनिस्टर साहब ने इस भार को लिया है । मैं उनको धन्यावाद देता हूं और मेरी उनसे प्रार्थना है कि वे इस भार को खूबी के साथ संभालें । इस विषय में उनको किसी के विरोध का सामना नहीं करना होगा क्योंकि कौन ऐसा है जो कि यह चाहे कि भारत का हर नागरिक स्वस्थ न बने ।

आपने मलेरिया के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां बाढ़ आती है । बाढ़ जाने के बाद मलेरिया शुरू होता है । बाढ़ जब आती है उसके समाचार अखबारों में छपते हैं, लेकिन जब बाढ़ के बाद मलेरिया से लोग मरने लगते हैं तो उसकी चर्चा कहीं नहीं सुनायी देती । आपने जो प्रयत्न किये हैं उनके बाद भी अगर गणना की जाये तो मेरा खयाल है कि यह मालूम होगा कि मलेरिया से पीड़ित लोगों का फिगर हमारे यहां बढ़ा ही है । यह ठीक है कि कुछ बड़े शहरों में मलेरिया नहीं है । दिल्ली में मलेरिया नहीं है, दिल्ली में मच्छर नहीं हैं । लेकिन कुछ शहरों को ही मलेरिया से बचा लेने मात्र से इस विभाग का कार्य पूरा नहीं हो जाता । जो दवा के मामले में भी शहर और देहात में भेद करता है उसे वह छोड़ना चाहिए । देहात में तो और ज्यादा दवा की जरूरत है । मैं कहता हूं कि हमारी सरकार का ध्यान लोहा लक्कड़ की तरफ बहुत गया है । आप कहेंगे कि तुम अपनी कांस्टीट्यूएंसी (निर्वचन क्षेत्र) की ही बात कहते हो । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां देवरिया में एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाया गया है । लोग कहते हैं कि कुछ तो हुआ । कांग्रेस के भाई कहते हैं कि इतना बड़ा अस्पताल तो बना है । लेकिन मैं पूछता हूं कि उसमें कितने डाक्टर हैं । मरीजों की संख्या देखिये । हिन्दुस्तान में अस्पतालों में मरीजों की संख्या रोज बढ़ती जा रही है । लेकिन उनको अटेंड करने के लिए स्टाफ कितना है ? डाक्टर कितने हैं, बैड कितने हैं । सारी बिल्डिंग खाली पड़ी है । इतना बड़ा मकान बनाने में मैं समझता हूं कि पैसे का दुरुपयोग नहीं है तो और क्या है ।

मलेरिया से जो देहातों में नुकसान हो रहा है उसकी तरफ सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए । रिपोर्ट में मलेरिया के बारे में लिखा है कि अभी तक प्रति वर्ष ५७० लाख लोगों को मलेरिया प्रति वर्ष होता रहा है और उसके कारण १७१० लाख जन-हितों की हानि हुई थी । इस चीज़ को देखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसको देहात में मलेरिया को रोकने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए ।

अभी मेरे पूर्व वक्ता पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि आप आयुर्वेद की परवाह नहीं करते । मैं सच कहता हूं कि यदि आप आयुर्वेद पर निर्भर रहें तो जो बहुत सा रुपया आपको विदेशी

[श्री रामजी वर्मा]

को भेजना पड़ रहा है वह बच जाय । कौन दवा है जो इस मुल्क में नहीं है । बड़ी बड़ी जड़ी बूटियों जंगलों में सूख रही हैं । यहां पर संजीवनी बूटी वही जिसका हमारे वैद्य उपयोग करते थे । इस तरह से आपका बहुत सा पैसा बाहर जाने से बच सकता है । लेकिन आपका ध्यान इस तरफ नहीं है । आप तो आयुर्वेद को कोई साइंस ही नहीं समझते । आप चाहे न समझें लेकिन मुल्क की जनता तो आपकी डाक्टरी के भरोसे नहीं बैठी रहेगी । अगर आप देश को जिन्दा रखना चाहते हैं तो आपको वैद्यों और हकीमों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा । इंडीजीनस दवाओं को आप अछूत बनाकर अलग निकाल देते हैं । और इसी के साथ आप होमियोपैथी को भी जोड़ देते हैं । होमियोपैथी के सम्बन्ध में भार्गव जी ने बहुत कुछ कह दिया है इसलिये मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता । लेकिन एलोपैथी की तरह यह भी एक साइंस है और यह उन देशों से आयी है जिनको साइंस में आगे बढ़ा हुआ माना जाता है । आप उसको अवसर दें कि वह अपने को साइंटिफिक सिद्ध कर सके ।

आप इंडीजिनस दवाओं के लिये, वैद्य हकीम सब के लिये मिला कर एक ही रकम दे देते हैं । तो वैद्य कहते हैं कि हमको मिलना चाहिये, हकीम कहते हैं कि हमको मिलना चाहिये और होमियोपैथी वाले कहते हैं कि हमको मिलना चाहिये । मैं चाहता हूं कि आप इन पद्धतियों को अलग अलग करके सब के लिये अलग अलग अनुदान दीजिये ।

यहां पर बड़े बड़े रोगों का ज़िक्र किया गया । लेकिन इस मुल्क में कोढ़ भी एक भयंकर राग है । यह घृणित रोग है और जब तक इस देश में एक भी कोढ़ी है यह भारत के लिये कलंक की बात है । आपके लिये कलंक की बात है और सरकार के लिये भी कलंक की बात है । आप कहेंगे कि यह तो बहुत दिनों से चला आ रहा है । आज शायद देश में एक चौथाई करोड़ कोढ़ी सड़कों पर और बाजारों में और स्टेशनों पर घूमते हैं । रिपोर्ट में पढ़ा है कि यह क्योरेबिल बीमारी है । तो फिर इसका क्योर क्यों नहीं किया जाता । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इन कोढ़ियों के लिये जगह-जगह एसाइलम बना दीजिये और वहां पर उनको और कुछ नहीं तो अन्न वस्त्र दीजिये ताकि उनका सड़कों और बाजारों और स्टेशनों पर घूमना रुक सके । आप इस रोग को रोकने के लिये जितना रुपया खर्च करते हैं उससे कहीं ज्यादा रोग ये लोग इस तरह घूम कर फैला रहे हैं । आप इनको एसाइलम में रखकर खाना दीजिये । ये लोग जगह जगह पैसा मांगते हैं । अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आप भी जगह जगह चैरिटी बाक्स रखवा दीजिये कि जिनमें लोग ऐसे लोगों के लिये दान कर सकें और उससे .....

उपाध्यक्ष महोदय : बक्सा वहां पड़ा रहेगा या हैल्थ मिनिस्टर के पास आवेगा ?

श्री रामजी वर्मा : मैं हैल्थ मिनिस्टर साहब से ही अनुरोध कर रहा हूं कि वह जैसा करें। मैं उनका सिर्फ ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं ।

इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में सब से बड़ा रोग तो गरीबी है । आप कितने ही डी० डी० टी० छिड़किये और कितना ही पैनिसिलिन लगाइये और बाहर से और दवायें मंगा कर दीजिये लेकिन आप उनसे देश का कल्याण नहीं कर सकते । यहां तो लोग भूख से मर रहे हैं । शायद आपने उत्तर प्रदेश की असेम्बली की डिबेट में पढ़ा होगा कि एक आदमी गुठलियां खा कर मर

गया । खाद्यान्न के अभाव में लोग अखाद्य खाकर अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं और इस तरह कितनी ही नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं । तो सब से बड़ा रोग तो इस मुल्क का गरीबी है । इसकी तरफ़ आपको ध्यान देना चाहिये । और इस ग़रीबी के लिये बड़े बड़े. . . .

उपाध्यक्ष महोदय : गरीबी उस तरफ़ से दूर नहीं होगी इस तरफ़ से दूर होगी ।

श्री रामजी वर्मा : यही वजह है कि मैं इस तरह से सरकार को सुझाव दे रहा हूं । कहा जाता है कि इस देश की गरीबी का मुख्य कारण आबादी का बढ़ना है । फैमिली प्लानिंग (परिवार नियोजन) होना चाहिये । एक तरफ आप फैमिली प्लानिंग की बात कहते हैं और दूसरी तरफ़ मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे हैल्थ मिनिस्टर साहब ने उस हाउस में फरमाया था कि आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन (कृत्रिम गर्भाधान) भी कानूनी है ।

†**श्री करमरकर** : मैं ने जिस कृत्रिम गर्भाधान की बात कही थी वह केवल दो ही केन्द्रों में किया गया था और वह भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है । मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम ने किसी भी क्षेत्र में किसी भी कृत्रिम गर्भाधान को मान्यता नहीं दी है । और सरकार की इस में कोई जिम्मेदारी नहीं है ।

श्री रामजी वर्मा : जो कुछ भी होगा, हमारे मंत्री जी उस को स्पष्ट करेंगे । मेरा निवेदन यह है कि उस में कोई कानूनी बारीकी हो सकती है और कानूनी तौर पर यह जायज हो सकता है, लेकिन बढ़ती हुई पापुलेशन का यह उपाय नहीं है । एक तरफ आप प्लैनिंग करते हैं और दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इनसैमिनेशन---ये एक साथ नहीं चल सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इस में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है ।

श्री करमरकर : हम ने यह नहीं कहा कि यह लीगल है या इल्लीगल : जब सवाल पूछा गया, तो चेअरमैन ने कहा कि यह तो ला मिनिस्टर्ज की चीज है, हमारी चीज नहीं है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आनरेबिल मिनिस्टर को ऐसा नहीं करना चाहिये ।

श्री रामजी वर्मा : मेरा निवेदन यह है कि फैमिली प्लैनिंग की तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये, लेकिन जो तरीके अब तक बरते गये हैं वे भारत जैसे मुल्क में अव्यावहारिक हैं । अगर आप इस विषय पर वोट लें, तो आप को मालूम हो जायेगा कि लोगों के विचार क्या हैं । भारतीय ललनाओं को कहा जाय कि वे डाक्टरों के पास जा कर फैमिली प्लैनिंग का उपाय सीखें, यह नहीं हो सकता । आप ने आर्टिफिशियल मीन्ज (कृत्रिम साधनों) के द्वारा फैमिली प्लैनिंग का प्रचार करने पर जो खर्च किया है, वह पाप पढ़ाने में भले ही मददगार हुआ हो, लेकिन फैमिली प्लैनिंग के लिये उस का उपयोग नहीं हो सका है । आप ने इस पर रुपया और साधन खर्च किया है । भार्गव साहब ने इस बारे में इशारा किया था, वह आप कर सकते हैं । फैमिली प्लैनिंग के नाम पर आप बहुत सी ऐसी चीजें कर रहे हैं, जो कि भारतवर्ष में अव्यावहारिक हैं ।

मंत्री जी फैमिली प्लैनिंग पर पया खर्च कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में मैं यह पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का जो दृष्टिकोण है, वह स्वास्थ्य के सिद्धान्तों के बिल्कुल विपरीत

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामजी वर्मा]

है। इस का मैं एक दाहरण देता हूं। देहात के रहने वाले होने पर भारतीय होने के कारण हम ने यह निवेदन किया था कि एम० पीज० फ्लैट्स (सदस्यों के बंगले) में जो लैट्रिन संडासें और बाथ रूम साथ साथ बने हुए हैं, वे भारतीय रुचि के अनुकूल नहीं हैं। यह बात न तो यहां के इंजीनियर की समझ में आती हैं और न किसी और की समझ में आती है। मैं हैल्थ मिनिस्टर से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह भारतीय रुचि के अनुकूल है कि भोजनोपरान्त लैट्रिन में जा कर मूंह हाथ धोये और कुल्ला करें। यह व्यवस्था तो कुरुचि पैदा करने वाली है---आप स्वास्थ्य सुधारने की बात करते हैं। मैं ने हाउसिंग कमेटी में यह बात उठाई, लेकिन उस कमेटी के सदस्य भी इस बात को सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। जहां यह कुरुचि पैदा की जाती है, वहां स्वास्थ्य कैसे सुधरेगा। इस उदाहरण को देने का मतलब यह है कि हमारी सरकार का दृष्टिकोण कुरुचिपूर्ण हो गया है और विदेशी चीजों में उलझ गया है और वह साधारण चीजों, यहां की सस्ती और अच्छी दवाओं, जड़ी-बूटियों और शुद्ध रहन-सहन के तरीके आदि की उपेक्षा कर रही है। उस ने जो तरीके अपनाये हैं, वे कुरुचिपूर्ण और अस्वास्थ्य-कर हैं। इन बातों की तरफ मैं आप के जरिये मिनिस्ट्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

स्वास्थ्य मंत्रालय की विभिन्न मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
४७	७३९	श्री नौशीर भरूचा	दिल्ली के जल संभरण का दूषण	१०० रुपये
४७	८२४	श्री ले० अचौ० सिंह	मनीपुर में बी० सी० जी० की आवश्यकतायें	१०० रुपये
४७	८२८	श्री आसर	विदर्भ मैडिकल स्कूल के विद्यार्थियों की मांगों को पूरी किया जाना	१०० रुपये
४८	६९९	श्री कोडियान	देहाती क्षेत्रों के डाक्टरों को पर्याप्त सुविधायें देना	१०० रुपये
४८	७००	श्री कोडियान	डाक्टरों की अतिवयस्कता को आयु में वृद्धि करना	१०० रुपये
४८	७०१	श्री कोडियान	मानसिक रोगों की चिकित्सा के अस्पताल	१०० रुपये
४८	७०२	श्री कोडियान	अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था में क्लिनिक की शिक्षा व्यवस्था	१०० रुपये

१	२	३	४	५
४८	७०३	श्री कोडियान	चिकित्सा गवेषणा की सुविधायें	१०० रुपये
४८	७०४	श्री कोडियान	तपेदिक के रोग नियंत्रण कार्यक्रम की धीमी प्रगति	१०० रुपये
४८	७०५	श्री कोडियान	कोढ़ नियंत्रण में असफलता	१०० रुपये
४८	७०६	श्री कोडियान	केरल के नूरनाड के कोढ़ के अस्पताल को केन्द्रीय सहायता।	१०० रुपये
४८	७०७	श्री कोडियान	फाइलेरियसिस के नियंत्रण की धीमी प्रगति	१०० रुपये
४८	७०८	श्री कोडियान	परिचारिकाओं के प्रशिक्षण के लिये अधिक सुविधायें	१०० रुपये
४८	७०९	श्री बि० दास गुप्त	नकली दवाओं के निर्माण और विक्रय को रोकने में असफलता	१०० रुपये
४८	७१०	श्री बि० दास गुप्त	रांची के पागलखाने के विस्तार की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	७११	श्री बि० दासगुप्त	पश्चिमी बंगाल में एक पागलखाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	७१२	श्री बि० दास गुप्त	अस्पतालों में गरीब जनता के लिये सुविधाओं का अभाव ।	१०० रुपये
४८	७१३	श्री बि० दास गुप्त	अस्पतालों में दाखिल होने वाले निशुल्क और सशुल्क मरीजों की वर्तमान प्रणाली को बन्द करना	१००रुपये
४८	७१४	श्री बि० दास गुप्त	देहाती जनता को न्यूनतम चिकित्सा सुविधाओं का दिया जाना	१०० रुपये
४८	७१५	श्री बि० दास गुप्त	पश्चिमी बंगाल के बाँकुरा मेडिकल कालेज के लिये अनुदानों की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
४८	७१६	श्री बि० दास गुप्त	आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा-पद्धतियों के उचित विकास और प्रचार की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	७१७	श्री बि० दास गुप्त	गांवों में होम्योपैथिक चिकित्सालयों की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	७५१	श्री प्र० गं० देव	उड़ीसा के केन्द्रीय अस्पतालों को औषधियों का अपर्याप्त सम्भरण	१०० रुपये
४८	७५२	श्री प्र० गं० देव	उड़ीसा में आयुर्वेदिक औषधि गवेषणा प्रयोगशाला की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	७५३	श्री प्र० गं० देव	उड़ीसा के सम्भलपुर में दूसरे मैडिकल कालेज की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	८२९	श्री ले० अचौ० सिंह .	मनीपुर के अस्पतालों में परिचारिकाओं और दाइयों के अपर्याप्त वेतन तथा भत्ते	१०० रुपये
४८	८३०	श्री ले० अचौ० सिंह .	मनीपुर के प्रसव केन्द्रों में अपर्याप्त सुविधायें	१०० रुपये
४८	८३१	श्री ले० अचौ० सिंह	इम्फाल नागरीय अस्पताल में दांतों के क्लिनिक के लिये अपर्याप्त व्यवस्था।	१०० रुपये
४८	८३२	श्री ले० अचौ सिंह	इम्फाल में तपेदिक के अस्पताल के लिये अपर्याप्त व्यवस्था ।	१०० रुपये
४८	८३४	श्री आसर	बम्बई राज्य में मध्यमवर्ग और श्रमिक वर्ग में तपेदिक रोकने में असफलता।	१०० रुपये
४८	८३५	श्री आसर	विभिन्न अस्पतालों के लिये परिचारिकाओं की अपर्याप्त संख्या ।	१०० रुपये
४८	८३६	श्री आसर	बम्बई राज्य में कोढ़-अस्पतालों की आवश्यकता ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
४८	८३७	श्री आसर	नकली औषधियों का निर्माण रोकने में असफलता ।	१०० रुपये
४८	८३८	श्री आसर	रत्नगिरि में आयुर्वेदिक कालेज की आवश्यकता ।	१०० रुपये
४८	८३९	श्री आसर	रत्नगिरि में आयुर्वेदिक गवेषणा प्रयोग-शाला की आवश्यकता ।	१०० रुपये
४८	८४०	श्री आसर	देहातों में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सालयों की आवश्यकता ।	१०० रुपये
४९	६९२	श्री बि० दास गुप्त	पुरुलिया जिले के सामुदायिक योजना क्षेत्र में स्वास्थ्य सर्वेक्षण और स्वास्थ्य सेवा योजना की कार्यान्विति न होना ।	१०० रुपये
४९	६९३	श्री बि० दास गुप्त	विस्थापित तपेदिक रोगियों की चिकित्सा की अपर्याप्त व्यवस्था ।	१०० रुपये
४९	६९४	श्री बि० दास गुप्त	सभी आरोग्य स्थानों में तपेदिक के रोगियों के लिये निःशुल्क बस्तियों की आवश्यकता ।	१०० रुपये
४९	६९५	श्री बि० दास गुप्त	पुरुलिया में कोढ़ सम्बन्धी गवेषणा संस्था की आवश्यकता	१०० रुपये
४९	६९६	श्री बि० दास गुप्त	देहाती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रसूति-केन्द्रों की आवश्यकता ।	१०० रुपये
४९	६९७	श्री बि० दास गुप्त	वनस्पति के उपयोग पर प्रतिबन्ध की आवश्यकता ।	१०० रुपये
४९	६९८	श्री बि० दास गुप्त	खाद्य अपमिश्रण को रोकने और नियंत्रित करने के लिये देहाती और शहरी क्षेत्रों में गैर-सरकारी संविहित समितियों की आवश्यकता ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
४६	७५४	श्री ग्र० गं० देव	उड़ीसा के वर्तमान केन्द्रीय अस्पतालों में निर्धारित अभ्यंश के अनुसार डाक्टरों और परिचारिकाओं की अपर्याप्त संख्या।	१०० रुपये
४६	८४१	श्री ले० अचौ० सिंह	मनीपुर में कुष्ट रोगियों के लिये अस्पतालों में अलग स्थानों की व्यवस्था।	१०० रुपये
४६	८४३	श्री आसर	रत्नगिरि ज़िले में स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा स्वास्थ्य सेवा योजना की कार्यान्विति की आवश्यकता।	१०० रुपये
४६	८४४	श्री आसर	बम्बई राज्य के देहाती क्षेत्रों में अपर्याप्त चिकित्सीय सेवा।	१०० रुपये

†**उपाध्यक्ष महोदय :** ये कटौती प्रस्ताव सभा के सामने हैं।

†**डा० पशुपति मंडल** (बांकुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : निधियों के अभाव के कारण यह मंत्रालय ठीक ढंग से अपना कार्य नहीं चला पाता। पिछली जनगणना के अनुसार हमारे देश में हर ६,००० व्यक्ति पीछे १ डाक्टर था। भोर समिति की सिफारिश के अनुसार हर २,००० व्यक्ति पीछे १ डाक्टर होना चाहिये।

डाक्टरों आदि के चुनाव में प्रान्तीयता का विचार नहीं करना चाहिये। हमारे देश में वैसे ही इनकी कमी है।

सरकार ने अभी तक ७ नये भेषजिक कालेज स्थापित किये हैं और १३ वर्तमान भेषजिक कालेजों का विस्तार आरम्भ किया है। लेकिन, सरकार, बांकुरा-स्थित भेषजिक कालेज के विस्तार की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। वह कालेज जनता से मिलने वाले दान पर ही चलता है। सरकार उसे कोई भी सहायता नहीं देती : उसमें ५० प्रतिशत विद्यार्थी पश्चिमी बंगाल से बाहर के रहते हैं। मंत्रालय को उसकी ओर ध्यान देना चाहिये।

सरकार ने भारत में भेषजिक कालेजों की स्थापना में लगने वाली लागत के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये एक समिति बनाई थी। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार ही अब यह निर्णय किया गया है किये भेषजिक कालेजों में प्रति विद्यार्थी ८०,००० रुपये अनावर्तक और ८०,००० रुपये आवर्तक रूप से व्यय किये जायेंगे, और वर्तमान कालेजों के विस्तार पर प्रति विद्यार्थी ६०,००० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

अनावर्तक और ८,००० रुपये आवर्तक रूप से व्यय किये जायेंगे। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को जो अनुदान देगी वे अनावर्तक व्यय के ९५ प्रतिशत और आवर्तक व्यय के ५० प्रतिशत होंगे। पश्चिमी बंगाल सरकार को कोई भी अनुदान नहीं दिया गया है, जबकि केवल कलकत्ता शहर में ही चार भेषजिक कालेज हैं। यदि केन्द्रीय सरकार न भेषजिक प्रतिष्ठानों को सहायता नहीं देगी, तो वे बन्द हो जायेंगे। स्वास्थ्य मंत्री को इसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

परिवार नियोजन के बारे में मेरी राय यह है कि गर्भ-निरोधक साधनों के लगातार योग से कैंसर पैदा हो सकता है। हमें जनता को सामाजिक स्वास्थ्य-विज्ञान की शिक्षा देनी चाहिये।

अभी तक भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९५६ को वर्तित नहीं किया गया है। इसे अविलम्ब प्रवर्तित किया जाना चाहिये।

हमारे देश में मलेरिया को हटाने के लिये एक कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। सरकार को सीमा पर स्थित अन्य देशों के साथ बात कर के इस कार्यक्रम को उनके साथ ही लगातार दो वर्ष तक लागू करना चाहिये। इस कार्यक्रम के लिये जनता का सहयोग भी प्राप्त किया जाना चाहिये।

बांकुरा में कुष्टरोग का बड़ा प्रकोप रहता है। हमें इसको भी खत्म करने के लिये जोरदार कार्यवाही करनी चाहिये। डाक्टरों को हर गांव में जा कर वहां की जनता को इसके संक्रमण से बचाना चाहिये।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना बड़े सुचारू रूप में काम कर रही है, लेकिन अभी तक उस योजना के डाक्टरों की सेवा को स्थायी नहीं बनाया गया है।

सरकार को जल-संभरण योजनाओं को संस्थापित करने के लिये और अधिक प्रयास करना चाहिये।

†**डा० सामन्त सिंहार** (भुवनेश्वर) : हमारे हां उड़ीसा में एक कहावत है कि एक गांव की समृद्ध धोबी के घाट से जानी जा सकती है। इसी प्रकार से देश की स्थिति का ज्ञान वहां के स्वास्थ्य तथा शिक्षा से हो सकता है। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि शिक्षा तथा स्वास्थ्य के मंत्री भी केबिनेट स्तर के हों।

हम अपनी आय का पचासवां भाग स्वास्थ्य सेवायों पर व्यय करते हैं। इस से हम देख सकते हैं कि हम देश का स्वास्थ्य कहां तक ले जायेंगे।

हमें देश की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिये ९०,००० अर्ह डाक्टरों की आवश्यकता है और हम ८२,००० डाक्टर प्राप्त करने का लक्ष्य बनाये हुए हैं किन्तु स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिवेदन से हमें यह पता ही नहीं चल रहा है कि अब स्थिति क्या है।

आज केन्द्र की मनोवृत्ति यह बन गई है कि स्वास्थ्य तो राज्य सरकारों का विषय है। किन्तु इस प्रकार से हमें उत्तरदायित्व से नहीं बचना चाहिये। केन्द्र को भी लोगों के स्वास्थ्य की वृद्धि के लिये कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रंजी में

[श्री सामन्त सिंहार]

मुझे यह खुशी कि स्वास्थ्य विभाग मलेरिया उन्मूलन की कार्यवाही कर रहा है किन्तु अब सुना है कि डी० डी० टी० से भी मच्छरों का नाश नहीं होता। हमें इस के लिये कोई अन्य औषधि बनानी चाहिये ।

आज कुष्ट रोग का उपचार सल्फोन से किया जाता है। इस औषधि से रोगी १ वर्ष में उस स्थिति में आता है कि फिर वह किसी पर अपने रोग का प्रभाव नहीं डाल सकता। किन्तु एक वर्ष के भीतर वह घर वालों पर तो इस का प्रभाव डाल ही देगा। अतः कुष्ट रोगियों को पृथक रखने की व्यवस्था होनी चाहिये। यह बात वास्तव में राष्ट्रहित के लिये होगी।

उड़ीसा में अभी मैं एक कुष्ट रोग चिकित्सालय में गया था। वहां उन्हें दवाई के लिये साल भर में केवल ७ रुपये मिलते हैं। इतनी थोड़ी राशि से क्या हो सकता है। कुछ थोड़ी इतनी राशि तो मिलनी चाहिये कि जिससे वे लोग निर्वाह सा तो कर सकें जो उचित हो।

आजकल चूंकि स्कूलों में भी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई है अतः वहां भी डाक्टरी परीक्षा ठीक तरह से नहीं होती। वास्तव में बच्चों की उचित देखभाल होनी चाहिये तथा उनका उपचार भी होना चाहिये ।

आजकल जिला अस्पतालों तथा जिले के अन्य अस्पतालों में भी समुचित समन्वय नहीं है। गांव के अस्पतालों में एक्स-रे आदि की सुविधायें भी कहीं नहीं हैं। गरीबों को दूर दूर इलाज के लिये जाना पड़ता है और वह इतना सामर्थ्य नहीं रखते ।

स्वास्थ्य मंत्रालय को देश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों की सहायता करनी चाहिये ताकि चिकित्सकों की वृद्धि हो ।

डाक्टर गांवों में जाना भी पसन्द नहीं करते क्योंकि उन्हें वेतन कम मिलता है। सरकार को डाक्टरों का वेतन बढ़ाना चाहिये तथा उन्हें प्राइवेट काम करने की अनुमति न देनी चाहिये । गांव में अधिक डाक्टरों को भेजना चाहिये। तथा उन्हें भारतीय सेवाओं के स्तर पर ले आना चाहिये ।

जहां तक परिवार आयोजन का सम्बन्ध है, इस कार्य के लिये ग्राम पंचायतों से पूरी पूरी सहायता ली जानी चाहिये। जहां जहां सामुदायिक परियोजनायें हैं वहां पर यह काम ग्राम सेविकाएं तथा पंचायतें भली भांति कर सकती हैं। इस समय यह आन्दोलन वास्तव में नगरों तक ही सीमित है ।

उड़ीसा में एक वर्ष से चेचक की महामारी फैली हुई है। बहुत से लोग इस रोग से मर रहे हैं। इस के लिये भी तुरन्त कुछ किया जाना चाहिये ।

मैं स्वास्थ्य मंत्रालय से प्रार्थना करता हूं कि हमें सम्बलपुर में भी दूसरा चिकित्सा कालेज खोलना चाहिये। उड़ीसा वाले दूसरे राज्यों से डाक्टरों की भर्ती करते हैं। यदि केन्द्र थोड़ी वित्तीय सहायता दे तो यह काम आसानी से हो सकता है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सरकार के प्रयास से क्षय रोग अस्पताल खुला है और उसके लिये मैं सरकार का आभारी हूं ।

---

†मूल अंग्रंजी में

†श्री पु० र० पटेल (मेहसाना) : यद्यपि स्वास्थ्य मंत्रालय प्रत्येक वर्ष ३१ करोड़ रुपये का व्यय करती है किन्तु देश का स्वास्थ्य दयनीय है । रोग उतने ही हैं ।

देश में प्रतिवर्ष ५ लाख लोग क्षय रोग से मरते हैं । यह रोग नगरों की अपेक्षा गांवों में ही अधिक है । कारण कि गांव में लाज की व्यवस्था ही नहीं होती । वहां मकानों की स्थिति भी अच्छी नहीं होती और उसी कारण यह रोग फैल जाता है ।

नगरों में हम गन्दी बस्तियां साफ करने का प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु गांव में एक एक कमरे में कम से कम छः छः व्यक्ति तथा एक आ पशु भी रखा जाता है । इसी कारण ग्रामीण अस्वास्थ्य हो जाते हैं । नगरों में तो बड़े बड़े अस्पताल हैं किन्तु गांवों में कुछ भी नहीं होता । सरकार को पांच मील के अन्दर एक अस्पताल की व्यवस्था तो अवश्य ही करनी चाहिये । यह नीति पहले बड़ौदा राज्य की थी किन्तु परिस्थितियों के कारण कार्यान्वित न हो सकी ।

इसी प्रकार गांवों के अन्दर प्रसूति ृह भी तो नहीं होते । क्या केवल नगरों में ही इनकी आवश्यकता है ?

हम ने एक प्रसूति ृह खुलवाने के लिये ३२,००० रुपये इकट्ठे किये थे किन्तु उसका प्रयोग ही नहीं हुआ और रुपया बम्बई राज्य के पास ही धरा है ।

बच्चों का स्वास्थ्य तो बहुत ही खराब है । क्या लड़के क्या लड़कियां सभी रोगी हैं । दिल्ली में ८९ प्रतिशत लड़के तथा ७९ प्रतिशत लड़कियां रुग्ण हैं यह दिल्ली की स्थिति है । गांवों की स्थिति तो और भी ज्यादा खराब होगी । यद्यपि हमारे देश के अधिक लोग गांवों में ही रहते हैं किन्तु हमारे अ क अस्पताल नगरों में हैं । यह कोई अच्छी बात नहीं है ।

आज सरकार आयुर्वेदिक की ओर भी कोई ध्यान नहीं दे रही । पहले हमारे वैद्य तथा हकीम अच्छी सेवा करते थे और सस्ता इलाज था । सरकार आयुर्वेदिक से तो सौतेली मां का सा व्यवहार करती है । जो थोड़े बहुत आयुर्वेदिक या यूनानी के कालेज हैं उनमें जो लड़के चार पांच वर्ष तक पढ़ कर निकलते हैं उन्हें सरकार काम करने की आज्ञा नहीं देती । तिब्बिया कालेज के पास हुए उमेदवारों को बम्बई सरकार मान्यता नहीं देती । अतः जो राज्य ऐसी रुकावटें लगाते हैं उन्हें सरकार को भी सहायता नहीं देनी चाहिये ।

श्रीमान् रोगों का फैलाव गन्दे जल से होता है । अब समस्त वासनकाष्ठा तथा काडी ताल्लुक में पीने का साफ पानी तक नहीं मिलता । दिल्ली जैसे नगर में भी हमें अच्छा दूध नहीं मिलता । अपमिश्रण हर चीज में होने लगा है ।

सरकारी डाक्टरों को निजी चिकित्सा की आज्ञा नहीं होनी चाहिये । यह लोग समाज के चोर हैं । लोगों से पता नहीं कितनी कितनी फीस लेते हैं । सब डाक्टरों की फीस भी निर्धारित की जानी चाहिये ।

श्री भ० दी० मिश्र (केसरगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, इस में कोई सन्देह नहीं कि स्वास्थ्य का विषय प्रान्तीय सरकारों से सम्बन्ध रखता है । किन्तु केन्द्रीय सरकार उन बड़े बड़े रोगों व व्याधियों की जो देश के एक कोने से ले कर दूसरे कोने तक फैले हुए हैं रोकथाम करने के लिये या उन पर नियंत्रण रखने के लिये जो प्रयत्न कर रही हैं, वे प्रशंसनीय हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भ० दी० मिश्र]

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय इन व्याधियों की रोकथाम करने के लिये यथाशक्ति प्रयत्न कर रहा है। जहां तक शुद्ध जल, शुद्ध वायु एवं सफाई का सम्बन्ध है उस के लिये भी केन्द्रीय सरकार ने अपनी योजनायें रखी हैं। राजयक्ष्मा, कुष्ठ, कैंसर आदि जो बड़ी बड़ी व्याधियां हैं और जिन से भारतवर्ष में एक कोने से ले कर दूसरे कोने तक काफी लोग पीड़ित हो रहे हैं, उन की रोकथाम के लिये भी कई तरह की योजनायें बनाई गई हैं। मलेरिया को रोकने के लिये सरकार ने बहुत बड़ा प्रयत्न किया है और यथा-सम्भव मैं यह कह सकूंगा कि उस पर इस ने काफी नियंत्रण पा लिया है। फाइलेरिया के सम्बन्ध में तथा इस तरह की जो दूसरी व्याधियां हैं, जो काम किया गया है वह अवश्य ध्यान देने योग्य है।

हमारे कई सदस्यों ने भवन के सामने और आप के द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से इस बात का निवेदन किया है कि इस में कोई सन्देह नहीं कि आप ने भोर कमेटी तथा चोपड़ा कमेटी की स्थापना की थी और उन की रिपोर्ट आने के पश्चात् एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन, अन्वेषणशाला जामनगर में आयुर्वेदिक रिसर्च के सम्बन्ध में सन् १९५३ में खोली है। इस इंस्टीट्यूट को मैं ने एक सदस्य की हैसियत से स्वयं जा कर देखा है। इस में भी कोई सन्देह नहीं है कि हमारी सरकार ने उस को खोलने में भी सहायता दी है। गुलाब देवी की एक संस्था है जोकि आयुर्वेद संस्था को चला रही थी और उस का आश्रय ले कर के वह रिसर्च शाला खोली गई है। मुझे इस संस्था को देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई है। जो कार्य वहां पर डा० पी० एम० मेहता के डायरेक्टरशिप में, उन के तत्वावधान में चलाया जा रहा है, वह बहुत ही अच्छे ढंग से चलाया जा रहा है। इस के साथ ही साथ सन् १९५६ में वहां एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग स्कूल की भी स्थापना की गई है जिस में २५-२५ लड़के ले कर के दो वर्ष में ५० विद्यार्थी लिये गये हैं और उन विद्यार्थियों में वे विद्यार्थी शामिल हैं जो किसी संस्था के निकले हुए स्नातक हैं या मान्यता प्राप्त संस्था से निकले हुए हैं या वैद्य रहे हैं और उन को वहां प्रशिक्षित किया जा रहा है।

वहां पर जो धनवंत्री भवन लोगों ने लगभग पांच लाख रुपया खर्च कर के बनाया है उस को भी मैं ने देखा है। मैं समझता हूं कि इस तरह की संस्थायें खोलने की चेष्टा यदि स्वास्थ्य मंत्रालय तथा राज्य सरकारें करें और केन्द्र राज्यों को इस तरह की संस्थायें खोलने की प्रेरणा दे तो आयुर्वेद की जो चिकित्सा प्रणाली है जोकि हमारे देश के लोगों को मान्य है और जिस के लिये हमारे यहां यह सिद्धान्त रहा है —यस्य देशस्य यो जन्तु तज्जम तस्य औषधम हितं,—तो इस चिकित्सा पद्धति का अधिक से अधिक विकास हो सकेगा और उससे अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकेंगे। लेकिन जैसाकि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने तथा उन बैंचों पर बैठे हुए एक माननीय सदस्य ने कहा है वास्तव में गवर्नमेंट का दृष्टिकोण इस चिकित्सा पद्धति की ओर जितना शुद्ध और जितना प्रगतिशील होना चाहिये उतना नहीं है। मैं ने रिपोर्ट को पढ़ा और मैं बतलाना चाहता हूं कि जामनगर रिसर्च इंस्टीट्यूट के इन दोनों विभागों के लिये हमारी सरकार ने केवल सवा पांच लाख रुपया, यानी तीन लाख रुपया तो रिसर्च विभाग के लिये और सवा दो लाख रुपया पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग स्कूल के लिये देने का आयोजन किया है। मैं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या इतनी थोड़ी रकम का रखा जाना किसी दृष्टि से भी उचित कहा जा सकता है? आप बीसियों करोड़ रुपये का बजट बनाते हैं और उस में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के लिये केवल पांच लाख रुपया रखने की चेष्टा करते हैं तो किस तरह से आप आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहन दे सकते हैं। इस तरह से आप इस को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं।

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् पीठासीन हुए]

एक बात और देख कर मुझे आश्चर्य हुआ है । इंडीइजिनस सिस्टम (देशीय प्रणाली) के बारे में आप ने अपनी रिपोर्ट में जहां कहीं भी लिखा है उस के साथ हमेशा ही आप ने होम्योपेथी को जोड़ दिया है । इंडींइजिनस सिस्टम्स में आयुर्वेदिक सिस्टम, यूनानी सिस्टम भले ही आ सकते हैं लेकिन होम्योपेथी जिस का प्रचार विदेशी संस्थाओं ने किया और जर्मनी में पहले पहल इस को चलाया गया और उस के बाद अमरीका में यह फैली और उस के पश्चात् धीरे धीरे यहां आई किस तरह से इस में आ सकती है और किस तरह से इस को इस में आप जोड़ सकते हैं । यह इस बात का सबूत है कि आप इन सिस्टम्स को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं और थोड़ी सी धनराशि इन के लिये नियत कर के भार्गव साहब के शब्दों में टालमटोल करने की कोशिश करते हैं ।

कुछ लोग यह कहते हैं कि हमारे देश में आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली की मांग नहीं है । इस की मांग है और इस का सबूत मैं दे सकता हूं । विदेशी शासन के पहले यहां पर आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली का कितना अधिक सम्मान था इस की कसौटी यह है कि आज जयपुर में ६७३ आयुर्वेदिक संस्थायें चलाई जा रही हैं और एक बहुत बड़े आयुर्वेदिक कालेज का उद्घाटन शीघ्र से शीघ्र वहां होने जा रहा है और शायद हो भी गया है । ऐसी सूरत में आज जो हमारी रियासतें हैं, जिन में विदेशी शासन का इतना बड़ा अधिकार नहीं था, उन में मैं ने देखा है । सरदारनगर में विश्वभारती के नाम से एक आयुर्वेदिक कालेज, जिस का खर्च लगभग २५ हजार रु० साल है बराबर एक महाजन के द्वारा चलाया जा रहा है । इस लिये यह कहना कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति या यूनानी चिकित्सा पद्धति यहां समुचित नहीं है यह गलत है । यह दूसरी बात है कि यह सरकार जोकि भारत सरकार कहलाती है उस का दृष्टिकोण अभी तक इस चिकित्सा प्रणाली की तरफ समुचित तरीके से नहीं जा सका है, जिस तरीके से जाना चाहिये ।

इस के साथ ही साथ आपको यह भी देखना जरूरी है थोड़ा सा कि दूसरी प्रणालियां कितनी उन्नति कर चुकी है । मैं मानता हूं कि हमारी ऐलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली बहुत समुन्नत हो चुकी है, सर्जिकल विभाग मे उसने बहुत बड़े बड़े अन्वेशन किये हैं और उस से हमें पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिये, साइंस किसी की अपनी नहीं होती है, साइंस एक ऐसी ऊंची चीज है जिस से लाभ उठाना हमारा काम है । लेकिन क्या वास्तव में आप ने कभी यह सोचा है कि अगर किसी डाक्टर को आप देहात में नियुक्त करते हैं तो देहात में जो तहसीलें हैं उन को छोड़ कर, अगर किसी इंटीरियर स्थान में वह जाते हैं तो वहां पहुंचते ही उस डाक्टर की दौड़ धूप आई० जी० के दफ्तर में जारी हो जाती है । वह वहां रहना पसन्द नहीं करता । और अगर किसी वजह से वह वहां रहना पसन्द भी कर ले, देश की परिस्थिति को देखते हुए तो सम्भवतः उस की स्त्री और बच्चे उस को किसी तरह भी वहां रहने नहीं देना चाहेंगे । आप बार बार करोड़ों रुपयों की धनराशि लगा कर ऐलोपैथिक चिकित्सा द्वारा अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इन तरीकों से आप सम्भवतः सदियों तक ऐसा नहीं कर पायेंगे ।

यहां मैटर्निटी सेन्टर्स (प्रसूति केन्द्रों) के बारे में बहुत सी बात कही गईं । मैटर्निटी सेन्टर्स शहरों में कहीं कहीं चलाये जा रहे हैं । मैं उन के सम्बन्ध में बहुत नम्रतापूर्वक कहूंगा कि वहां दाइयां दाइयां कहलाने को तैयार नहीं हैं । वह मेम साहब या लेडी डाक्टर के नाम से पुकारा जाना पसन्द करती हैं । आप को पता है कि हमारे भारतवर्ष की ८५ प्रतिशत लोग देहातों में बसे हुए हैं, जिन के पास झोंपड़ियां भी नहीं हैं, जिन के पास खाने को नहीं है, पहिनने के लिये पर्याप्त कपड़े भी नहीं हैं, इज्जत की रक्षा के लिये भी कपड़े नहीं है, उन के लिये यह प्रसूति तंत्र, जच्चा और बच्चा के जो केन्द्र हैं, उन से यह आशा करना कि शहरों में उन की जो थोड़ी संख्या है, उस के द्वारा इन देहातों

[श्री भ० दी० मिश्र]

में रहने वाले गरीबों की रक्षा हो सकेगी। उन के बच्चे ढंग से पैदा होंगे और उन बच्चों का लालन पालन ज्यादा हो सकेगा, ठीक नहीं है। यह कहां तक सम्भव हो सकता है। इसलिये अगर आप समझते हैं कि इस प्रकार के सेन्टर्स खोले जायें तो आप को चाहिये कि आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली का आश्रय लें, उस का पूरा पूरा समर्थन करें और हर एक स्टेट गवर्नमेंट को बाध्य करें कि वह अपनी जगह पर आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के जरिये से हर बड़ी बड़ी चीजों के लिये रिसर्च करें। मैं आज राज्यक्षमा के सम्बन्ध में कहूंगा। राज्यक्षमा के सम्बन्ध में और कुष्ठ के सम्बन्ध में आप के कितने रिसर्च कालेजेज़ खुल चुके हैं? इन बीमारियों के सम्बन्ध में आयुर्वेदिक के अन्दर क्या है और उस का लाभ हम और आप न उठाना चाहें तो यह हमारे लिये बड़े खेद की बात है। इसलिये इन रोगों के ऊपर भी रिसर्च करने का मौका दिया जाना चाहिये। आप ने जामनगर में रिसर्च करने की एक शाला खोल रक्खी है। बार बार रिपोर्ट में आता है कि जामनगर में एक संस्था खुली हुई है और ४० शैयायें वहां हैं। उन का भी आप ने बटवारा किया है। एक सिद्धा प्रथा भी दक्षिण में जारी है जिस का सिद्धान्त आयुर्वेदिक प्रणाली पर ही है। लेकिन जो सिद्धा प्रथा की तरफ से आप के ऊपर जोर डाला गया तो उस की तरफ से प्रेरणा पहुंची तो आप ने इस नये रिसर्च इंस्टिट्यूट में उस के लिये भी ८ बेड्स दे दी हैं। यह ८ बेड्स आप ने दे दी हैं जो उस तरीके से चिकित्सा कराना चाहते हैं उन के लिये। आप इस को समझ सकते हैं कि ४० बेड्स दे कर आप यह कहें कि आयुर्वेदिक प्रणाली के लिये प्रयत्न हो रहा है पर जिस चिकित्सा प्रणाली पर जब तक साइंटिफिक रिसर्च न हो जाय, जब तक वैज्ञानिक तरीके से वह सिद्ध हो तब तक उस के लिये प्रयोग करना खेद की बात है। मैं आप को सुझाव दूंगा कि आप वहां कम से कम इस प्रणाली का तजुर्बा न कीजिये जिस की कोई चिकित्सा न कर चुका है। आप राज्यक्षमा के लिये ६० या १०० बेड्स दें और कुष्ठ के लिये भी ५० या ६० बेड्स दें और वहां पर रिसर्च करायें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां तक आयुर्वेदिक पद्धति का सवाल है इन दोनों रोगों के लिये जितनी उपयोगी यह सिद्ध होगी उतनी सम्भवतः दूसरी कोई प्रणाली नहीं हो सकी हैं और न हो सकेंगी।

सभापति महोदय : अब आप का समय समाप्त हो चुका है।

श्री भ० दी० मिश्र : मैं इस कमेटी का मेम्बर हूं इसलिये मुझे इस के लिये कुछ कहने की जरूरत मालूम होती है।

साथ ही मैं ने वहां जा कर देखा कि वहां जो संस्था है उस का नामकरण अंग्रेज़ी में हुआ है। हर चीज अंग्रेज़ी में है। वहां पर गवर्निंग बाडी है, साइंटिफिक रिसर्च कौंसिल है। वहां सारी चीज़ अंग्रेज़ी में है। एक जगह लिखा हुआ है "वत्स क्वादि क्वाथ"। कार्यकारिणी समिति के लिये ऐसे शब्द लिखे हैं जिस के लिये सम्भवतः मैं नहीं समझ सकता था कि अंग्रेज़ी में भी कैसे लिखा जाय। इस में कोई कठिनाई की बात नहीं है। मैं आप के सामने यह कहना चाहता हूं कि सब से पहले आप का कर्तव्य है कि वहां की सारी कार्रवाई हिन्दी भाषा में होनी चाहिये और सारे नाम वहां हिन्दी भाषा के होने चाहियें। तभी आप उस के बारे में कोई विशेष काम कर सकेंगे।

इस के अतिरिक्त मुझे आप से यह कहने की आवश्यकता है और आप का ध्यान दिलाने की आवश्यकता है कि आप ने आज कल संतति निरोध का एक वातावरण फैलाया हुआ है। हर रोज यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि संतति निरोध होना चाहिये क्योंकि आबादी बढ़ रही है, खाद्य समस्या बड़ी कठिन अवस्था में है, इसलिये संतति निरोध किया जाय। मैं बिल्कुल संतति निरोध के पक्ष

में हूं, लेकिन आप थोड़ा सा सोचें और उस के ऊपर गौर करें। पार्लियामेंट हाउस में और शहरों में लीफलेट्स (इश्तहार) बांट कर ही संतति निरोध नहीं हो जायेगा। देश की आबादी तो अधिक पैदा होती है गांवों में और उन झौंपड़ियों में जहां मनोरंजन का कोई साधन नहीं, जहां स्त्री पुरुष के पृथक रहने के लिये कोई स्थान नहीं। आप वहां पर संतति निरोध करना चाहते हैं। कृत्रिम तरीके से करना चाहते हैं। यह सम्भव नहीं है कि आप उस में सफल हो सकें। कृत्रिम तरीके से संतति निरोध करना दूसरे मर्जों को प्रोत्साहन देना है और किसी सीमा तक व्यभिचार को भी प्रोत्साहन देना होगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि संतिति निरोध के लिये आयुर्वेदिक शास्त्र में जो कि संयम विधान लिखा हुआ है उस की ओर ध्यान दें और इस शास्त्र को पूरा पूरा बढ़ाने की कोशिश करें।

इस के बाद मैं एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार में जब उन का स्वास्थ्य विभाग का बजट पेश हुआ तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बिरोधी पक्षों ने भी उस स्वास्थ्य विभाग की बराबर सराहना की। इसलिये उन के सामने आज एक समस्या है और वहां का नुमाइंदा होने की हैसियत से मेरा आप के सामने रखना जरूरी है। वह बात यह है कि वहां दो मैडिकल कालेज थे। एक लखनऊ मेडिकल कालेज और एक आगरा मैडिकल कालेज। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मैडिकल कालेज कानपुर में आप की स्वीकृति ले कर खोला। उस पर २ करोड़ २० लाख रु० का खर्च उन्होंने किया। अब आप को यहां से जो सीमित धनराशि रक्खी गई है वह ८० लाख ०की रक्खी गई है। यदि ८० लाख पये उन के लिये रक्खे गये हैं लेकिन उस उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने बड़ा भारी आर्थिक प्रश्न आ गया है। अगर आप इस में सहायता नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। वह पहले से चलती संस्था थी। उस पर तीन चौथाई व्यय हो चुका है ; केवल एक चौथाई बाकी है। इतनी बड़ी धनराशि वह प्रदेश व्यय नहीं कर सकेगा। इसलिये यह चीज मैं आप के सामने रखना चाहता हूं।

श्री करमरकर : कालेज तो एलोपैथि का ही है।

श्री भ० दि० मिश्र : तो मैं उस का विरोधी नहीं।

†**सभापति महोदय :** अब माननीय सदस्य को समाप्त करना चाहिये।

श्री नरदेव स्नातक : (अलीगढ़--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, आज आप के सामने हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने स्वास्थ्य मंत्रालयों के सम्बन्ध में अपने विचारों को रक्खा और अधिकतर माननीय सदस्यों ने आयुर्वेदिक सिस्टम के ऊपर, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के सम्बन्ध में ही बात प्रस्तुत कीं। हमारे इस देश को जहां पर रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है उस से कहीं ज्यादा मैं समझता हूं स्वास्थ्य की आवश्यकता है।

हमारा यह देश सदियों से गुलाम रहा है। विदेशियों के यहां आने के कारण उन के साथ कुछ बीमारियां भी यहां आयीं और उन बीमारियों ने हमारे देश में घेर कर लिया। जब वह विदेशी आये तो वे अपने साथ अपने देश की औषधियां भी लाये और उन औषधियों के द्वारा ही अपना इलाज किया। ठीक भी है। जिस देश का जो व्यक्ति रहने वाला होता है उसी देश की जड़ी बूटियों से बनी हुई औषधियां उस के लिये हितकर होती हैं। दुर्भाग्य यह है कि अपने इस देश की जड़ी बूटियों से जो दवायें बनती हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। इन दवाओं से हमारे यहां प्राचीन काल में उपचार होता था। विदेशी राज्य ने हम को यह देन दी है कि हम अपने देश का अरबों रुपया विदेशों में भेज

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नरदेव सनातक]

रहे हैं और वहां से रद्दी चीजों को मंगा कर अपने देश का स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह तरीका बिल्कुल गलत है।

कुछ माननीय सदस्यों ने वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री की सराहना की है और मैं भी समझता हूं कि जब से वह आये हैं उन के मंत्रालय ने अपने काम में काफी प्रगति की है। परन्तु जितनी प्रगति होनी चाहिये, उतनी नहीं हुई, खास कर आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति के बारे में। हमारे देश के अन्दर एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी ये चार प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित हैं। परन्तु दुःख यह है कि सरकार ऐलोपैथी पर करोड़ों रुपया खर्च करती है और उस की तुलना में अन्य पद्धतियों पर बहुत नाम मात्र का पैसा खर्च किया जाता है। जैसाकि माननीय भार्गव जी ने कहा यह तो ऊंट के मुह में जीरे के समान है। वह नहीं के बराबर है। आप ने प्लान में देखा कि एलोपेथी के लिये तो पांच सौ करोड़ से भी ज्यादा रखा गया है और आयुर्वेदिक पद्धति के लिये एक करोड़ से भी कुछ कम है। कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में जो पद्धति प्राचीन समय से प्रचलित है वह नाना प्रकार के रोगों को जड़ी बूटियों से नष्ट कर सकती है। भस्मों से हम रोगों को भस्म कर सकते थे। आज हम बड़ी से बड़ी सम्पत्ति विदेशों में भेज कर जो दवायें मंगाते हैं वे हम को जरा देर के लिये तो आराम देती हैं परन्तु वे रोग की जड़ को दूर नहीं कर पातीं। हमारे देश में प्राचीन समय में यह बात नहीं थी। हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक ढंग से अनुसंधान करते थे और हमारे यहां औषधियां निर्माण होती थीं। दुर्भाग्य तो यह है कि अंग्रेजी राज्य में और उस से पहले ही आयुर्वेद की पद्धति में अनुसंधान बन्द हो गया और खास तौर से अंग्रेजी राज्य में तो पूरी तरह से बन्द हो गया। दस वर्ष से जब से हमारा अपना राज्य हुआ है तब से कुछ प्रगति हुई है। और यह खुशी की बात है कि आयुर्वेद की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान गया है। दुःख की बात तो यह है कि जब आयुर्वेद का सवाल आता है तो हमारे मंत्री महोदय और उन का मंत्रालय कह देते हैं कि यह राज्य सरकारों का विषय, और राज्यों वाले कहते हैं कि यह सेंटर का विषय है। यही कारण है कि इस चिकित्सा पद्धति की कोई ठीक उन्नति नहीं हो पाती। इसी कारण हम देखते हैं कि रोग उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरा स्वास्थ्य मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि वे आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली पर ध्यान दें। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सन् ५० से ले कर सन् ५६ तक कई कमेटियां बिठायीं जिन्हों ने अपनी रिपोर्टें दीं। गवर्नमेंट ने भोर कमेटी, चोपड़ा कमेटी, पंडित कमेटी और दवे कमेटी बिठाई और उन लोगों ने अपनी रिपोर्टें दीं। इन कमेटियों ने अपनी सारी योजना को सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने पेश किया। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन कागजों को रख लिया और उन योजनाओं को कार्यरूप में परिणत नहीं किया। इस तरह से कागज रख लेने से तो कोई उपयोग नहीं हो सकता। मेरा निवेदन है कि दवे कमेटी ने जो अन्तिम रिपोर्ट दी है उस पर केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य विभाग को गौर करना चाहिये। उस की सिफारिशों को देश के अन्दर लागू करना चाहिये और उस का परिणाम यह होगा कि सरकार का ध्यान आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति की ओर जायेगा और उस से देश की बीमारियां दूर होंगी।

हम देखते हैं कि जो ऐलोपैथी के डाक्टर हैं वे ज्यादा से ज्यादा शहरों में रहना चाहते हैं और उन को ज्यादा से ज्यादा वेतन दिया जाता है। बेचारे वैद्य गांवों में रहते हैं। उन का वेतन भी बहुत कम होता है। और परिणाम यह है कि जहां वे वैद्य ८० या ९० प्रतिशत रोगियों को ठीक करते हैं वहां ये डाक्टर दो या तीन प्रतिशत को ही अच्छा करते हैं। फिर भी उन को ज्यादा वेतन मिलता है, अच्छे बंगले मिलते हैं और उन की इज्जत ज्यादा होती है। जिस प्रकार एक सौतेली मां अपने दूसरे बच्चे से व्यवहार करती है उसी तरह का व्यवहार एलोपेथी पद्धति वाले आयुर्वेदिक पद्धति के साथ करते हैं। तो मेरा निवेदन है सेंट्रल गवर्नमेंट के स्वास्थ्य मंत्रालय से कि यह अपनी आयुर्वेदिक

चिकित्सा पद्धति की ओर जोकि हमारी प्राचीन पद्धति है, ध्यान दे । और ज्यादा से ज्यादा पैसा उस के ऊपर खर्च करे । यह न हो कि इन दोनों में एक और सौ का अनुपात हो । एक विभाग को जोकि विदेशी पद्धति का है उस को तो सौ दें और जो अपने देश की चिकित्सा पद्धति है उस को एक दें । तो यह जो लम्बी चौड़ी खायी है इस को पाटना चाहिये और इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिये ।

अभी हमारे एक माननीय वक्ता ने कहा कि जाम नगर में एक आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है । वहां पर कुछ रिसर्च हो रहा है । परन्तु जो वहां रिसर्च करने वाले हैं वे एलोपैथी के जानने वाले हैं और रिसर्च होती है आयुर्वेद के ऊपर यह गलत चीज़ है । जो जिस का जानकार हो उसी से उस विषय की रिसर्च करानी चाहिये । परन्तु वहां पर यह नहीं होता । हिन्दुस्तान में दो चार ऐसी संस्थायें हैं जहां आयुर्वेद के बारे में अनुसंधान होता है और वह भी एलोपैथी के एक्सपर्ट्स द्वारा । मेरा निवेदन है कि वह कार्य आयुर्वेद के जानकारों के द्वारा करावें जो इस विषय की योग्यता रखते हों । यही करने पर यह परिणाम होगा कि आयुर्वेद की तरफ हमारे देश का और सरकार दोनों का ध्यान जायेगा जिस से कि थोड़े से पैसे में और थोड़े से परिश्रम से देश का स्वास्थ्य उन्नत हो सकेगा ।

हमारे बहुत से माननीय वक्ताओं ने कहा है कि हमारे देश का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है । हमारा देश दूसरे देशों के मुकाबले में स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है । इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर सरकार को देश को ऊंचा उठाना है तो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह इस दिशा में यत्न करे और आयुर्वेदिक प्रणाली को प्रोत्साहन दे ।

एक दो बातें और मैं निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि हमारी कुछ सरकारों ने हमारी कुछ देशी औषधियों पर जैसे आसव और अरिष्टों पर एक्साइज़ ड्यूटी लगा दी है । इन दवाओं में कोई इतना ज्यादा एलकोहल नहीं होता जैसाकि शराब में होता है । एक्साइज़ ड्यूटी तो शराब पर लगनी चाहिये जिस में ३० पर सेंट से ऊपर एलकोहल होता है । आसव और आरिष्ट में तो ३ से १० पर सेंट एलकोहल होता है जोकि किसी तरह से मादक नहीं होता । तो मेरा मंत्रालय से निवेदन है कि आसव और अरिष्ट पर यह ड्यूटी न लगायी जाये ।

कुछ आयुर्वेदिक औषधियों को ठीक से नहीं बनाया जाता । जैसे कि च्यवन प्राश अवलेह में बंशलोचन डालना चाहिये जोकि बड़ा टानिक है । च्यवन प्राश ऐसी दवा है जिस को हर उम्र का आदमी, बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री कोई भी इस्तैमाल कर सकता है । पर गवर्नमेंट ने कभी यह जांच नहीं की कि इस में जो बंशलोचन पड़ता है वह किस फैक्टरी से खरीदा जाता है । वह ठीक भी है या नहीं ऐसा ही शिलाजीत के बारे में है । इन चीजों पर भी गवर्नमेंट का ध्यान जाना चाहिये कि जो चीजें आयुर्वेदिक औषधियों में डाली जाती हैं वह शुद्ध हैं या नहीं । इस की जांच का इन्तिजाम होना चाहिये । अगर आप इसी तरह करेंगे, तो यह निश्चित समझिये कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में जो कमी है, वह दूर हो जायेगी और उस के साथ ही साथ हमारे देश का स्वास्थ्य भी बढ़ेगा । मंत्री महोदय का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं । जैसा कि और सदस्यों ने भी कहा है, यह मंत्रालय बहुत अच्छा कार्य कर रहा है । मुझे आशा है कि इस तरह से वह आयुर्वेद की तरफ़ भी ध्यान देगा और उस की उन्नति के लिये ज्यादा से ज्यादा सक्रिय प्रयत्न करेगा और अधिक से अधिक पैसा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के लिये देगा, उस के अनुसन्धान के लिये देगा । मुझे अन्त में यही कहना है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार न हो ।

†श्री वें० प० नायर (क्विलोन) : देश में स्वास्थ्य की ओर वास्तविक ध्यान नहीं दिया गया है । मेरे इस विचार का समर्थन भारतीय मेडिकल संस्था के प्रधान के वक्तव्य से होता है जो

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री वें० प० नायर]

उन्होंने बंगलौर में दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये बिल्कुल नया तरीका अपनाना चाहिये। नयी योजना इस के लिये बनानी चाहिये। यह सब विचार भारतीय मेडिकल संस्था के जनरल से उद्धृत की जा रहे हैं।

अभी कुछ दिन पहले माननीय मंत्री ने बताया था कि देश में तपेदिक के रोगियों की संख्या २५ लाख है। वास्तव में क्षय रोगों में रोगियों की संख्या वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। इस का क्या कारण है ?

आज हमारे बच्चों के स्वास्थ्य की ओर ही आप देखें। कोई ठीक स्थिति नहीं है। बच्चों को पौष्टिक तत्वों वाला भोजन तो कदापि मिलता ही नहीं अतः बाद में उन को भयंकर रोग लग जाते हैं जिन का उपचार ही नहीं हो पाता। देश के सामान्य ७५ प्रतिशत बच्चों में रुग्नता के चिन्ह इसी प्रकार दिखाई देते हैं क्योंकि उन्हें खाने पीने की चीजों की कमी रहती है। बम्बई राज्य के ७३ प्रतिशत बच्चे इन्हीं रोगों से उत्पीड़ित हैं। दूसरे रोग भी हैं। केन्द्रीय सरकार को तो छोड़िये इस दिशा में राज्य सरकारों ने भी कुछ नहीं किया है।

बच्चों को विटामिन वाले खाद्य नहीं मिलते। इसी कारण उन का स्वास्थ्य खराब रहता है। आज भारत में किसी विटामिन का उत्पादन नहीं होता। शायद उन का बनाना टैक्नीकल दृष्टि से कठिन हो किन्तु खेद की बात तो यह है कि हम ने इस ओर ध्यान भी नहीं दिया है।

यद्यपि एंटीबायोटिक्स का कारखाना हमारे यहां है किन्तु वहां तो केवल एक या दो प्रकार की पेन्सिलिन बनती है। सरकार ने इस का विकास क्यों नहीं किया। संभवतया यह त्रुटि वाणिज्य मंत्रालय की हो किन्तु दोनों मंत्रालयों में किसी प्रकार का समन्वय नहीं है।

देश में तो दवाइयां तैयार नहीं होतीं और जो चीजें बाहर से सस्ते दामों में मंगवाई जाती हैं उन से चिकित्सक लोग बेशुमार फायदा उठाते हैं। विदेशी लोग इस स्थिति से पूरा पूरा लाभ उठा रहे हैं और लोगों को मूंड रहे हैं।

हमारे देश में औषध आयात आदि के जो निर्णय होते हैं ऐसा प्रतीत होता है सब वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ही करता है और शायद स्वास्थ्य मंत्रालय तो इस काम में हस्तक्षेप भी नहीं करता। यहां कहा गया है कि वाणिज्य मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय से परामर्श करता है। किन्तु यह क्या बात कि हम अपने देश में इन चीजों का निर्माण नहीं कर सकते।

क्या सल्फा औषधियां भारतीय तैयार नहीं कर सकते ? किन्तु आज हम नहीं कर रहे हैं। गत वर्ष हम ने ९० लाख की औषधियों का आयात किया।

आज वास्तव में औषधि का क्षेत्र स्वास्थ्य के स्थान पर वाणियज्यिक क्षेत्र बन गया है। छोटे से छोटे रोग पर कम से कम ५० रुपये खर्च कर के आप इलाज करा सकते हैं। यदि आज हम जन स्वास्थ्य की स्थिति ठीक करना चाहते हैं तो वास्तव में हमें अपनी नीति को बदलना होगा।

यह बात सर्वमान्य है कि आज बच्चों के दान्त भी ज्यादा मात्रा में खराब होने लगे हैं। और आप देखते ही होंगे कि टुथपेस्टों के कितने विज्ञापन आज चल रहे हैं। वास्तव में इन्हीं टुथपेस्टों के कारण तो दान्त खराब हो रहे हैं। इन में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिन से कि बच्चों की दन्त स्थिति मलिन हो जाती है। सरकार यह कहती है कि वह इस की रोक थाम किसी भी प्रकार से नहीं कर सकती। जब वह ऐसा नहीं कर सकती तो फिर उन्हें खुली छट्टी क्यों नहीं देती है कि वे स्वास्थ्य बिगाड़ने का काम करते रहे।

इसी प्रकार से नवरत्नकल्प आदि बेचने वाले लोग हैं। वे गाड़ियों से नहीं विमानों से चलते हैं और असाध्य रोगों को २ घंटे में ठीक कर डालते हैं।

अब भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान की बात लीजिये। इस सम्बन्ध में भी सरकार ने अपना वचन पूरा नहीं किया है। यद्यपि अभी न सामान आया है न मशीनें किन्तु प्रोफैसरों की नियुक्ति हो गई है।

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री इस दशा में बड़ी दिलचस्पी लेने लग गये हैं। वास्तव में इस बिल्डिंग के लिये जो विदेशी विशेषज्ञ आये थे उन्हों ने पहले तो कहा था कि इस के लिये विदेशों से सामान आये। इस से लागत दुगुनी तो हो ही जाती। मैं आशा करता हूं कि शेष विश्व-विद्यालय इसकी उपाधि को मान्यता देंगे। यदि वहां स्नातकोत्तर अध्ययन पर ही जोर दिया जाता है तो माननीय मंत्री को चाहिये कि वे कर्मचारियों के चुनाव में सावधानी से काम लें।

इसी सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस संस्था का सभापति माननीय मंत्री को बनना चाहिये क्योंकि इसी प्रकार हम इस संस्था पर थोड़ा अधिक निरीक्षण कर सकते हैं।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : सभापति महोदय, स्वास्थ्य मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार तथा राज्य सरकारें देश की आम जनता की प्रारम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतया असफल रही हैं।

भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारें इस देश की आम जनता की जो पेट की भूख है, उस को शान्त करने में, जो उस के मस्तिष्क की शिक्षा की भूख है, उस को शान्त करने में, जिस प्रकार असफल रही हैं उसी प्रकार से इस देश की आम जनता के लिये सस्ती तथा सहज में सुलभ होने वाली डाक्टरी सहायता प्रदान करने में भी असफल रही हैं।

आज अगर हम सारे देश की चिकित्सा पद्धतियों की ओर दृष्टिपात करें और देश की आम जनता के लिये जोकि विभिन्न रोगों से पीड़ित है, उस को क्या राहत पहुंचाई गई है, उस को देखें तो हम को पता चलेगा कि जो-जो सुख-सुविधायें बड़े-बड़े अस्पताल खोल कर के और अन्य प्रकार की चीजें सुलभ कर के नगरों को पहुंचाई गई हैं, वही सुविधायें गांवों में रहने वाले करोड़ों नागरिकों को जिन के बल बूते पर आप और हम सब यहां पर बैठे हुए हैं नहीं पहुंचाई गई हैं और जितनी पहुंचाई जानी चाहिये थीं, उतनी नहीं पहुंचाई गई हैं। गांव में रहने वाले किसानों के लिये जो रात दिन परिश्रम करते हैं, गांव में रहने वाले गरीब लोग जोकि विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं, उन की ओर न केन्द्र का और न ही राज्यों का ध्यान है। मैं तो कहूंगा आप जितनी भी स्कीमें बनावें, जितने भी कार्यक्रम बनावें, आप गांव में रहने वाले गरीब लोगों का जोकि भीषण रोगों से पीड़ित हैं, निश्चित रूप से ध्यान रखें और अधिक से अधिक सुख सुविधायें उन को प्रदान करने की चेष्टा करें। साथ ही साथ आप का सर्वोपरि ध्यान उन की ओर होना चाहिये। अगर आप शिक्षा के सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम बनाते हैं तो गांव वालों को इस बात की भूख रहती है कि उन के यहां स्कूल खुलें और जब आप गांवों में अस्पताल बनाने की बात कहते हैं तो गांव वाले स्वत: परिश्रम देने के लिये तैयार रहते हैं। लेकिन सरकार की ओर से उन को कोई आश्वासन, कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। मैं ने ऐसे-ऐसे गांव देखे हैं, मैं अपने क्षेत्र में एक गांव में गया जहां ग्रामीण जनता ने अपना रुपया खर्च कर के, परिश्रम करके ७, ८ हजार रुपया से एक बिल्डिंग तैयार की अस्पताल के लिये। लेकिन वहां अस्पताल आज तक नहीं खुल पाया। बिल्डिंग खड़ी है, अस्पताल नहीं है,

[श्री जगदीश अवस्थी]

कोई डिस्पेन्सरी तक नहीं है। और जहां बिल्डिंग नहीं है, कोई चीज नहीं है, वहां अस्पताल खुले हुए हैं। इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, मैं चाहूंगा कि उन पर ध्यान दिया जाय। यह कह कर कि यह राज्य सरकार का काम है, इसे नहीं छोड़ दिया जाना चाहिये।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहूंगा कि आज संसार में अगर कहीं सब से ज्यादा राजरोग है, टी० बी० का रोग है, तो वह भारतवर्ष में है। और अगर भारतवर्ष में कहीं उस की संख्या ज्यादा है तो वह उत्तर प्रदेश में है। वहां पर लोग इस से सब से ज्यादा पीड़ित हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर वह किसी नगर में सब से ज्यादा है तो वह कानपुर है। मैं समझता हूं कि मंत्रालय इस को भली भांति जानता है कि कानपुर में हजारों की तादाद में लोग इस रोग से पीड़ित रहते हैं। इस रोग को राजरोग कहा जाता है। पहले यह बड़े आदमियों को हुआ करता था, लेकिन अब यह सिर्फ गरीबों को हुआ करता है। बड़े आदमियों को नहीं होता है। कानपुर नगर में जोकि उत्तर प्रदेश का सब से बड़ा औद्योगिक नगर है वहां अभी तक केवल तीन ही अस्पताल बने हुए हैं। और उन में केवल ७२ चारपाइयां हैं टी० बी० के लिये, जबकि हजारों लोग आजकल टी० बी० से परेशान रहते हैं और महीनों वहां भर्ती होने के लिये वेटिंग लिस्ट में पड़े रहते हैं। लेकिन उन को कोई स्थान नहीं मिलता। अगर उन को पूरी सुख सुविधायें प्राप्त हों, ठीक व्यवस्था हो तो जो मौत के मुंह में जाने वाले हैं, शायद उन को बचाया जा सके। सारे उत्तर प्रदेश राज्य में केवल एक सेनोटोरियम भुआली में खुला हुआ है। आखिर कितने गरीब लोग वहां जा सकते हैं? वहां आज केवल बड़े लोग ही जा सकते हैं। इस लिये मैं चाहूंगा कि कानपुर में जहां एक मेडिकल कालेज बना है, और भारत सरकार भी यह दम्भ करती है कि वह एशिया का सब से बड़ा कालेज होगा, राष्ट्रपति ने उस का उद्घाटन किया, जो आज वहां की हालत है, उस को देखा जाय। वहां का प्रबन्ध बड़ा अनुपयुक्त है। अभी उत्तर प्रदेश असेम्बली में इस सम्बन्ध में चर्चा हुई कि इतनी बिल्डिंग्ज तैयार हो रही हैं, करोड़ों रुपयों का सरकार ने अनुदान दिया है, लेकिन वहां सभी जगह स्टाफ रखने में पक्षपातपूर्ण ढंग से काम लिया जा रहा है। कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा यह निश्चित मत है कि सरकार जहां-जहां मेडिकल कालेज खोलती है, उस के अन्दर जो अस्पताल होता है वहां मरीजों के साथ प्रयोग किया जाता है। मरीज के पास बहुत से विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं, कोई उसका हाथ देखता है, कोई उस का पेट देखता है, कोई व्यवस्था करता है। यहां तक कि मरीज परेशान हो जाता है। सीनिअर डाक्टर वहां रहते नहीं हैं। बहुत से ऐसे केसेज़ हो गये हैं कि जो मरीज ठीक हो सकते थे, लापरवाही से सदा के लिये विदा हो गये। सन् १९४९ में एक केस वहां पर मालूम हुआ। चार वर्ष की एक अबोध बालिका जल गई थी, वह यहां इरविन हास्पिटल में भर्ती हुई। दो दिन तक बेचारी पड़ी रही। उस के बाद मेडिकल कालेज के विद्यार्थी लोग आये, उन्होंने उस पर प्रयोग किया और उस बालिका का अन्त इसलिये हो गया कि उस को समय पर आक्सीजन नहीं मिल सका। इस के बाद जब वह लड़की जलाई गई तो बाप ने देखा कि उस के पैर में एक नस काटने का घाव बना हुआ था। बाद में मालूम हुआ कि उस को ब्लड देने के लिये घाव किया गया था। लेकिन उस घाव से ब्लड दिया तो नहीं जा सका, हां उस बालिका के शरीर का स्वाभाविक ब्लड उस से बह गया। उस के पिता ने बहुत कोशिश की किन्तु कोई जांच नहीं हो पाई, कोई भी चीज नहीं हो पाई। इस सम्बन्ध में ज्यादा न कह कर मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के बहुत से केसेज़ होते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात को देखे कि जहां पर मेडिकल कालेज हैं वहां जो व्यवस्था है वह अच्छी हो।

यहां परिवार नियोजन के सम्बन्ध में बहुत कहा गया है। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, केवल इतना कहूंगा कि परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम है वह इस बात का द्योतक है कि उस की फेल्योर हो गई है क्योंकि एक तरफ आप परिवार नियोजन कर रहे हैं और दूसरी तरफ देश की आबादी

बढ़ती जा रही है । जिस मर्ज की आप दवा कर रहे हैं, वह मर्ज बढ़ता जा रहा है । इस से ज्यादा इस बात का सबूत और क्या हो सकता है कि परिवार नियोजन का कार्यक्रम असफल हो गया ।

अन्त में मैं एक बात कहना चाहूंगा । सरकार भारतीय चिकित्सा पद्धति, जो आयुर्वेदिक पद्धति है, उस के बारे में बहुत ही पक्षपातपूर्ण कार्य कर रही है । सदन में आज तक एक बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया । उसे मैं कहूंगा । बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी में, जो केन्द्र द्वारा संचालित है, एक आयुर्वेदिक कालेज है । उस में सर्जरी की शिक्षा दी जाती है । वहां पर योग्य प्रिंसिपल कई वर्षों से नहीं है । इस सम्बन्ध में वहां के विद्यार्थियों ने हड़ताल की कि उन को योग्य प्रिंसिपल चाहिये । हिमाचल प्रदेश में जो सिविल सर्जन मि० उडूपा हैं वे उसी कालेज के छात्र हैं । उन्होंने कनाडा से एम० एस० की डिगरी ली, एफ० आर० एस० की डिगरी ली । वह चाहते थे मि० उडूपा वहां आयें ताकि मेडिकल कालेज चल सके । लेकिन उन को वहां नहीं बुलाया गया । जब बहुत मुश्किल से केन्द्रीय सरकार से बातचीत की गई तो यह कहा गया कि अभी वह डाक्टर साहब क्वालिफाइड नहीं हैं टेकनिकल बेसिस (प्रविधिक आधार) पर । मुझे मालूम हुआ है कि अब वह कागज पर चालू हो गये हैं । मैं चाहूंगा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री देखें कि इतना अच्छा कालेज आज एक प्रिंसिपल की गैर-हाजिरी में बैठता जा रहा है । अगर जलाई से वहां पर उडूपा साहब . . . . .

श्री करमरकर : माननीय सदस्य मुझे क्षमा करेंगे, मैं जानना चाहता हूं कि आप की शिकायत केन्द्रीय सरकार के बारे में क्या है ?

श्री जगदीश अवस्थी : मेरी यह शिकायत है कि केन्द्रीय सरकार उस को रुपया देती है । वहां पर प्रिंसिपल के एप्वाइंटमेंट (नियुक्ति) की बात उठाई गई । मि० उडूपा वहां जाने के लिये इच्छुक हैं, लेकिन केन्द्रीय सरकार उन्हें इसलिये नहीं भेज रही है कि वह अभी क्वालिफ़ाइड नहीं हैं, टेक-निकली क्वालिफ़ाइड नहीं हैं । मैं चाहूंगा कि आप इस की छान बीन करें ।

श्री करमरकर : मैं आप को इसलिये फिर रोकना चाहता हूं कि जो यह चीज आप ने कही वह ठीक नहीं है । जिस वक्त डा० उडूपा जाना चाहें, उन को चौबीस घंटे में आजाद किया जा सकता है ।

श्री जगदीश अवस्थी : वह जाना चाहते हैं । दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जो इस प्रकार की मिक्स्ड शिक्षा प्रणाली आज चल रही है आयुर्वेदिक और एलोपैथिक पद्धतियों में उस की ओर ध्यान दिया जाय । आज जो विद्यार्थी इस प्रकार से निकल रहे हैं उन की डिगरी कहीं रिकग्नाइज़ (मान्य) नहीं की जाती है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है । अगर वह विदेशों में पढ़ने जाना चाहें तो इंडियन मेडिकल कौंसिल द्वारा उन की डिगरी को रिकग्नाइज़ न करने की वजह से कोई विदेशी यूनिवर्सिटी उन्हें भरती नहीं करती है । इसलिये आज जो मिश्रित चिकित्सा पद्धति के आधार पर मेडिकल कालेज खुले हुए हैं उन की ओर ध्यान दिया जाय । उनके लिये पंडित कमेटी ने रिकमेंडेशन की थी, चोपड़ा कमेटी ने भी कहा था कि एक नेशनल मेडिकल कौंसिल बनाई जाय जिस से सारे देश में विद्यार्थियों का एक सा कोर्स हो, उन का एक सिलेबस हो, ठीक से सब प्रबन्ध हो और उन की डिगरी को ठीक घोषित किया जाय । अगर सचमुच भारत सरकार आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देना चाहती है तो जिस प्रकार से आयुर्वेद कालेजों में एलोपैथिक चिकित्सा की सर्जरी का कार्यक्रम रक्खा जाता है, विद्यार्थी वहां सीखने जाते हैं, उसी प्रकार से मेडिकल कालेजेज़ जो हैं उन में डाक्टरों को आयुर्वेद की शिक्षा दी जाय । उन के लिये भी उन में कोर्स रक्खे जायें तो मालूम होगा कि सचमुच भारत सरकार एलोपैथिक के साथ-साथ भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को प्रोत्साहन देना चाहती है ।

[श्री जगदीश अवस्थी]

एलोपैथिक और होमियोपैथिक के सम्बन्ध में भार्गव जी ने बहुत कुछ कहा । मैं उस के सम्बन्ध में कुछ विशेष नहीं कहूंगा । लेकिन दवे कमेटी ने जो मांग की है, जो सिफारिश की है सरकार से कि एक होमियोपैथिक डाक्टर नियुक्त किया जाय, उस की नियुक्ति होनी चाहिये । भिन्न भिन्न जो कमेटियां बनी हैं, चोपड़ा कमेटी बनी, दवे कमेटी बनी, पंडित कमेटी बनी, उन पर लाखों रुपया सरकार खर्च कर चुकी है । अगर उन की सिफारिशों को लागू न किया गया तो यही सिद्ध होगा कि उन कमेटियों की सिफारिशें व्यर्थ गईं और उन पर खर्च किया गया देश का लाखों रुपया व्यर्थ जा रहा है । मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जी इस की ओर ध्यान देंगे ।

श्री राघे लाल व्यास (उज्जैन) : सभापति महोदय, स्वास्थ्य मंत्रालय ऐसा है जिस का सभी छोटे बड़े स्त्री पुरुष से सम्बन्ध आता है । लेकिन हो यह रहा है कि हालांकि हमारे यहां अस्पताल खूब बढ़ रहे हैं, दवायें नई नई निकल रही हैं, गवर्नमेंट का खर्च भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन बीमारों की संख्या भी दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है । यह अवश्य है कि मृत्यु संख्या में कुछ कमी हुई है, लेकिन साधारण स्वास्थ्य जितना अच्छा होना चाहिये वह हो रहा है ऐसा नहीं माना जा सकता । अस्वास्थ्य बढ़ ही रहा है । स्वास्थ्य की खराबी की रोक नहीं हो सकी है ।

मैं इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय उन पर विचार करेगा और कुछ अमल करने का प्रयत्न करेगा । जो बड़े-बड़े शहर हैं, जिन की आबादी एक लाख से ज्यादा है, वह हमारे देश में ७५ हैं । होता है कि इन शहरों में जो ड्रेनेज हैं, जो नालियां हैं, जो गटर हैं, उन का पानी नदियों से मिल जाता है । इसलिये मैं सब से पहले यह निवेदन करूंगा कि जब इस के ऊपर आप इतना खर्च करते हैं तो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक कानून ऐसा बनाया जाय कि जिसमें यह नदियां गन्दी न की जायें । कल ही मैं उज्जैन से आया हूं । मुझे लोगों ने क्षिप्रा में से बाल्टी निकाल कर पानी दिखाया कि उस में हजारों कीड़े थे । उज्जैन मोक्षदान सप्त-पुरियों में से है जहां हजारों यात्री आते हैं और उस पानी से आचमन करते हैं और उस को पीते हैं । अगर उन को उस के पीने से बीमारियां न हों तो क्या हो ।

इसी तरह से चम्बल में, जो नागदा की मिल है, उस का सड़ा पानी गिरता है जिस को पीने से मवेशी मर जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं । इसलिये जो यह नदियों को दूषित किया जाता है इस को तुरन्त रोका जाना चाहिये ।

इस के अतिरिक्त जिन शहरों की आबादी एक लाख से ज्यादा हो उन में अंडर ग्राउंड ड्रेनेज होना चाहिये ।

ऐसे सारे शहरों का सर्वे होना चाहिये और जहां एक लाख या इस से ज्यादा आबादी हो वहां पर अंडर ग्राउंड ड्रेनेज (ज़मीन के नीचे नालियों) का प्रबन्ध करना चाहिये । हमारे यहां इंदौर में सर्वे भी किया गया और उस पर काफी रुपया भी खर्च हुआ मगर अंडर ग्राउंड ड्रेनेज नहीं बन सका । तो जब योजना बनायी गयी तो यह देखना चाहिये कि यह काम हो सकेगा या नहीं । इस पर विचार करना चाहिये ।

उज्जैन में अंडर ग्राउंड ड्रेनेज न होने से बीमारी बहुत बढ़ती है और लोगों को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है । इस प्रकार के कामों को कार्यरूप में शीघ्र परिणत किया जाना चाहिये जिस से जनता के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके ।

भोपाल अब राजधानी बन गयी है लेकिन सारे शहर का गन्दा पानी वहां के तालाब में जाता है। उसी पानी को सब लोग पीते हैं। भोपाल का शहर अब बढ़ रहा है। जो लोग वह पानी पियेंगे उन का स्वास्थ्य खराब होगा ही। तो मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी पीने के पानी के स्रोतों को गन्दा करने से रोकने का प्रयत्न किया जाना चाहिये।

इस के अलावा विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के आवश्यक नियम बतलाये जाने चाहियें। अगर विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के नियमों का ठीक ज्ञान हो तो वे बीमार ही न हों। उन को यह मालूम होना चाहिये कि किस प्रकार नियमित जीवन बितायें, ज्यादा न खायें, कम न खायें, आदि। मैं समझता हूं कि इस के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय को ऐसी योजना बनानी चाहिये जिस से कि विद्यार्थियों को मालूम हो सके कि किस तरह से रहें ताकि बीमार न हों।

पहले हमारे यहां देहातों में मातायें तुलसी, लौंग, प्याज आदि से इलाज कर लिया करती थीं। यह इलाज सस्ता होता था और सर्व सुलभ होता था। मेरा सुझाव है कि सरकार इस प्रकार के सरल इलाजों की कोई किताब निकाले जैसी कि सस्ता साहित्य मंडल वालों ने निकाली थीं। ऐसी सरल किताब निकालो जानी चाहिये जिस में आयुर्वेद, एलोपैथी आदि पद्धतियों के द्वारा लोग गांवों में इलाज कर सकें और जो चीजें वहां मिल सकती हैं उन से इलाज किया जा सके।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : फिर एलोपैथी की दवायें कैसे लेंगे ?

श्री राधे लाल व्यास : जो चीजें सर्व सुलभ हैं और जो गांवों में मिल सकती हैं उन के द्वारा इलाज उस पुस्तक में लिखा जाना चाहिये।

प्राकृतिक चिकित्सा की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। जैसे कि विश्वायतन योग आश्रम काम कर रहा है। वे निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। हजारों आदमी उन के पास जा कर कुंजल करते है, नेती करते हैं, शंख प्रक्षालन करते हैं और उस से लाभ उठाते हैं। यहां के कुछ मंत्रियों ने और प्रधान मंत्री ने भी कुछ चीजों को सीखा है। श्री जयप्रकाश नारायण जी जोकि बहुत समय से डाइबिटीज से पीड़ित थे उन को इस से लाभ पहुंचा है। केवल पानी से और शारीरिक व्यायाम से बीमारियां दूर की जाती हैं। तो इस प्रकार की चिकित्सा की ओर भी जल्दी से जल्दी सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

आयुर्वेद के बारे में मैं यह निवेदन करूंगा जैसा कि मेरे कुछ अन्य माननीय मित्रों ने भी कहा है कि कुछ दवाओं पर एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई है, जैसे आसवों पर और आरिष्टों पर, यह उचित नहीं है। इस से बहुत असन्तोष फैल रहा है। इन में नशा नहीं होता। मैं तो निवेदन करूंगा कि मंत्री जी देखना चाहें तो एक पूरी बोतल आसव की पी लें उन को कोई नशा नहीं होगा।

श्री करमरकर : शायद कई बार शराब भी ठीक तरह से पीने से नशा नहीं होता।

श्री राधे लाल व्यास : वह एक्सपैरीमेंट करके देख सकते हैं। अज लोगों को इस बात पर बड़ा रोष है कि जिस चीज में कोई नशा नहीं है उस पर भी एक्साइज ड्यूटी लगायी जाती है। यह एक सर्व सुलभ औषधि है जो कि बहुत स्वास्थ्यप्रद है और इस से निश्चित लाभ पहुंचता है। मेरा निवेदन है कि इस एक्साइज ड्यूटी को जो स्वास्थ्य विभाग ने लगा रखी है हटा देनी चाहिये।

इसी तरह से आयुर्वेद के औषधालयों पर काफी रुपया खर्च नहीं किया जाता। इन में इन्डोर पेशेंट्स की व्यवस्था होनी चाहिये। यह देशी चिकित्सा पद्धति खतरनाक नहीं होती और स्वास्थ्य बढ़ाती है। पर जहां एलोपैथी के लिये बहुत रुपया रखा जाता है आयुर्वेद के लिये बहुत थोड़ा रखा जाता है। आप बड़े-बड़े शहरों में आयुर्वेद के बड़े अस्पताल बनाइये जिस से जनता को लाभ हो।

[श्री राधे लाल व्यास]

इसी तरह से आप को स्कालरशिप दे कर ऐसे विद्यार्थियों को तैयार करना चाहिये जोकि आयुर्वेद भी पढ़ें और डाक्टरी भी पढ़ें। आप को डाक्टरों को भी आयुर्वेद पढ़ाना चाहिये। इस प्रकार के पढ़े हुए विद्यार्थी आप को बाद में सस्ते में काम करने के लिये भी मिल सकेंगे। आजकल डाक्टरी पढ़ाने के लिये डेढ़ सौ रुपया महीना चाहिये जोकि कोई गरीब आदमी दे नहीं सकता। इसलिये गरीबों के लड़के डाक्टरी पढ़ नहीं सकते। अगर आप उन को स्कालरशिप दे कर पढ़ायेंगे तो वे आप को थोड़े ही रुपया में नौकरी के लिये मिल सकेंगे ।

मुझे आशा है कि मेरे इन सुझावों पर विचार किया जायेगा और सरकार उन पर ध्यान देगी और इस दिशा में शीघ्र ठोस कदम आगे बढ़ाया जायेगा ताकि देश के स्वास्थ्य में उन्नति हो।

पंडित ब्रज नारायण 'ब्रजेश' (शिवपुरी) : सभापति महोदय, स्वास्थ्य का विषय किसी पार्टी का दल विशेष का विषय नहीं है। इस का सम्बन्ध देश के साथ है। और मुझे प्रसन्नता है कि सदन में लगभग सभी सदस्यों ने इस सम्बन्ध में अपने विचार और चिन्ता व्यक्त की है। हम किसी भी देश या राष्ट्र को यदि शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो सब से पहले हमें उस के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना चाहिये। हमारे यहां स्पष्ट घोषणा की गयी है :

धर्मार्थ काम मोक्षाणाम्, मूलमूक्ते कलेवर,
तच्च सर्वाथ संसिध्य मवेद्यादि निरामय ।

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों की प्राप्ति हम तभी कर सकते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है और स्वस्थ मन में ही स्वस्थ विचार आते हैं। शरीर यदि सदोष है तो मन भी सदोष होगा और उस में विचार भी अपवित्र पैदा होंगे, और जब अपवित्र विचार पैदा होंगे तो देश में अशान्ति पैदा होगी, और जब अशान्ति पैदा होगी तो योजना का सारा पैसा अशान्ति को दमन करने में लग जायेगा और सारा कारोबार बन्द हो जायेगा। अस्तु दुनिया में हमें सब से अधिक देश के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना चाहिये और उस के लिये अधिक से अधिक व्यय किया जाना चाहिये ताकि लोगों को नीरोग बनाया जा सके। यह खर्चा करना अत्यन्त आवश्यक और अनिवार्य है ।

मैं समझता हूं कि जिस प्रकार देश की सुरक्षा आवश्यक है उसी प्रकार मनुष्य के शरीर की रक्षा भी आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा ही राष्ट्र बनता है और हर एक व्यक्ति यदि अस्वस्थ हो जायेगा तो सुरक्षा भी कौन करेगा। जब मनुष्य स्वयं ही रोगी है तो बचायेगा कौन ? सब से प्रथम शरीर का बलिष्ठ होना, बलवान होना अत्यन्त आवश्यक बात है । राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिये, यह जो स्वास्थ्य का विभाग है, वह अपना एक अलग महत्व रखता है और बहुत अधिक महत्व रखता है ।

मैं देखता हूं कि मेरे देश में स्वराज्य आ गया है। इस में कोई सन्देह नहीं है। परन्तु सम्पूर्ण स्वराज्य आ गया है, यह मैं इसलिये नहीं कह सकता कि हर दिशा में मेरा राज्य नहीं है । जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में मेरा राज्य नहीं है, उसी प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मेरा राज्य नहीं है । वहां पर मैं दूसरों के द्वारा संचालित हूं। अंग्रेज़ जब यहां आये, तो अपनी पद्धतियां भी हमारे सिर पर लाद गये---शिक्षा पद्धति भी और साथ ही साथ इलाज करने की पद्धति भी हमारे सिर पर लाद गये। इस सम्बन्ध में मुझे अकबर के ये शब्द याद आ रहे हैं :

तिफ्ल में बू आए क्यों मां-बाप के अतवार की,
दूध तो डिब्बे का है और तालीम है सरकार की ।

सरकार की तालीम चल रही है और डिब्बे का दूध खाने को मिल रहा है, तो लोग कैसे अपने शासन का साथ देंगे, अपनी गवर्नमेंट को बलशाली बनायेंगे ? यह महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर विचार किया जाना चाहिये । यह जो को-आपरेशन नहीं मिलता है, उस का कारण क्या है ? हमारा मन स्वस्थ नहीं होने पाता है । जो अंग्रेजी पद्धति चली आ रही है, हम जानते हैं कि हमारी सरकार उस के बारे में विवश है, बाध्य है । इतनी बड़ी जो मशीन है, इतनी बड़ी दवाइयां जो लाद दी गई हैं, इन सब को एक ही दिन में नहीं हटाया जा सकता है । किन्तु फिर भी मेरे राज्य की प्रवृत्ति इस दिशा में होनी चाहिये कि जितना अधिक हम अपने घर की वस्तुओं का उपयोग करेंगे, उतना ही हमारे लिये लाभकारी होगा । एक तरफ़ देश में मुद्रा-स्फीति बढ़ रही है, दूसरी तरफ़ पैनेसिलीन से इलाज किया जा रहा है । लोग तंग हैं । मैं अपने विभाग के एक सज्जन को हास्पिटल में मिला । वह पैनेसिलीन के इंजेक्शन के कारण परेशान थे । उन को पसीना आ रहा था, आंखों से पानी बह रहा था, मानो प्राण निकलने वाले हों । क्या हमारी साधारण दवाओं से काम नहीं चल सकता है ? क्या हम पैसा भी खर्च करें और साथ में खतरा भी मोल लें ? आयुर्वेद पद्धति को यदि यहां स्थान दिया जाय, तो थोड़े में ही काम चल सकता है । यदि मैं यहां पर नुस्खा भी देने लग जाऊं, तो आप आश्चर्य करें कि पुष्टि और ताकत के लिये इतने छोटे-छोटे नुस्खे हमारे लोगों ने दिये ।

सौभाग्य पुष्टि बल शुक्र विवर्धनानि,
किम् सन्ति नो बहूनि रसायनानि ।
कन्दर्प वर्धिनी किन्तु सिताज्य युक्ताः
दुग्धाद्रते नमम कोपि मतः प्रयोगः ।।

वे कहते हैं कि सौभाग्य, पुष्टि, बल और वीर्य को बढ़ाने के लिये बहुत से टानिक हैं दुनिया में किन्तु शुद्ध दुग्ध जिस में घृत और मिसरी मिली हुई है से बढ़ कर कोई टानिक नहीं है । आज पाउडर क्रीम और साथ में स्नो पर खर्चा होता है लेकिन मैं कहता हूं कि रात्रि में आध सेर दूध छटाक घृत और मिसरी डाल कर पीजिये तो किसी दूसरे के गाल से गाल रगड़ों तो वह भी चिकना हो जायगा । स्नो और क्रीम की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी । लेकिन आज अवस्था यह हो रही है कि स्नो और क्रीम पर खर्चा हो रहा है लेकिन जो सामग्री प्राप्त होनी चाहिये वह प्राप्त नहीं हो रही है और न उस तरफ़ शासन का ध्यान ही जा रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आयुर्वेद शास्त्र की तरफ़ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दे कर अन्वेषण करने की आवश्यकता है—केवल बातों से काम नहीं चलेगा । आज भी अनेक वैद्य गांवों में पड़े हुए हैं जिन के दो पैसे के नुस्खे से काम चल जाता है जोकि दो सौ से नहीं हो सकता है । सरजन के पास लोग जाते हैं । राय लेते हैं । उस में दस दिन लग जाते हैं । राय लेने के दो सौ रुपये लगते हैं और अगर इलाज कराया जाय तो चार सौ रुपये लग जाते हैं । इस अवस्था में ग़रीब तो इलाज नहीं करा सकता है । उस को तो मर ही जाना चाहिये । फिर अनेक प्रकार के मैडिकल हाल खुले हुए हैं—दुबे मेडिकल हाल, तिवारी मेडिकल हाल, राजपूत मेडिकल हाल, हत्यारा मेडिकल हाल । ये सब मेडिकल हाल लूटने और खाने के लिये खुले हुए हैं और लोग परेशान हो रहे हैं ।

आज हमारे गांवों में क्या हो रहा है ? गांवों में स्वास्थ्य की समोचित सुविधाये न होने के कारण बाहर से जो हमारे शत्रु आ रहे हैं वे लोगों को पकड़-पकड़ कर इस आधार पर विधर्मी बना रहे हैं । वे हमारे साथ कैसे रह सकते हैं ? यदि उन को राज्य के द्वारा सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलेगी तो धर्मान्तर के साथ ही राष्ट्रान्तर होगा और उन की नैशनैलिटी दूसरों के साथ बंध जायेगी और आज जो हमारे मित्र हैं वे कल हमारे शत्रु हो जायंगे । इस को कोई नहीं रोक सकेगा । राज्य को सुदृढ़ और शक्ति सम्पन्न बनाने के लिये सस्ती और सुविधापूर्वक मिलने

[पंडित ब्रज नारायण 'ब्रजेश']

वाली आयुर्वेद पद्धति की तरफ़ गम्भीरतापूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है । केवल भाषणबाज़ी से काम नहीं चलेगा। मुझे प्रसन्नता है कि इस सदन में बहुत से माननीय सदस्यों ने इस पर जोर दिया है और माननीय मंत्री महोदय को अब इस बारे में निश्चय हो गया होगा । अब कोई विशेष प्रार्थना की आवश्यकता नहीं कि वह आधी से ज्यादा रकम भारतीय पद्धति की तरफ़ खर्च करें और जिस जिस ग्राम में हज़ार दो हज़ार की जन-संख्या हो उस में ज़रूर औषधालय स्थापित करें जिस से लोगों को विश्वास हो कि मेरा अपना राज्य है और बीमारी के समय वहां से मुझे औषधि मिल सकती है । वह जय तो बोले आप की और मरते वक्त अंग्रेज़ी दवाओं को देखे । हमारे यहां मरते वक्त गंगा-जल दिया जाता है । आप तुलसी जल दें परन्तु कुनीन क्यों देते हैं कंठ में पेनेसिलीन क्यों लगाते हैं ? मरते समय उन को अपने देश की औषधि दें ताकि आप पर उन को भरोसा हो और मरने के बाद वह फिर आप का साथ देने के लिये आये । आप चाहते हैं कि वह मरने के बाद दूसरों के हो कर आयें । हम तो इसीलिये अपनी चीज़ देते हैं कि मर कर फिर हमारे पास हो चला आय । यही हमारी फ़िलासफ़ी है, यही हमारा तत्वज्ञान है ।

अन्त में मैं फिर यह प्रार्थना करूंगा कि भारतीय यूनानी पद्धति की तरफ़ ध्यान दे कर उस को प्रश्रय देने की आवश्यकता है ताकि देश में यह विश्वास पैदा हो कि हमारे राज्य को हमारे स्वास्थ्य का पूरा ध्यान है ।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ (नासिक) : मैं दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र से गन्दी बस्तियों को दूर करने के मामले पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं । दिल्ली भारत की राजधानी है । इस के एक ओर अशोक होटल है और दूसरी ओर छोटी-छोटी गन्दी झोंपड़ियां हैं । एक ओर स्वर्ग के नजारे और दूसरी ओर नरक के भयंकर दृश्य हैं । बड़े-बड़े विदेशी राजे और महाराजे आते हैं तो हम उन्हें अशोक होटल ले जाते हैं परन्तु यदि हम उन्हें गन्दी बस्तियों में ले जायें तो उन्हें मालूम हो कि भारत कितना गरीब देश है । जब भी कभी जानकारी के लिये कोई प्रश्न पूछा जाता है तो सरकार की ओर से ठीक उत्तर नहीं दिया जाता ।

गत सप्ताह अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्काशन विधेयक नाम से एक विधान प्रस्तुत किया गया उसे संयुक्त समिति को सपुर्द किया गया है । जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर अपनी झौंपड़ियां बना रखी हैं इस विधेयक के पारित होते ही उन्हें वहां से हटा दिया जायेगा । इस बात का सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया कि इन लोगों को वहां से हटाने पर इन के लिये अन्य कहीं बसाने का क्या प्रबन्ध किया गया है । जब यह प्रश्न पूछा गया कि दिल्ली में इस प्रकार के गृहहीन व्यक्तियों की संख्या कितनी है तो उत्तर में गृह-कार्य मंत्रालय के राज्य-मंत्री श्री दातार ने बताया कि यह संख्या ६,००० थी और अब १०,००० हो गई है । परन्तु स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिवेदन से यह पता चलता है कि यह संख्या २०,००० नहीं प्रत्युत २०,००० परिवार हैं । और दो तीन वर्षों में सरकार सब के आवास की व्यवस्था नहीं कर पायेगी । अतः इस अवस्था में इन झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों की हालत क्या होगी । उन लोगों ने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई एक मोर्चा बनाने की बात भी वे सोच रहे थे । मैं आशा करता हूं कि सरकार इन लोगों को तब तक नहीं निकालेगी जब तक कि उन के लिये कोई प्रबन्ध न कर लेगी ।

†श्री करमरकर : मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने वादविवाद में भाग लिया और उस का ऊंचा स्तर बनाये रखते हुए हमारे लाभ के लिये अच्छे अच्छे सुझाव प्रस्तुत किये । जब मैं अपनी योग्यता अनुसार उन विभिन्न प्रस्तुत सुझावों के उत्तर देने की बात पर विचार करता हूं

†मूल अंग्रेजी में

तो मैं देखता हूं कि समयाभाव के कारण प्रत्येक बात का उत्तर देना सम्भव नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जैसे पहले विवादों में समस्याओं के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत किये जाते रहे हैं वैसे ही इस बार भी आज की सम्बद्ध समस्याओं के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत हुए हैं मैं उन सब के लिये आभारी हूं क्योंकि वे सब बात सरकार के कार्य की सीमा में ही आती हैं। कई अच्छे मित्रों ने इस बात की शिकायत की है कि कुछ मामलों को राज्यों को क्यों सपुर्द कर दिया गया है? आर्थिक साधनों और परिस्थितियों के अनुसार राज्यों और केन्द्र में कार्यक्रम का विभाजन है परन्तु राज्य की जनता के लिये चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की ही है। केन्द्रीय सरकार का काम तो मलेरिया, तपेदिक, फाइलेरिया और कैंसर जैसी अखिल भारतीय व्याधियों सम्बन्धी समस्याओं को दूर करने के लिये सक्रिय भाग ले कर योजनाओं का निर्माण करना और उन्हें चलाना है।

सब से प्रथम मैं उन बातों के सम्बन्ध में कहूंगा जिन का सम्बन्ध सामान्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों से है। मेरे एक सहयोगी ने अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में मलेरिया के सम्बन्ध में उठाये गये कदमों के संबंध में शिकायत की है। यह समस्या किसी विशेष क्षेत्र की नहीं देश भर की है और इस सम्बन्ध में जो कुछ हुआ है उस से सब को सन्तोष करना चाहिये। हम राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम प्रथम अप्रैल से आरम्भ करने जा रहे हैं। एक बार मुझ से विशेष तौर से इन दोनों कार्यक्रमों के अन्तर के सम्बन्ध में पूछा गया है। मेरे विचार में कुछ माननीय सदस्य नियंत्रण और उन्मूलन में अन्तर नहीं समझ पा रहे हैं। मलेरिया का प्रकोप बहुत कम हो गया है। आप इस सम्बन्ध में आंकड़े देख सकते हैं। १९४७ के आम अन्दाजे के अनुसार उस वर्ष मलेरिया के मामलों की संख्या ७५० लाख थी। कुछ प्रयत्न हुए और कुछ नियंत्रण भी हुआ। १९५३-५४ में यह संख्या ६०७ लाख थी। १९५४-५५ में यह संख्या ४१२ और १९५५-५६ में घट कर १९३ रह गई। निस्सन्देह १९५६ के बाद अब तक यह संख्या और कम हो गई होगी। माननीय सदस्य चाहें इसे अत्योक्ति समझें परन्तु यह वास्तविक स्थिति है। दिल्ली जैसे कई नगरों से मलेरिया बुखार की रिपोर्टें प्राप्त होती हैं परन्तु खून का परीक्षण करने पर पता चलता है कि यह मलेरिया नहीं। प्रभावशाली कदम उठाने के कारण कई स्थानों से मलेरिया लगभग समाप्त हो चुका है। ठोस कार्यक्रम और जनता के सहयोग से ही हम इस काम में सफल हो पाये हैं।

स्थिति यह है कि नियंत्रण योजना से काम पूरा समाप्त नहीं हो सका; उन्मूलन योजना के अन्तर्गत भारी प्रयत्नों द्वारा प्रत्येक स्थान में मलेरिया को समाप्त कर दिया जायेगा। यह उन्मूलन योजना सस्ती भी रहेगी। यदि हम द्वितीय और तृतीय योजनाओं के अन्तर्गत नियंत्रण का क्रम ही चालू रखते तो ५२ करोड़ रु० खर्च होता। कुल मिला कर यह खर्चा ६६.३५ करोड़ तक फैल जाता। परन्तु यदि इस नियंत्रण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया तो बाद में नियंत्रण योजना का वार्षिक खर्चा २ करोड़ रु० रह जायेगा जबकि नियंत्रण कार्यक्रम पर पांच वर्ष में २४ लाख रु० व्यय होना था। यह हमारी योजना है। यदि हमें सहयोग और सहायता प्राप्त होती रही तो वह समय दूर नहीं जब कि सारे देश में हम इस कार्यक्रम द्वारा थोड़े व्यय में अच्छे परिणाम पैदा कर सकेंगे। यह तो शायद संभव नहीं कि इतने समय में हम सारे देश से मलेरिया को बिल्कुल समाप्त कर दें थोड़े बहुत मामले तो होते ही रहेंगे। पर इतना जरूर होगा कि फिर मलेरिया कोई समस्या के रूप में नहीं रहेगा। मेरे माननीय मित्र ने अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में जो शिकायत की उस के सम्बन्ध में मैं अपने माननीय मित्र को यह आश्वासन दे सकता हूं कि यदि उन के क्षेत्र के मच्छर अन्य भागों के मच्छरों से भिन्न न हुए तो उन का क्षेत्र इस रोग से मुक्त हो जायेगा। हो सकता है कि नियंत्रण कार्यक्रम में हम उन के क्षेत्र में न पहुंच सके हों और इसी कारण वह आवश्यकता से अधिक निराश

[श्री करमरकर]

हो गये हों पर मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि उन का क्षेत्र इस उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत अवश्य लिया जायेगा और हमें सफलता मिलेगी ।

अगली महत्वपूर्ण बीमारी फाइलेरिया है, यह बड़ा भयंकर और चुपके से लगने वाला रोग है । इससे मनुष्य मरता नहीं परन्तु तड़पता रहता है । यद्यपि मौतें इससे अधिक नहीं होतीं, परन्तु मानसिक परेशानी बहुत रहती है, शारीरिक विकृति के कारण इस रोग से सामुदायिक जनशक्ति को हानि पहुंचती है और यह मलेरिये से अधिक खतरनाक है । मुझे खेद है और मैं यह स्पष्ट बताना चाहता हूं कि धन की कमी तथा मलेरिया कार्यक्रम को प्राथमिकता देने के कारण, जिसके लिए कि हमें बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी सहायता भी मिलती है, हमें इस सम्बन्ध में कार्यक्रम को छोटा करना पड़ा है । मेरी इच्छा है कि सरकार तथा यह मंत्रालय द्वितीय योजना के अन्तर्गत इस उद्देश्य के लिए अधिक धन की व्यवस्था कर सकते तो हम फाइलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम को उसी रूप में चलाते जैसी कि मूल योजना थी ।

मैं इस सम्बन्ध में जन सहयोग चाहता हूं । अन्य रोगों को रोकने के लिए जो कदम उठाये जाते हैं वे साधारण होते हैं, परन्तु फाइलेरिया को रोकने के टीकों से दर्द और बुखार बहुत होता है अतः इस सम्बन्ध में जनता के सहयोग की आवश्यकता है । विशेषकर श्री वें० प० नायर के क्षेत्र में, जहां कि इस रोग की स्थिति बड़ी गम्भीर है। हमने उनके क्षेत्र को सहायता दी है और लोगों ने उनका स्वागत भी किया है । मैं यह भी कहूंगा कि केरल के स्वास्थ्य मंत्री बहुत ही सचेत व्यक्ति हैं और मेरा विश्वास है कि श्री नायर की बहुत सी शिकायतें बिलकुल निराधार हैं ।

इस सम्बन्ध में मैं सदन की जानकारी के लिए यह भी कहना चाहता हूं कि हमने सांश्लेषित कीटनाशकों का भी प्रयोग किया है घरों में छिड़काव भी किये हैं । परन्तु मुझे बताया गया कि इस रोग के असर में आये व्यक्ति के ठीक होने में ५, ७ वर्ष लग ही जाते हैं । हेट्राजन और बेनाक्साइड नाम की औषधि काफी हद तक प्रभावशाली साबित हुई हैं । इलाज के साथ-साथ मच्छरों की रोकथाम से भी इस रोग को आगे फैलने से रोका जा सकता है । मैं अपने माननीय मित्र श्री नायर को बताना चाहता हूं कि केरल उन राज्यों में से एक है जहां के लिए केन्द्र खोलने की स्वीकृति दी जा चुकी है । मुझे इस बारे में सचमुच खेद है कि अभी केन्द्र खोले नहीं जा सके हैं । यह ऐसी समस्या है कि किसी अवस्था में भी इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और आसाम में क्रमशः ३, २, २ और १ केन्द्र होंगे । ये केन्द्र अभी चालू नहीं हुये अन्यथा कुल ४६ केन्द्र इस सम्बन्ध में काम कर रहे होते ।

फाइलेरिया रोगियों का पता लगने के लिए सर्वेक्षण इकाईयां भी काम कर रही हैं । आसाम में दो इकाइयों को छोड़ सभी फाइलेरिया सर्वेक्षण इकाइयां कार्य कर रही हैं । १६४.३० लाख जनसंख्या वाले क्षेत्र सर्वेक्षण के अधीन है । और इसमें से ५ से १० प्रतिशत क्षेत्र में वास्तविक सर्वेक्षण भी किये गये हैं । फाइलेरिया सम्बन्धी प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है । इस प्रशिक्षण के अन्तर्गत ९२ फाइलेरिया परामर्शदाता और १०५ निरीक्षक अब तक प्रशिक्षित हो चुके हैं ।

अब मैं तपेदिक की समस्या की ओर आता हूं । मैं अपने माननीय मित्रों से सहमत हूं कि यह बहुत ही गम्भीर समस्या है । इस रोग से ग्रस्त व्यक्तियों की पूरी गणना तो नहीं की जा सकती । हाल ही के देश पर में हुए सर्वेक्षण के अनुसार इस समय इस रोग के रोगियों की संख्या लगभग २५ लाख है । यद्यपि आय अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग पांच लाख व्यक्ति इस रोग के कारण मरते हैं ; यह ऐसा रोग नहीं कि केवल डाक्टरी इलाज से ठीक हो जाये । कुपोषण भी इसके कारणों में से एक है। इसलिए इस समस्या को हल करने के साथ ही कुपोषण की समस्या को ही हल करना होगा । जहां तक सम्भव हो इस रोग के रोगियों को अथवा जिनको यह रोग लगने की सम्भावना हो, हमें डाक्टरी सहायता तो देनी ही चाहिए ।

इस सम्बन्ध में मेरा एक अनुभव है कि २०, अथवा ३० वर्ष पहले यदि कोई व्यक्ति तपेदिक से ग्रस्त होता था और रोग बढ़ जाता था, तो यह समझ लिया जाता था कि अब उसके बचने की कोई आशा नहीं रही । परन्तु आज अवस्था ऐसी नहीं है, बहुत सफल आपरेशन हो रहे हैं । ३० वर्ष पूर्व इन आपरेशनों का कहीं नाम भी नहीं था । आजकल बहुत अच्छा इलाज किया जाता है और इस ओर समुचित ध्यान भी दिया जाता है । जब मैं एक बार एक तपेदिक अस्पताल में गया, तो मुझे यह जाकर यह आश्चर्य हुआ कि स्वयं खर्चा करने वाले रोगियों के स्थानों में से एक तिहाई स्थान खाली थे । यह बात १० अथवा १५ वर्ष पहले की है । कुछ सोचने के पश्चात् पता चला कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि आजकल घर में रह कर इलाज कराना भी काफी प्रभावशाली सिद्ध हुआ है । आधुनिक गवेषणा का यह भारी चमत्कार है कि तपेदिक जैसे भयंकर रोग का मुकाबला करने के लिए बहुत अच्छी औषधियों का आविष्कार हो चुका है । अब १००, अथवा ५० रुपया प्रति मास खर्च करके क्षय रोग चिकित्सालय में जाने की आवश्यकता नहीं बल्कि घर में रहकर डाक्टर के परामर्श से ३०, ४० रुपये मासिक का खर्चा कर इलाज करवाया जा सकता है । यह कहा जा सकता है, कि मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के लिए तो यह समस्या सरल हो गयी, परन्तु ७०, ८० प्रतिशत लोग तो गरीब हैं, उनके लिए यह समस्या इतनी सरल नहीं । उनके लिए अस्पतालों में अधिक शैय्याओं की व्यवस्था कर दी गई है । अस्पतालों आदि को अधिक सहायता दी गयी है । लगभग २०० अस्पतालों को एक्सरे का सामान दिया । ६० को तो इस वर्ष यह सामान दिया गया है । परन्तु इसके बावजूद भी मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हम यह सोचें कि सभी रोगियों के लिए अस्पतालों में जगह हो जाये तो यह सब असंभव है । हमें तो सबके घरों पर दवा की व्यवस्था करनी पड़ेगी ।

घर पर रह कर इलाज कराने की व्यवस्था की सफलता की जांच करने के लिए मद्रास में प्रयोग किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में यह प्रसन्नता की बात है कि गैर-सरकारी संस्थाओं से हमें भारी सहायता प्राप्त हो रही है । यह सहायता समाज सेवा करने वाली पुरानी संस्थाओं से प्राप्त हो रही है । ईसाई, मिशनरी संस्थायें, राम कृष्ण मिशन से सम्बन्धित संस्थायें और बहुत सी अन्य सार्वजनिक और धार्मिक संस्थाओं ने इस सम्बन्ध में सेवा कार्य किया है। और हम उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिये आभारी हैं। इन गैर-सरकारी संस्थाओं ने कई स्थानों पर बहुत ही अच्छा कांम किया है । मुझे इस पर गौरव है और मेरा मत है कि इस प्रकार के गैर-सरकारी प्रयत्नों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । हमारे मंत्रालय ने भी इस प्रकार की संस्थाओं को काफी मदद दी है और मुझे सभा को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जो कुछ भी सहायता इन संस्थाओं को दी गयी, उसका इन्होंने रोगियों की चिकित्सा के कार्य में बहुत अच्छी प्रकार उपयोग किया है ।

†**श्री जगदीश अवस्थी :** कानपुर में तपेदिक के रोगियों की संख्या बहुत अधिक है उसके संबंध में आप क्या कर रहे हैं ?

†**श्री करमरकर :** उचित मामला हो, तो सहायता अवश्य दी जाती है, इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है । हम संख्या का ध्यान न करके संस्था की योग्यता को देखते हैं। मेरे विचार से देहाती इलाके में यह समस्या कम है । तपेदिक ही नहीं, अन्य रोग भी देहातों में कम होते हैं । बड़े बड़े नगरों अर्थात् कलकत्ता, बम्बई, कानपुर इत्यादि में ये रोग अधिक होते हैं । मद्रास इत्यादि स्थानों में भी रोगों का प्रकोप कुछ कम नहीं है । देहातों और शहरों दोनों स्थानों पर समस्या काफी गम्भीर है मैं सभा से छिपाना नही चाहता कि उन बड़े नगरों में जहां ताजी हवा की कमी है, गंदी बस्तियां अधिक हैं, और जहां बच्चों के खेलने के लिए स्थान की कमी है, इन रोगों की मात्रा अधिक है । हो सकता है मेरा अन्दाजा गलत हो, परन्तु मेरा विचार है कि आगामी दस वर्षों में रोगों का प्रभाव देहातों के मुकाबले में शहरों में अधिक रहेगा । देहाती इलाकों को यदि हम पानी इत्यादि की सहायता देते रहे तो वे बहुत अच्छे हैं । हमारे किसान शहरी लोगों से कुछ अधिक बलिष्ठ होते हैं । परन्तु इस बात का इस विषय से कोई सरबन्ध नहीं है ।

तपेदिक के पश्चात् मैं कुछ शब्द कैंसर की समस्या के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं । कहा जाता है कि यह रोग प्रायः बूढ़ों को होता है । इस समस्या पर विचार करने की आवश्यकता है । मैं संसार की सामान्य चिकित्सा अवस्थाओं के बारे में एक बड़ी विचित्र पुस्तक का अध्ययन कर रहा था ।

मुझे पता लगा कि अमेरिका जैसे समृद्ध तथा प्रगतिशील देश में कैंसर के उतने ही रोगी हैं जितने भारत में तपेदिक के हैं । अमेरिका में लाखों व्यक्ति इस रोग के शिकार हैं और प्रतिवर्ष लगभग २००,००० व्यक्ति मर जाते हैं । मैं समझता हूं कि उस देश की विशालता और समृद्धि को देखते हुए यह संख्या अधिक ही है । मुझे बताया गया कि वहां कैंसर रोग के फैलने का एक कारण यह है कि वहां लोगों की आयु अधिक होती है।

कुछ ही दिन पूर्व मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ा था कि एक देश विशेष की सरकार की चिन्ता यह है कि वहां के लोगों की आयु बहुत लम्बी हो रही है जिसका नतीजा यह है कि जितना आप अधिक जीयेंगे उतनी ही आपकी चिन्तायें अधिक होंगी । मैं उन लोगों को जो पूरे सौ साल जीने की फिक्र में हैं निरुत्साह नहीं करना चाहता परन्तु यह बताना मेरा कर्त्तव्य है कि जितना वह अधिक जीयेंगे और जब वह सौ वर्ष की आयु के आस पास पहुंच जायेंगे तो संभव है उनको इस प्रकार के किसी रोग में फंस जाना पड़े । खैर हमें इस बात की बड़ी चिन्ता है कि कैंसर का रोग बढ़ रहा है । चाहे वह बम्बई में हो, या कलकत्ता, मद्रास अथवा हैदराबाद में ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हम इस सम्बन्ध में जो भी कुछ कर सकते हैं, करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

अगली महत्वपूर्ण बात परिवार नियोजन के बारे में कही गई । इसके बारे में कुछ बताने से पहले मैं कुष्ट रोग के बारे में कुछ बताना चाहता हू । इस रोग की रोकथाम के लिए जो कुछ किया जा रहा है उसका विवरण सभा पटल पर रखे गये प्रतिवेदन में

---

†मूल अंग्रेजी में

स्पष्टतया दिया जा चुका है । सरकार द्वारा इस रोग के लिए कुछ किए जाने से पहले ही बहुत सी गैर-सरकारी संस्थायें इस रोग की रोकथाम के लिए काम कर रहीं थीं और मैं यहां गांधी स्मारक निधि को इस कार्य के लिए प्रशंसा करता हूं और उनका आभार प्रदर्शित करता हूं । इसी संगठन ने हिमाचल प्रदेश में कार्य करने के लिए कर्मचारियों का पहला दल हमें दिया था ।

इस बात को बताते हुए मुझे गर्व होता है कि जिन नौ केन्द्रों में इस समय वह काम कर रहे हैं, उनमें उन्होंने बहुत ही ऊंचे दर्जे का काम किया है । गत अवसर पर जब मैं केरल में गया था उस समय मैंने एक केन्द्र में उनके काम को देखा । ३१ गांवों की ११,००० जनता का उन्होंने सर्वेक्षण कर लिया था जिनमें उन्हें ८०० रोगी मिले थे । यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उनमें से लगभग १५० रोगी पूर्णतः निरोगी होकर अपने घरों को वापस भेज दिये गये थे । इसी प्रकार अन्य संस्थायें भी अच्छा काम कर रही हैं ।

सरकार ने एक योजना बनाई है जिसके अनुसार देश भर में नियंत्रण योजनायें चालू करने का प्रयत्न किया जा रहा है । अब तक हमने चार चिकित्सा तथा अध्ययन केन्द्र और ३६ सहायक केन्द्र, जिनको स्वीकृति प्रथम योजना काल में दी गई थी, खोले हैं । द्वितीय योजना काल में ३४ सहायता केन्द्र खोलने हैं । इस प्रकार स्वीकृत ७४ केन्द्रों में से, लगभग ५७ चालू कर दिये गये हैं ।

मुझे बताया गया कि लगभग ४० लाख आबादी का सर्वेक्षण किया जा चुका है । लगभग ३८,००० रोगी मिले हैं जिनका उपचार किया जा रहा है । मुझे सभा को यह बताते हुए खेद होता है कि काम का अंकन जो मैंने किया है उसके अनुसार मैं यह कहने को तैयार नहीं हूं कि सभी जगह पर काम संतोषजनक रूप में किया जा रहा है । बहुत सी समस्यायें रास्ते में हैं । परन्तु यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता होती है कि राज्य अपना कर्तव्य पूरी तरह निभा रहे हैं । काम धीरे धीरे हो रहा है क्योंकि रोग कठिनाई से दूर होता है । परन्तु मैं समझता हूं कि सर्वेक्षण और उपचार के केन्द्र खोल कर ही समस्त देश में इस समस्या से टक्कर ली जा सकती है और इस रोग को हटाया जा सकता है । इस सम्बन्ध मे मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता ।

आयुर्वेद के समर्थक मेरे माननीय मित्र ने परिवार नियोजन के बारे में बताया कि यह कभी भी सफल नहीं होगा । मैं समझता हूं कि उन्होंने ठीक बात नहीं कही है । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि परिवार नियोजन के सम्बन्ध में दो तीन वर्ष पूर्व जो वातावरण था वह आज नहीं है । पहले लोग हंसा करते थे पर अब लोग इस पर गंभीरता से सोचते हैं । सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ करते समय हमें यह मालूम हो कर बड़ी खुशी हुई कि कुछ शिक्षित लोग इसमें विश्वास करते थे और वे पहले से ही आवश्यक बातों को ध्यान में रखते थे, लेकिन वे उनका प्रचार नहीं करते थे । मुझे प्रसन्नता है कि लोगों ने इसे अब गंभीरता से सोचना प्रारंभ कर दिया है ।

इस समय हमारे कार्य संचालन का तरीका यह है कि हमने एक निश्चित संख्या में क्लिनिक खोलने का लक्ष्य सामने रखा है । द्वितीय योजना के एक अंश के रूप में, मार्च १९५८ तक हमारा लक्ष्य ३७० क्लिनिक खोलने का है । इन क्लिनिकों मे देहाती तथा नगरीय दो प्रकार के क्लिनिक हमने रखे हैं । इसके अतिरिक्त कोई भी गैर सरकारी संगठन अथवा कोई भी राज्य इस काम को प्रारंभ कर सकता है । दोनों अवस्थाओं में हम अना-

[श्री करमरकर]

वर्त्तक व्यय देते हैं । जहां तक आवर्त्तक व्यय का सबंध है गैर सरकारी संस्थाओं को हम लगभग ८० प्रतिशत तथा राज्य सरकारों को लगभग ५० प्रतिशत देते हैं । यह सच है कि देहाती क्षेत्रों की तुलना में नगरीय क्षेत्रों में अधिक क्लिनिक खोले गये हैं ।

गत वर्ष, इस समय तक राज्य सरकारों ने परिवार नियोजन पदाधिकारी भी नियुक्त नहीं किए थे यद्यपि हम उनका पूरा वेतन देने को तैयार थे । मुझे प्रसन्नता है कि अब अधिकांश राज्यों में परिवार नियोजन पदाधिकारी नियुक्त किये जा चुके हैं, परिवार नियोजन बोर्ड स्थापित हो चुका है, और लक्ष्य से अधिक क्लिनिकों का खोला जाना स्वीकार किया जा चुका है । ४०८ क्लिनिकों की स्वीकृति दे दी गई है जिसमें से २४४ देहातों में होंगे तथा १६४ नगरों में होंगे । इनमें से ३७७ क्लिनिक इस समय चालू हैं ।

इन क्लिनिकों में परिवार नियोजन के तरीकों पर परामर्श दिया जाता है तथा कम आय वर्ग के लोगों को गर्भ निरोधक वस्तुयें मुफ्त वितरित की जाती हैं । मैं इस सम्बन्ध में इससे अधिक कुछ नहीं कहना चहाता हूं कि सभी लोग इस चीज का महत्व समझने लगे हैं । हमारे आलोचकों ने हमें डरा दिया था कि देहाती क्षेत्रों में इसका प्रसार कठिन है परन्तु मैं अब उन्हें बता देना चाहता हूं कि उनका यह कथन झूठा सिद्ध हो गया है । गांव में जब भी कोई जाता है तो नर-नारी सभी गंभीरतापूर्वक इस सम्बन्ध में बातें करत हैं । इस कार्यक्रम के लिये यह बड़ी उत्साहजनक बात है कि आम लोगों ने सामान्यतः इसके प्रति सहमति व्यक्त की है । लोगों से जिस प्रकार के पत्र मुझे अक्सर मिलते हैं उन्हें देख कर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है । एक युवक का पत्र मुझे मिला उसमें उसने लिखा था कि मेरी शादी २७ अगस्त को हुई थी और मेरी आयु २७ वर्ष की है तथा मेरी पत्नी की २२ वर्ष की । मैं चाहता हूँ कि पांच वर्ष तक मेरे कोई बच्चा न हो । उसने मुझ से पूछा था कि परिवार नियोजन का सबसे अच्छा तरीका क्या है । मैंने वह पत्र सम्बन्धित पदाधिकारी के पास भेज दिया । मैंने सोचा कि वास्तव में यह नवयुवक दूरदर्शी है और हमें इसको पूरी सहायता करनी चाहिये । मेरे कहने का आशय यह है कि जनता बड़ी गंभीरता से इस पर विचार कर रही है । मैं चाहता हूं कि माननीय सभासद भी इस कार्यक्रम की क्रियान्विति की ओर ध्यान दें और अपना सहयोग दें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह संभव नहीं है डिस्पैन्सरी तथा अस्पतालों के सभी डाक्टरों को इसकी जानकारी कराई जाये जिससे अलग क्लिनिक बनाने की आवश्यकता न रह जाये ? उसी प्रकार कुष्ट रोग का एक यूनिट भी हर एक अस्पताल के साथ संबद्ध किया जा सकता है । इस तरह से हम इस रोग पर नियंत्रण तो कर ही सकते हैं ।

†**श्री करमरकर** : हमारा अन्तिम लक्ष्य यही है । जो कुछ किया जा रहा है उसका पूर्वानुमान आपने ठीक ही किया । यदि प्रत्येक अस्पताल में प्रत्येक डाक्टर इसके सम्बन्ध में जान जाये तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है । परिवार नियोजन बोर्ड की एक बैठक में एक सुझाव दिया गया था कि कुष्ठ, तपेदिक आदि की भांति परिवार नियोजन का विषय भी विद्यार्थियों के लिये पाठ्यक्रम में इस प्रकार शामिल किया जाना चाहिए जिससे उन पर अधिक भार न पड़े ।

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवार नियोजन के लिये अलग क्लिनिकों का सहारा इसलिए लेना पड़ा क्योंकि जिस उत्साह से जनता ने इसे स्वीकार किया है उतने उत्साह की शुरू में आशा नहीं थी । अब समय आ गया है जब हम कार्यक्रम का विस्तार सामान्य रूप से कर देंगे । आपने योजना का पूर्वानुमान ठीक ही लगाया है । हमने इन परिवार नियोजन क्लिनिकों से कहा है कि जो भी व्यक्ति परामर्श लेने आये उससे एकदम यही न कह दिया जाया करे कि 'बच्चे पैदा मत करो' । अपितु हम डाक्टरों से उनके परिवारों की देखभाल करने को कह रहे हैं । दिल्ली में परिवार नियोजन डाक्टरों ने १४ नवम्बर को बच्चों का कार्यक्रम अपनाया था । उस कार्यक्रम में यह प्रचार नहीं किया गया था कि बच्चे पैदा मत करो बल्कि जोर इस बात पर दिया गया था कि अपने परिवार को सीमित रखो जिससे जितने भी उसमें सदस्य हों वे सभी स्वस्थ और खुश रह सकें । इस विचार का सभी ने स्वागत किया है ।

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना की सेवाओं की तारीफ की गई है । आपकी आज्ञा से एक बात का मैं यहां जिक्र कर दूं । यह मांग की गई कि संसद्-सदस्यों के लिए भी अंशदायी सेवा योजना के समान एक योजना बनाई जाये । मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि मैं इस प्रकार की योजना का हार्दिक स्वागत करूंगा । परन्तु सब से बड़ी कठिनाई यह है कि इस विषय में सभी सदस्यों का मत अलग अलग है और इसलिए मैं आशा नहीं करता कि सभी सदस्य इस योजना में स्थायी रूप से शामिल हो जायेंगे । यदि कोई तरीका निकाल लिया जाये और कम से कम आधे सदस्य इसके लिये तैयार हो जायें—शायद पहले जब यह सुझाव दिया गया था उस समय ६० रु० प्रति वर्ष अंशदान देने की बात थी—तो मुझे इसे लागू करने में बड़ी प्रसन्नता होगी । इसमें कठिनाई यह है कि जब तक सदस्य दिल्ली में रहेंगे तब तक तो वे फायदा उठा सकते हैं और जब यहां नहीं होंगे तो इसका क्या होगा । ऐसी बातें सामने आती हैं । खैर मुझे आशा है कि कम से कम आधे सदस्य तो तैयार हो ही जायेंगे । अगर हमें यह योजना चलानी हुई तो इसे एक आदर्श योजना के रूप में ही चलाना होगा ।

अब मैं, इस योजना द्वारा की गई प्रगति के सम्बन्ध में कुछ बताता हूं । १९५४ में इस योजना के अधीन २२३,००० लोग थे परन्तु अब उनकी संख्या ४०४,८०० लोग हैं । प्रतिदिन १०,६७६ लोग डिस्पैंसरी में आते हैं जब कि १९५४ में ४,५०४ लोग आते थे । १९५४ में १६ डिस्पैंसरियां थीं और अब २१ हैं । उस समय डाक्टर ११ थे अब २० हैं तथा २० विशेषज्ञ हैं । उस समय असिस्टेंट सर्जन २९ थे अब ९६ हैं । १९५४ में इस का खर्चा लगभग १५,९१,००० रुपये था और अब ३९,७४,४००० रुपये है । १९५४ में इससे ७,५१,४७२ रुपये की आय थी जो १९५७ में बढ़ कर २२,१३,००० रुपये हो गई । जिसका अर्थ हुआ कि ३९,७४,४०० रुपये के व्यय के मुकाबले आय २२,१३,०० रुपये हुई अर्थात् कुल व्यय का दो तिहाई भाग अंशदान से मिला है । और आप जानते हैं अंशदान की दर बहुत कम है; ८ आने से १२ रुपये प्रति मास अंश ही लिया जाता है । मुझे यह बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि अस्पताल में भरती हो कर उपचार कराने वाले रोगियों के सम्बन्ध में जो व्यवस्था है उससे लोगों में संतोष दिखाई देता है। अस्पताल में रोज के रोगियों की संख्या बहुत बड़ी है और इसलिये कुछ समय तक यह समस्या बनी रहेगी । मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और बताता हूं कि इस बात की सेवा में कितना खतरा है और कैसे उसका दुरुपयोग हो सकता है। एक १६ वर्ष की लड़की को उसके सम्बन्धियों ने बताया कि पेनिस्लीन के इंजैक्शन लेने से उस का दांत का दर्द दूर हो जायगा । उस ने १२ इंजैक्शन ले लिये जिन के कारण दांत का दर्द तो बन्द हो गया परन्तु इंजैक्शन लगने से जो दर्द हुआ वह बहुत दिनों तक चला ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसमें तो आपके डाक्टरों का दोष है। वे जैसा मरीज कहते हैं क्यों करते हैं ।

†**श्री करमरकर** : मैंने आपको यह इसलिये बताया जिससे पता लगे कि बढ़िया उपचार का किस प्रकार दुरुपयोग किया जाता है ।

†**डा० पशुपति मंडल** : कर्मचारियों को स्थायी बनाने के सम्बन्ध में क्या किया गया है ?

†**श्री करमरकर** : यह एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अभी तक वित्त मंत्रालय हमें इनको स्थायी बनाने से मना करता आया है क्योंकि योजना ही स्थायी नहीं थी। अब इस योजना को अर्द्ध-स्थायी घोषित कर दिया गया है और हम अपने तीन चौथाई डाक्टरों को स्थायी बनाने जा रहे हैं । यहां मैं डाक्टरों तथा कर्मचारियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं जिन्हों ने कभी कभी आलोचना किये जाने पर भी बड़े अच्छे ढ़ंग से काम किया है। उनका काम वास्तव में सराहनीय है ।

श्री कोडियान के सुझाव बड़े लाभदायक थे और मैं उनके ८० प्रतिशत सुझावों से सहमत हूं। यदि उस ओर बैठे ऐसे माननीय सदस्य, जिन्हें चिकित्सा ज्ञान मे रुचि हो, कुछ सुझाव देंगे, तो हम उन पर विचार करेंगे, हमें उनसे पर्याप्त लाभ हो सकता है।

श्री वें० प० नायर ने दवाओं के आयात की ओर निर्देश किया। मैं उनसे सहमत हूं कि यथासंभव हमें अपनी जरूरत की दवाइयों को यहां ही बनाना चाहिये, कुछ दवाइयों के निर्माण की एक योजना पर रूसी प्रतिनिधियों से हाल ही में बातचीत हुई है और अन्य देशों से भी इस प्रकार की योजनाओं पर बातचीत हो रही है। हम इस बात के लिये उत्सुक हैं कि हमारा देश सभी मामलों की तरह इसमें भी आत्म निर्भर हो जाये ।

उन्होंने स्वायत्तशासी संस्थाओं का जिक्र किया। मैं मंत्रालय के अन्तर्गत स्वायत्तशासी संस्थायें रखने के पक्ष में नहीं हूं। परन्तु फिर भी अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था है ही । उन्हों ने शल्य शास्त्र के तथा चिकित्सा शास्त्र के प्रोफेसरों का जिक्र किया। यह नियुक्तियां हाल में ही की गई हैं। इनमें से एक को अभी कार्यभार संभालना है। और इसलिये उसके काम न कर सकने का प्रश्न ही नहीं उठता। रेडियोलाजी के प्रोफैसर के बारे में मैं उनके कथन को अंशतः स्वीकार करता हूं । किन्तु उसकी सेवाओं को यथा संभव अनुपयुक्त ढंग से उपयोग में लाया जा रहा है। हम उस की सेवाओं का अधिकाधिक लाभ उठा रहे हैं ।

मुझे इस बात पर बहुत हर्ष है कि आखिर उन्होंने हमारे एक काम को तो पसंद किया है। परन्तु मैं समझता हूं कि वे अधिकतर नकारात्मक कार्यों को पसन्द करते हैं। यह कार्य नकारात्मक होते हुए भी एक रूप में सकारात्मक था और हमने समझा कि यह बहुत अच्छा होगा कि वास्तुकला विशारद को इसकी सूचना दी जाये, इसलिये नहीं कि उसका संम्बन्ध एक विशेष राष्ट्रीयता से है वरन् इसलिये कि इस तरह कार्य में अधिक प्रगति होगी ।

उन्होंने स्नातकोत्तर शिक्षा आदि की ओर ध्यान दिलाया था। जिन बातों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिये उनका वे सामान्यतः अनुमोदन करते हैं। उन्होंने भारतीय चिकित्सा सन्था के अभिभाषण के अन्य भागों को पढ़ा है जिनमें बहुत से लाभप्रद सुझाव हैं किन्तु उन्हों ने फिर भी कुछ अनुचित बातें कही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंडित ठाकुर दास भार्गव, अन्य कुछ सदस्यों और श्री भगवान दीन ने एक बात उठाई है। मुझे प्रसन्नता है कि आयुर्वेद की प्रगति में अभिरुचि रखने वाले हमारे एक साथी ने जामनगर संस्था को देखा है।

मैं चिकित्सा शास्त्र से अनभिज्ञ होते हुए भी एक बात स्पष्ट रूप से कहता हूं कि यद्यपि यह काम अभी हो रहा है किन्तु इसका इतना अधिक महत्व है और ऐसे ठोस आधार पर तथा सुयोग्य लोगों के पथ प्रदर्शन में हो रहा है कि सभा के लोगों को उसे कुछ और प्रोत्साहन देना चाहिये। एक विशेषज्ञ १२०० पौधे एकत्र कर रहा था तथा प्राकृतिक और कृत्रिम पौधों को पृथक् पृथक् करना उसका कार्य था। इसके अतिरिक्त वह यह मूल्यवान कार्य करता रहा है और उसके पास १२०० नमूने हैं।

एक और विभाग में मैंने एक संस्कृत विद्वान को देखा जो एलोपेथी के बारे में कुछ नहीं जानता। वह छोटी से छोटी बातों के बारे में अर्थात शरीर के अंगों के नाम अथवा औषधियों के नाम और हमारे प्राचीन संस्कृत साहित्य, प्राचीन गाथाओं से ऋग्वेद और अथर्वेद के काल से ले कर आज तक की जानकारी एकत्र कर रहा था। इसका लाभ यही है कि ज्ञान चाहे कहीं भी हो उसे एकत्र किया जाये। अतः यह सब कार्य बहुत रुचिपूर्ण है। हम चाहे अपने आप को आधुनिकतम कहते हैं परन्तु मुझे विश्वास है कि इससे न केवल हमें लाभ होगा किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से प्राचीन औषधि विज्ञान का इतिहास तैयार करने के हेतु बहुत अधिक महत्व होगा।

तीसरे विभाग में कतिपय रोगों जैसे पांडुरोग की गवेषणा की जा रही थी। यह एक प्रकार का 'अनीमिया' है जो कई प्रकार का होता है और कई कारणों से होता है। वहां रोगियों का उपचार शुद्ध आयुर्वेदिक ढंग से किया जाता है किन्तु उस के परिणामों की जांच एलोपेथी के डाक्टर करते हैं क्योंकि तात्पर्य यह है कि गवेषणा कार्य करके संसार को बताया जाये। वे इस से सहमति अथवा असहमति प्रकट नहीं करते क्योंकि वे सरकार द्वारा किये गये आयुर्वेदिक कार्य से सहमत होना अच्छा समझते हैं। मैंने अभिलेखों में देखा है कि पांडुरोग जैसे रोगों का उपचार अनेक वैद्यों ने पुराने ढंग से किया है और १, २, ३, या ४ खून का रंग देखने के परीक्षणों में परिणाम संतोषजनक हैं। किन्तु अन्य प्रकार के परीक्षण में यह उपचार सफल नहीं हुआ। इस प्रकार की गवेषणा हो रही है और इस में कोई संदेह नहीं कि इस कार्य को अधिकाधिक प्रोत्साहन देना चाहिये।

आयुर्वेदिक संस्थाओं आदि को सहायता भी दी जा रही है। कितना अनुदान दिया जा रहा है इस का ब्यौरा दे कर मैं सभा को थकाना नहीं चाहता। गत वर्ष उत्पादन के सम्बन्ध में मैंने जो कुछ कहा था उसे भी दोहराना नहीं चाहता। ठाकुर दास भार्गव चाहते हैं कि मैं यह बताऊं किन्तु मैं विवश हूं। मैं दोनों सुझावों से सहमत नहीं हूं।

मुख्यतः यह दृष्टिकोण अभिव्यक्त किया गया है कि गत १०० वर्ष से हम विशेष प्रकार की औषधि का प्रयोग कर रहे हैं। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि उससे प्राचीन प्रणाली को हानि ही पहुंची है। मेरे मन में इस सम्बन्ध में कोई संदेह नहीं किन्तु परिस्थितियों में ऐसा परिवर्तन हुआ ही है। आधुनिक औषधि विज्ञान में भी ६० वर्ष पुराने विचार आज के विचारों से भिन्न हैं। आज के कुछ आधुनिक चिकित्सक जो ७० या ८० वर्ष की आयु के हैं एंटीबायोटिक्स की आश्चर्यजनक प्रगति को घबराहट भरी दृष्टि से देख रहे हैं।

सरकार का एक उच्च उत्तरदायित्व संभालने के कारण मेरे सामने यह समस्या है। वस्तुतः मैं जानता हूं कि १० या १५ वर्ष पूर्व निमोनिया के अनेक रोगी मर जाया करते थे आज एंटीबायोटिक्स से उस का उपचार हो सकता है। यदि मैंने निमोनिया के किसी रोगी का उपचार करना हो तो क्या मैं

[श्री करमरकर]

एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करूंगा ? अथवा इतना कह कर संतोष कर लूंगा कि मुझे आयुर्वेदिक प्रणाली की किसी न किसी औषधि का प्रयोग करना चाहिये।

अतः हमें इसमें वस्तुगत दृष्टिकोण रखना होगा। जिस ढंग में वे चाहते हैं यदि उस ढंग में हम आयुर्वेद की सहायता करें तो हमें औषधालयों और असैनिक अस्पतालों में अनुमोदित आयुर्वेदिक औषधियों को प्रचलित करना होगा। किन्तु तब हम आधुनिक विज्ञान की प्रगति का लाभ नहीं उठा सकेंगे और मैं तो इसके लिये तैयार नहीं। अतः योजना आयोग और भारत सरकार ने एक लाभदायक प्रस्ताव रखा है कि हमें सुपात्र संस्थाओं की सहायता करनी चाहिये। इस सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है कि हमने पर्याप्त सहायता की है अथवा नहीं। किन्तु हमारी नीति यही है। हम सभी से अच्छे सुझाव प्राप्त करने के लिये तैयार हैं। हम में कोई कट्टर पन्थी नहीं है। हम जानते हैं कि आयुर्वेदिक शास्त्र से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है किन्तु हम आधुनिक गवेषणाओं का विरोध नहीं कर सकते। औषधि विज्ञान में जहां कहीं भी अच्छी बातें हैं हमें उन्हें प्राप्त करना है। यदि कोई अच्छी औषधि हो तो हमें इससे क्या कि इंगलैंड में बनी है अथवा अमरीका में। यदि इससे मानव समाज कों लाभ होता है तो इसे सब कहीं अपनाया जाना चाहिये ठीक इसी तरह कि यदि आयुर्वेदिक अच्छा हो तो उन्हें इसे अपनाना चाहिये : हम आयुर्वेद, होम्योपैथी अथवा ऐलोपैथी सभी क्षेत्रों में औषधि निर्माण के प्रयत्नों को सहायता देने के लिये तैयार हैं। राज्य सरकारें कभी कभी इस विष में अत्यधिक तेजी से काम करती हैं किन्तु हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। भले ही इस से कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे किन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि हमें सावधान रहना ही पड़ता है। यह ऐसा विषय है जिस से चिकित्सा क्षेत्र को लाभ होगा और लोगों को अधिकाधिक चिकित्सा सुविधायें प्राप्त होंगी। हम किसी एक सिद्धान्त से ही सर्वथा लगाव नहीं रख सकते। जो चिकित्सक ५० वर्ष पूर्व आरी से खड्डी को काटा करता था अब ऐसा नहीं कर सकता। हम यह तो नहीं कह सकते कि यह पूर्णतः अच्छा है किन्तु हमें सभी प्रकार की आधुनिक औषधियां अपनानी पड़ती हैं। अतः जो लोग औषधि विज्ञान में अभिरुचि रखते हैं उन्हें किसी भी औषधि प्रणाली के प्रति विरोध की भावना नहीं पैदा करनी चाहिये। यदि आप इस सम्बन्ध में वाद-विवाद खड़ा करेंगे तो मुझे भय है कि लगभग पांच वर्षों में एक नयी चिकित्सा प्रणाली पैदा हो जायेगी। उस से हमें हानि भी होगी।

यदि कुछ और बातें रह गयी हों तो मैं किसी अन्य अवसर पर उनका उत्तर दूंगा। मुझे खेद है कि सभा को इतनी देर बैठना पड़ा है और मैं सभी बातों को अपने भाषण में ले भी नहीं सका। मैं माननीय सदस्यों का उनके सुझावों और आलोचनाओं के लिये ही आभारी नहीं होऊंगा क्योंकि इनसे लाभ ही होता है बल्कि यदि वे गंभीरता से अपने निर्वाचन क्षेत्रों में इस काम को करें और इससे सहायता मांगें तथा हमें सहयोग प्रदान करें तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मैं आपका भी आभारी हूं कि आपने मुझे इतना समय दिया।

†**श्री जगदीश अवस्थी :** सरकार ने चोपड़ा समिति, पंडित समिति और दवे समिति की सिफारिशों के बारे में क्या किया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं इसका उत्तर दूं। हम औषधि विज्ञान को एक ही विषय समझते हैं अर्थात् हम उसे अलग अलग भागों में विभाज्य नहीं समझते हैं, भले ही उसे विभिन्न आधारों पर अमल में लाया जाये। उन सब आधारों की जांच केवल एक ही आधार पर यानी वैज्ञानिक आधार पर करनी चाहिये। अतः हम

---

†मूल अंग्रेजी में

आयुर्वेद की जांच इसी प्रकार करते हैं और उससे अधिकाधिक लाभ उठाना चाहते हैं किन्तु यह जांच वैज्ञानिक आधार पर ही होती है। हमें इस बात की परवा नहीं कि कोई व्यक्ति रोगी का उपचार किस ढंग से करता है किन्तु यह जरूर चाहते हैं कि उपचार करने वाले व्यक्ति को संक्षिप्त विषय में सामान्य वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त होनी चाहिये, चाहे वह शिक्षा शरीर विज्ञान की हो, या जीव विज्ञान अथवा शरीर क्रिया विज्ञान की। किन्तु यदि कोई व्यक्ति शरीर रचना के बारे में ही नहीं जानता और उन सब बातों को नहीं जानता जो आधुनिक विज्ञान द्वारा सर्वविदित हैं तो हम समझते हैं कि वह किसी भी प्रणाली द्वारा उपचार करने के लिये योग्य नहीं है। किन्तु मूल वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कोई व्यक्ति किसी भी ढंग को अपना सकता है। उपयुक्त प्रशिक्षण के बिना उसे उपचार करने के योग्य समझना खतरनाक है ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : आयुर्वेद के सम्बन्ध में दी गई जानकारी के लिये हम आभारी हैं किन्तु 'सिद्धम' को क्या सहायता दी जा रही है, यह नहीं बताया गया है ।

†**श्री करमरकर** : मुझे खेद है कि मैंने सिद्ध प्रणाली के बारे में कुछ नहीं कहा। हम इस प्रणाली को भी अन्य प्रणालियों के समान समझते हैं। हम इसका भी लाभ उठायेंगे। जामनगर में इसके सम्बन्ध में भी एक विभाग है। यदि हमारे पास इसकी कोई योजना आई तो हमें उसकी सहायता करने में हर्ष होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं सारे कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं ।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		(रुपये)
४७.	स्वास्थ्य मंत्रालय	१२,५७,०००
४८.	चिकित्सा सेवायें	४,७५,५०,०००
४९.	लोक स्वास्थ्य	१२,८९,७२,०००
५०.	स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	८०,३१,०००
१२१.	स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	८,९७,७६,०००

*भाखड़ा नंगल की विद्युत योजनाएं

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम आधे घंटे की चर्चा को लेते हैं। चर्चा उठाने वाले माननीय सदस्य को दस मिनट मिलेंगे, माननीय मंत्री को १० से १५ मिनट तक और अन्य सूचना देने वाले सदस्यों को एक दो प्रश्न पूछने की अनुमति दी जायेगी ।

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंटे की चर्चा

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली): भाखड़ा नंगल की महान परियोजना पर केवल पंजाब को ही नहीं अखिल भारत को गर्व है। यह इस बात का प्रतीक है कि हम किस बड़े आधार पर अपनी अर्थ-व्यवस्था को पुनर्गठित कर रहे हैं। मैं केवल इस की विद्युत् परियोजना को लूंगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इसके व्यय प्रबन्ध, प्रक्रिया आदि के बारे में भाग लेने वाले राज्यों में कोई करार हुआ है? हम यह तो जानते हैं कि एक भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड बना हुआ है परन्तु क्या वह किसी विधान मंडल के समक्ष उत्तरदायी है?

१९४६ में इस पर ७५ रुपये के व्यय का अनुमान था और १९५५–५६ में यह व्यय १७० करोड़ रुपये तक बढ़ गया। क्या इतने अधिक व्यय के लिये विधान मंडल की अनुमति ली जाती है?

१९५३ में पंजाब और राजस्थान में यह करार हुआ था कि विद्युत् प्रजनन एक कार्यक्रम के अनुसार होगा ताकि दोनों राज्य लाभ उठा सकें। किन्तु उसके दूसरे ही दिन योजना आयोग ने निदेश दे दिया कि राजस्थान के भाग का विद्युत् प्रजनन अभी न किया जाये ताकि पहले पता लगाया जाये कि वह लाभदायक होगा अथवा नहीं। बाद में एक समिति नियुक्त की गई जिस ने बताया कि यह परि-योजना लाभदायक होगी। इससे पता लगता है कि राजस्थान की प्रगति में किस प्रकार बाधा पहुंचाई जा रही है। यह एक गंभीर आरोप है परन्तु ऐसा हुआ है।

१९५५ में जब सब फैसला किया गया तो विद्युत् संचार लाइनें लगाने का काम पंजाब सरकार को ही सौंप दिया गया। अमृतसर के कारखाने में बुर्ज बनाने का काम आरम्भ भी हुआ किन्तु १९५७ में जा कर कहीं पता लगा कि वह काम तो ठप्प पड़ा है। इस प्रबन्ध के लिये उत्तरदायी भाखड़ा नंगल बोर्ड को इस स्थिति के बारे में कुछ पता नहीं। केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग का एक सदस्य विद्युत् सम्बन्धी यंत्र खरीदने के लिये विदेश गया था किन्तु वह ट्रांसफार्मर नहीं लाया जिसके फल स्वरूप राजस्थान को अप्रैल, १९५६ में मिलने वाली बिजली अभी तक नहीं मिल सकी।

पता नहीं किस प्रकार का प्रबन्ध। माननीय मंत्री ने मुझे ट्रांसमिशन लाइनों के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देना था किन्तु वे पिछले चार मास से जानकारी एकत्र करने का प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु अभी तक कुछ नहीं कर सके। इससे पता लगता है कि वहां कुछ न कुछ गड़बड़ है।

भाखड़ा नंगल बोर्ड और केन्द्रीय मंत्रालय उन भ्रष्टाचारी पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्य-वाही कर रहे हैं जो सारे देश की प्रगति में बाधा पहुंचाने के लिये उत्तरदायी हैं उनके कारनामों के कारण विद्युत्जनन पर कई गुना अधिक व्यय हो रहा है।

हम जानना चाहते हैं कि जो आरोप मैंने लगाये हैं वे कहां तक सच हैं और जो हानि हमें हुई है उसे पूरा करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं।

इस बात पर बहुत वाद विवाद चल रहा है कि उर्वरक कारखाने और भारी पानी के कारखाने को किस दर पर बिजली दी जाये इसका निर्णायक प्राधिकारी कौन है?

राजस्थान को १५,००० किलोवाट बिजली मिलनी है लेकिन दिल्ली को तो २०,००० किलोवाट बिजली मिल भी चुकी है और केन्द्रीय सरकार और ४,००० किलोवाट बिजली प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है, हालांकि हमें अधिमान्य प्राप्त है और हमें बिजली नहीं मिली।

माननीय मंत्री इन सब बातों पर प्रकाश डालें।

†**श्री ज० रा० मेहता**: (जोधपुर): मैं केवल ये प्रश्न पूछना चाहता हूं:

(१) क्या यह सच है कि ट्रांसमिशन बुर्ज लगाने का कार्य १९५५ में आरम्भ किया जाना था किन्तु १९५७ के मध्य तक आरम्भ नहीं किया गया था;

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) क्या यह सच है कि मूल कार्यक्रम के अनुसार भाखड़ा नंगल से अप्रैल, १९५६ में बिजली मिलनी चाहिये थी किन्तु अभी तक नहीं मिली है ;

(३) अत्यधिक देरी के क्या कारण हैं और यदि यह देरी कुछ अधिकारियों की उपेक्षा आदि के कारण हुई है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, तो क्या उत्तरदायी पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ; और

(४) अब कार्य को शीघ्र करने के लिये सरकार क्या करना चाहती है ?

क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि साझीदार राज्यों ने जो बिजली देने के करार किये हैं उनके अतिरिक्त अन्य राज्यों को भाखड़ा से बिजली नहीं दी जायेगी ?

†**श्री रामेश्वर टांटिया** (सीकर) : मैं इस सम्बन्ध में दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक तो यह कि राजस्थान को बिजली देर से देने के क्या कारण हैं। और दूसरे का क्या शेखावाटी और चूरू के ऊंची भूमि वाले जिलों में बिजली सस्ती दर पर दी जायेगी ताकि वहां के लोग नल कूपों से भूमि की सिंचाई कर सकें ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मैं श्री हरिश्चन्द्र माथुर की इस बात से सहमत हूं कि इस कार्य में कुछ देरी हुई है और मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि राजस्थान को बिजली देर से पहुंचाने की बात को न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैंने जब से मंत्रिपद संभाला है अर्थात् गत दस मास से इस के लिये बहुत पत्रव्यवहार किया गया है कि राजस्थान और पंजाब दोनों राज्य यथा संभव शीघ्र परियोजना के उस भाग को कार्यान्वित करें।

ठीक स्थिति यह है। नियंत्रण बोर्ड के विषय को मैं व्यय कटौती प्रस्तावों पर चर्चा के समय लूंगा। मैं इस प्रबन्ध से संतुष्ट नहीं। इस की विधि सम्बन्धी मंजूरी को वस्तुतः स्पष्ट करना होगा। सभा ने ही इसे स्वीकार किया था अतः यह बोर्ड कार्य कर रहा है। मैं यह बताने के लिये समय नहीं लेना चाहता क्योंकि इस से एक राज्य का नहीं वरन् दो राज्यों का सम्बन्ध है। अत : विशेष विधान मंडल के क्षेत्राधिकार में विधि सम्बन्धी उत्तरदायित्व का प्रश्न पैदा होता है।

माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया था कि राजस्थान और पंजाब सरकार के बीच विद्युत् के आवंटन के बारे में क्या करार हुआ है। और उसकी क्रियान्विति की क्या स्थिति है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन राज्यों के बीच कोई औपचारिक करार नहीं हुआ व्यय और लाभ में साझीदारी के बारे में तो करार है किन्तु वैध करार नहीं।

१९५१ में एक निर्णय किया गया जिस के आधार पर प्रत्येक साझीदार राज्य को यह अधिकार दिया गया कि संग्रहीन जल संभरण में उस के अंश के अनुपात से, अधिकतम उपलब्ध बिजली उसे दी जायेगी किन्तु उसका प्रयोग उसी के क्षेत्र में होना चाहिये। यह निर्णय भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड ने किया था जिस में राजस्थान के भी प्रतिनिधि हैं। राजस्थान सरकार ने १९५१ में औपचारिक रूप से इस की पुष्टि की थी। इस के अनुसार पंजाब को ८४.७८ प्रतिशत और राजस्थान को १५.२२ प्रतिशत राशि मिलेगी।

किन्तु यह अनुपात नंगल उर्वरक कारखाना दिल्ली और भारी पानी के कारखाने आदि का सामूहिक पुंज का हिस्सा निकालने के पश्चात् निकाला जा सकता है। इस का निर्णय भी नियंत्रण बोर्ड ने किया था। अतः राजस्थान और पंजाब राज्यों में बिजली का आवंटन करने से पूर्व सामूहिक

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्री स० का० पाटिल]

पुंज को निकालना होगा । यह निर्णय अच्छा था या बुरा किन्तु नियंत्रण बोर्ड ने इस का निर्णय किया था और राजस्थान का भी इस निर्णय में हाथ है ।

जहां वास्तविक करार का सम्बन्ध है वह अभी दोनों राज्यों के लिखित रूप में करना है । निस्संदेह औपचारिक करार के निष्पादन में कुछ देरी हुई है । एक प्रारूप करार तैयार किया गया था किन्तु राज्य पुनर्गठन के कारण और पैप्सू के पंजाब में विलीन होने के कारण उस प्रारूप में परिवर्तन करने की आवश्यकता थी क्योंकि इस से तीन साझीदारों की बजाये दो साझीदार थे । देरी का कारण भी यही है । आशा है कि जो निर्णय १९५१ में किये गये थे उनके आधार पर एक औपचारिक करार शीघ्र ही हस्ताक्षरित किया जायेगा ।

अब मैं माननीय मित्र के इस प्रश्न को लेता हूं कि विद्युत् पारेषण लाइनें ठीक समय पर क्यों नहीं लगाई गईं और देरी के लिये पंजाब राज्य कितना उत्तरदायी है तथा उनका अपना राज्य कितना उत्तरदायी है । जब तक राजस्थान विद्युत् को अपने प्रयोग के लिये लेने के लिये तैयार न होता उसे बिजली देने का कोई लाभ नहीं था । मैं समझता हूं कि गलती दोनों राज्यों की है दोनों ही अपने अपने कर्तव्यों से च्युत हुए हैं । राजस्थान को बिजली देने के लिये पंजाब ने भी पारेषण लाइनें बनानी थीं और राजस्थान ने भी । पंजाब ने तो हांसी से हिसार होते हुए राजगढ़ तक और मुक्तसर से श्री गंगानगर तथा सम्बधी सब-स्टेशनों तक पारेषण लाइनें बनानी थीं । राजगढ़ से रत्नगढ़ तथा रत्नगढ़ से बीकानेर तथा सम्बन्धित सब-स्टेशनों तक पारेषण लाइनें बनाना और श्री गंगानगर, रत्नगढ़, बीकानेर आदि में विद्युत् संभरण की पूर्ण व्यवस्था करना राजस्थान सरकार का उत्तरदायित्व था । अपने-अपने इन उत्तरदायित्वों को पूरा करने में दोनों राज्य असफल हुए हैं । यह बहुत खेदजनक है और इस देरी के मुख्य कारण तथा उन्हें दूर करने के साधन नीचे दिये जाते हैं :—

(१) जांच के परिणाम स्वरूप मुक्तसर और श्री गंगानगर की लाइनों के मार्ग में कतिपय परिवर्तन करने पड़े ।

(२) एक रूप बुर्जों में पाई गई कुछ प्रविधिक त्रुटियों को दूर करने की आवश्यकता ।

(३) पारेषण बुर्जों पर लगाने के लिये इस्पात का न मिलना ।

जगह-जगह यह कठिनाई पैदा होती है । यदि इस्पात उपलब्ध न हो तो मंत्रालय तथा माननीय सदस्य चाहे कितना भी चाहें प्रगति नहीं हो सकती । इस कठिनाई को धीरे-धीरे दूर किया जा रहा है । सभा को विदित है कि देश में इस्पात की कमी है और पारेषण बुर्जों के लिये विशेष प्रकार के इस्पात की आवश्यकता होती है । यद्यपि हम ने बहुत प्रयत्न किया और लोहा तथा इस्पात नियंत्रक ने भी हमें बहुत सहयोग दिया है किन्तु इस प्रयोजन के लिये हमें १,८०० टन इस्पात की आवश्यकता थी जिस में से अभी तक ४८८ टन इस्पात हमें नहीं मिला । यद्यपि पंजाब के क्षेत्र में पारेषण लाइनें लगाने का पूरा उत्तरदायित्व पंजाब सरकार का है । किन्तु मुझे बताया गया है कि यदि ये लाइनें बना भी दी जातीं और राजस्थान को बिजली दे दी जाती तो भी वितरण व्यवस्था और पारेषण व्यवस्था के अभाव के कारण राजस्थान उस बिजली को प्रयोग में नहीं ला सकता था । राजस्थान संभवतः केवल गंगानगर में १५०० किलोवाट और पिलानी में ५०० से १,००० किलोवाट तक बिजली का प्रयोग कर सकता है । किन्तु राजगढ़ और पिलानी के बीच वितरण लाइन भी अभी तैयार नहीं हुई ।

यह ध्यान रखते हुए कि वस्तुओं के संभरण और पारेषण लाइनों के निर्माण में कितना उचित समय लग सकता है, यह अनुमान है कि राजस्थान के भाग का काम १९५९ के अन्त में पूरा हो जायेगा

और तब तक पंजाब के भाग का काम भी समाप्त हो जायेगा । माननीय सदस्य मुझ से सहमत होंगे कि राजस्थान के हिस्से में जो १५,००० या १८,००० किलोवाट बिजली आती है उसमें वह राज्य एक स्थान पर १,५०० किलोवाट और दूसरे स्थान पर ५०० किलोवाट बिजली का ही प्रयोग कर सकता था ।

अब उन राज्यों के बारे में क्या है जो इस परियोजना में साझीदार नहीं तथा दिल्ली और सामूहिक पुंज के सम्बन्ध में क्या है, उन्हें बिजली देने के बारे में अधिमान की स्थिति क्या है ? इस का निर्णय नियंत्रण बोर्ड ने किया था । कुछ वर्ष पूर्व इंजीनियरों को पता नहीं था कि नंगल में तैयार होने वाली बिजली की खपत इतनी शीघ्र हो जायेगी । इस के विपरीत वे समझते थे कि संभवतः इस की खपत न हो अतः उन्होंने दिल्ली प्रशासन और केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की थी कि दिल्ली डीजल इंजन, भाप के इंजन या अन्य साधनों से बिजली न तैयार की जाये क्योंकि भाखड़ा नंगल की बिजली मिल सकेगी और वे चाहते थे कि उस की खपत हो सके । अतएव दिल्ली प्रशासन और केन्द्रीय राज्य ने दिल्ली नगर के लिये जो योजनायें बना रखी थीं उन्हें छोड़ दिया गया ताकि हम उन से बिजली प्राप्त कर सकें । ऐसा नियंत्रण बोर्ड के सुझाव पर किया गया था, जिस में राजस्थान और पंजाब दोनों के प्रतिनिधि थे । अतः दिल्ली भले ही साझीदार राज्य नहीं है । किन्तु उसे इसमें से कुछ बिजली प्राप्त करने का अधिकार है, इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश और अन्य स्थानों को भी बिजली मिलनी चाहिये । किन्तु उस से राजस्थान को हानि नहीं होनी चाहिये यद्यपि अन्त में जिस अनुपात से बिजली दी जायेगी उस में २,००० या ३,००० किलोवाट का अन्तर पड़ जायेगा । अतः राजस्थान के हिस्से में से कुछ नहीं लिया जा रहा । कुल बिजली में से दिल्ली को ६०,००० किलोवाट बिजली लेने का अधिकार है । आजकल दिल्ली को २,००० किलोवाट बिजली मिल रही है । दिल्ली इसके लिये उत्सुक है कि यथा संभव शीघ्र इसे शेष ४०,००० किलोवाट बिजली मिल जाये । वस्तुतः मेरा अनुमान है कि निकट भविष्य में दिल्ली को ४०,००० किलोवाट की बजाये १००,००० किलोवाट बिजली की आवश्यकता होगी । यह राजधानी की नगरी कितनी बड़ी है । यदि दिल्ली को एक क्षण के लिये बिजली न मिले तो माननीय सदस्य यहां बैठ भी सकें ?

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता । यदि कुछ बातों का उत्तर देना बाकी रह गया तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि कटौती प्रस्तावों के उत्तर में उन का उल्लेख करूंगा ।

माननीय सदस्य ने कहा है कि राजस्थान परियोजना के लिये करोड़ों रुपया दे रहा है किन्तु उसे मिल कुछ भी नहीं रहा । यदि वे आकड़ों को देखें तो उन्हें विश्वास हो जायेगा कि ऐसी बात नहीं है । कुछ भी निश्चय हो किन्तु वे जितना व्यय करेंगे उस के अनुपात में ही उन्हें लाभ भी प्राप्त होगा ।

भाखड़ा के बिजली घर पर १९.३३ करोड़ रुपया व्यय हुआ है जिस में से पंजाब ने १६.३९ करोड़ रुपया व्यय किया है और राजस्थान ने २.९४ करोड़ रुपया । नंगल बिजली घर के १५ करोड़ के व्यय में से १२.८० करोड़ रुपया पंजाब ने किया है और २.२ करोड़ रुपया राजस्थान ने । पारेषण व्यवस्था पर कुल २१.४७ करोड़ रुपये का व्यय हुआ है जिस में से १६.९८ करोड़ रुपये का व्यय पंजाब के हिस्से में और ४.४९ करोड़ रुपये का व्यय राजस्थान के हिस्से में आता है । विद्युत् विभाग के कुल ५५.९० या ५६ करोड़ रुपये के व्यय में से पंजाब का हिस्सा ४६.१७ करोड़ रुपया है जब कि राजस्थान का केवल ९.७३ करोड़ रुपये । ये व्यय दिसम्बर, १९५७ तक के हैं । कुछ ही मास पूर्व विद्युत् संचालन पर ३८.३७ करोड़ रुपये का व्यय किया गया था जिस में

[श्री स० का० पाटिल]

राजस्थान का हिस्सा केवल १.४१ करोड़ रुपये है। अतः यद्यपि उन्होंने लगभग १० करोड़ पया देना है उन्होंने अभी १ करोड़ रुपया ही दिया है।

अन्त में यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि उन्होंने पुरानी मशीन खरीदने पर कुछ रुपया व्यय किया है किन्तु यदि वह किसी समय बन्द हो गई तो इस से राजस्थान को कोई संतोष नहीं होगा। इस स्थिति को यथा शीघ्र सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि हम समय पर नहीं कर सके तो उस के कारण मैं बता चुका हूं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राजस्थान को या भाखड़ा बोर्ड को सूचना दिये बिना बुर्ज बनाने बन्द कर दिये थे और क्या नियंत्रण बोर्ड विधान मंडलों के समक्ष उत्तरदायी है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : नियंत्रण बोर्डों के सम्बन्ध में यह दुर्भाग्य की बात है क्योंकि हमारे राज्य इकट्ठे मिल कर काम करना अभी नहीं सीखे हैं। इस बड़े देश में उन्हें सर्वप्रथम यह सीखने की आवश्यकता है। ऐसा कहते हुए मैं राज्य सरकारों की आलोचना नहीं कर रहा हूं। किन्तु राज्यों को इकट्ठे काम करते हुये यह सीखना चाहिये कि सहकारिता से ही अच्छा परिणाम निकल सकता है। यदि वे इस में असफल होते हैं तो यह भारत सरकार का अपराध नहीं। हम उन्हें बाध्य कर के कोई काम नहीं करवा सकते। हम परामर्श दे सकते हैं किन्तु उसे मानना न मानना उनके हाथ में है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, २५ मार्च, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

[सोमवार, २४ मार्च, १९५८]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. . . . .	२९६३—९१
तारांकित प्रश्न संख्या		
११५७	दिल्ली में चिड़िया-घर	२९६३–६४
११५८	दिल्ली में क्षय रोगी	२९६४–६५
११५९	पंजाब में सहकारिता आन्दोलन . . .	२९६५–६६
११६०	जीपें	२९६६–६७
११६१	चावल की खेती	२९६७–६८
११६३	रेल के फाटक	२९६८–६९
११७०	कोचीन पत्तन में नैमित्तिक मजदूर रखने की पद्धति का अंत करना	२९६९–७०
११७१	रेलवे में तांबे के तारों की चोरी . . .	२९७०–७१
११७४	भाखड़ा-नंगल से राजस्थान को जल संभरण . .	२९७१—७३
११७५	सम्बलपुर, उड़ीसा, में मेडिकल कालेज . .	२९७३–७४
११७७	दमदम में विमान दुर्घटना	२९७५–७६
११७८	बर्मा से चावल का आयात . . .	२९७६—७८
११७९	पहाड़ी स्थानों के लिये भाड़े और किराये की दरें . .	२९७८–७९
११८०	नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़-नियंत्रण कार्यों सम्बन्धी गवेषणा	२९७९–८०
११८१	पंजाब में मीन-क्षेत्रों का विकास . . .	२९८०–८१
११८२	लुधियाना में कृषि विश्वविद्यालय . . .	१९८१–८२
११८३	नंगल-उना रेलवे लाइन	२९८२
१०६३	वाइकाउन्ट विमान	२९८२—८५
११६७	रेलवे की पटरी पर हथगोले	२९८५
११६८	पंजाब के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधायें . .	२९८५
११६६	रेलवे कर्मचारियों की सेवा अवधि में वृद्धि . .	२९८६
११७३	भारत सेवक समाज	२९८६—८८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
७	श्रमजीवी पत्रकार वेतन बोर्ड	२९८८—९१

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . . .	२९९२—३०१५
तारांकित प्रश्न संख्या		
११६२	कोसी परियोजना	२९९२
११६४	रेलवे के लिये क्रेनों की खरीद . . .	२९९२
११६५	मालगाड़ियों से चोरियां	२९९२
११६९	अगरताला में टेलीफोन कनैक्शनों के लिये आवेदन पत्र .	२९९२
११७२	चीनी का उत्पादन	२९९३
११७६	कोयना विद्युत् परियोजना	२९९३
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१५७५	बौद्ध तीर्थों के तीर्थ-यात्री . . .	२९९३—९४
१५७६	लाइफ-बोट प्रशिक्षण स्कूल	२९९४
१५७७	ग्वार के सम्बन्ध में गवेषणा	२९९४—९५
१५७८	पेरियर जलविद्युत् योजना	२९९५—९६
१५७९	बीकानेर रेलवे वर्कशाप	२९९६
१५८०	द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में क्षयरोग अस्पताल .	२९९६—९७
१५८१	माल्दा में हवाई पट्टी	२९९७
१५८२	पंजाब में डाक घर	२९९७—९९
१५८३	रेलवे सुरक्षा बल	२९९९
१५८४	रेलवे अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार . . .	३०००
१५८५	शिशु चिकित्सा केन्द्र	३०००
१५८६	मातृ-सेवा-सदन, पूसा रोड, नई दिल्ली . . .	३०००—०१
१५८७	जम्मू तथा काश्मीर राज्य में वन्य जन्तुओं का संरक्षण .	३००१
१५८८	काश्मीर में पर्यटक	३००१
१५८९	राज्यों में सिंचित क्षेत्र . . .	३००२
१५९०	केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन	३००२
१५९१	रासायनिक उर्वरकों का आयात . . .	३००२
१५९२	खेती के औजार	३००३
१५९३	विमान का देर से चलना	३००३
१५९४	उदवाड़ा स्टेशन के समीप माल-डिब्बों का पटरी से उतर जाना	३००३—०४
१५९५	पंजाब में डाकघरों का खोला जाना . . .	३००४
१५९६	रेलवे की अनाज की दूकानों के कर्मचारी . .	३००४
१५९७	खड़गपुर रेलवे स्कूल . . .	३००५
१५९८	मोटर ट्राली दुर्घटना . . .	३००५—०६
१५९९	केरल में सड़कों का निर्माण	३००६
१६००	त्रिपुरा में कमालपुर राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड .	३००६—०७
१६०१	कलकत्ते में इंजन ओवरहाल डिपो . .	३००७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

१६०२	रेलवे में अन्नपूर्णा सेवा	३००७
१६०३	रेलवे बोर्ड में असिस्टेंट	३००७–०८
१६०४	चित्तरंजन वर्कशाप यूनियन	३००८
१६०५	दक्षिण पूर्व रेलवे में रेलवे स्कूल	३००८
१६०६	किराये की इमारतों में डाक तथा तार घर	३००८–०९
१६०७	डाक कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	३००९
१६०८	पश्चिमी बंगाल में परिवार आयोजन	३००९
१६०९	डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	३००९
१६१०	डाक तथा तार घर	३०१०
१६११	पंजाब में पेरे गये गन्ने की मात्रा	३०१०
१६१२	मद्रास में चावल का उत्पादन	३०१०
१६१३	यूनिसेफ	३०१०–११
१६१४	रेलवे में कल्याण निरीक्षक	३०११
१६१५	हिमाचल प्रदेश में सस्ते अनाज की दुकानें	३०११–१२
१६१६	रेलवे में यात्री सहायक (पैसेंजर गाइड)	३०१२
१६१७	बागवानी का विकास	३०१२
१६१८	पंजाब में भूमि संरक्षण	३०१२–१३
१६१९	रेलवे बोर्ड में विशेष अधिकारी	३०१३–१४
१६२०	परिवार आयोजन	३०१४
१६२१	डाक तथा तार घर, भरतपुर	३०१४
१६२२	डाक तथा तार विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार	३०१५
१६२३	उर्वरक	३०१५

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ३०१६

सचिव ने इस सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये और लोक-सभा को १७ मार्च, १९५८ को दिये गये अंतिम प्रतिवेदन के बाद राष्ट्रपति की अनुमति-प्राप्त निम्नलिखित विधेयक सभापटल पर रखे :—

(१) विनियोग रेलवे विधेयक, १९५८

(२) भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, १९५८

(३) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५८

(४) विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९५८

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ३०१६

तीसरा प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया

विषय पृष्ठ

लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ३०१६

तीसरा प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया

अवलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . . ३०१६–१७

श्री नौशेर भरूचा ने अणुशक्ति आयोग के गठन, उसकी शक्तियों और कृत्यों इत्यादि की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया और अणुशक्ति आयोग के गठन के बारे में संकल्प संख्या १३-७-५८ ए डी एम०, दिनांक १ मार्च, १९५८ की एक प्रति भी सभा-पटल पर रखी ।

विधेयक पुरःस्थापित

भारतीय शपथ (संशोधन) विधेयक, १९५८

अनुदानों की मांगें . . . . . ३०१८—७१

स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई ।

चर्चा समाप्त हुई ।

मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।

आधे घंटे की चर्चा . . . . . ३०७१—७६

श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने भाखड़ा नंगल की विद्युत् परियोजनाओं के बारे में २५ फरवरी, १९५८ को तारांकित प्रश्न संख्या ४६७ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तरों से उत्पन्न बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठायी ।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया :—

(१) श्री ज० रा० मेहता

(२) श्री रामेश्वर टांटिया

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया

मंगलवार, २५ मार्च १९५८ के लिये कार्यावलि

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा ।